छत्तीसगढ़ शासन - वन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2017.18

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्री	**श्री महेश गागड़ा**

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव	श्री सी.के.खेतान
सचिव	श्री अतुल कुमार शुक्ल

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक	डॉ. आर.के. सिंह
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण—सह—मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक)	डॉ. आर.के. सिंह

छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक	डॉ. ए.ए. बोऑज

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	श्री शिरीषचन्द्र अग्रवाल

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

प्रबंध संचालक	श्री मुदित कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित

प्रबंध संचालक	श्री राजेश कुमार गोवर्धन

राज्य जैव विविधता बोर्ड

सदस्य सचिव	श्री जयसिंह म्हस्के

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017—18

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	1-2
	भाग — एक	
2	विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय	3-10
3	विभाग के दायित्व	11
4	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम — 2011	12-15
5	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति — 2001	16
6	विकास एवं योजना	17-24
7	कैम्पा	25-31
8	संरक्षण	32-36
9	संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण	37-47
10	बांस मिशन	47-50
11	भू—प्रबंध एवं वन संरक्षण अधिनियम	50-52
12	उत्पादन	52-53
13	अनुसंधान एवं विस्तार	53-64
14	मानव संसाधन विकास	65-67
15	सूचना प्रौद्योगिकी	67-68
16	सतर्कता एवं शिकायत	68-71
17	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	71-73
18	कार्य आयोजना	73
19	बजट, लेखा एवं ऑडिट	73-74
20	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	74-82
	भाग —दो	
21	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण	82-105
	भाग — तीन	
22	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	105-112
	भाग — चार	
23	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	113-136
	भाग — पांच	
24	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड	136-147
	भाग — छः	
25	छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड	148-150

भाग—एक

2. विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यालयों का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है:—

2.1 वन मुख्यालय (अरण्य भवन) नया रायपुर में पदस्थ/प्रभारी अधिकारियों का विवरण

भारतीय वन सेवा संवर्ग के अधिकारी

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ नया रायपुर	डॉ. आर.के. सिंह (1983)	01/12/2017	
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	डॉ. आर.के. सिंह अति. प्रभार में	01/08/2016	
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री के.सी. यादव (1984)	16/05/2017	
4	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री कौशलेन्द्र सिंह (1985)	25/02/2014	
6	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री के.सी. किस्कू (1985)	03/09/2015	
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास योजना), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	डॉ. जितेन कुमार (1986)	15/09/2016	
8	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	डॉ. जितेन कुमार अतिरिक्त प्रभार में	01/08/2017	
9	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण), छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री आर.बी.पी. सिन्हा (1986)	04/08/2014	
10	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी) छ.ग. नया रायपुर	श्री पी.सी. पाण्डेय (1987)	25/08/2015	
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री देबाशीष दास (1987)	15/09/2016	
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री जे.ए.सी.एस. राव (1987)	12/05/2016	
13	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह(1987)	29/04/2016	
14	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री एस.एस. बजाज (1988)	21/06/2017	
15	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम.) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री यूनुस अली (1988)	04/02/2017	

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
16	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री तपेश कुमार झा (1989)	27/06/2017	
17	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री जयसिंह म्हस्के अतिरिक्त प्रभार में	02/05/2016 से	
18	मुख्य वन संरक्षक (बांस मिशन) छ.ग. नया रायपुर	श्रीमती अनिता नंदी (1991)	06/05/2014	
19	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री ए.के. बिश्वास (1994)	03/09/2015	वन संरक्षक (उत्पादन) के स्थान पर
20	मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री ए.एच. कपासी (1995)	03-09-2015	वन संरक्षक (वि./यो.) के स्थान पर
21	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री ए.के. तिवारी (1996)	09/09/2015	
22	मुख्य वन संरक्षक (ईको–टूरिज्म) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्रीमती संजीता गुप्ता (1997)	09/09/2016	
23	मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र. एवं नी.वि.) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री जे.पी. चंद्राकर (1998)	11-01-2017	**वन संरक्षक (सं.व.प्र. एवं नी.वि.) के स्थान पर**
24	मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़ नया रायपुर	श्री अमरनाथ प्रसाद (1998)	01-12-2016	दि. 28.08.2017 से मुख्य वन संरक्षक में पदोन्नत
25	वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. नया रायपुर	श्री देवाशीष बैनर्जी (1999)	03-04-2017	
26	वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. नया रायपुर	श्री अनिल सोनी (2000)	27/09/2017	
27	वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. नया रायपुर	श्री अभय कुमार श्रीवास्तव (2002)	22/07/2016	
28	उप वन संरक्षक (संरक्षण) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. नया रायपुर	श्री एस.एस.डी. बड़गैयाँ (1997)	22/03/2016	
29	उप वन संरक्षक एवं जनसूचना अधिकारी कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. नया रायपुर	श्री आर.के. तिवारी (1999)	27/09/2017	
30	उप वन संरक्षक (कार्य आयोजना) एवं उप वन संरक्षक (रोकड़) कार्या.प्र.मु.व.सं. छ.ग. नया रायपुर	श्री नावीद शुजाउद्दीन (2004)	08/08/2017	

राज्य वन सेवा संवर्ग के अधिकारी

क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि
1	संपदा अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	श्री आर.ए. पाठक (रा.व.से.)	28/08/2015
2	सहायक वन संरक्षक (संरक्षण) प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़न दस्ता	विनोद सिंह ठाकुर	03-11-2017
3	सहायक वन संरक्षक (सहायक जनसूचना अधिकारी)	श्री एस.जे.एच. रिजवी	26/08/2013
	सहायक वन संरक्षक (वन्यप्राणी)– रोकड़		**अति.प्रभार**
4	सहायक वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन)	श्री चंद्रभान अग्रवाल	06-11-2017

छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) एवं वन बल प्रमुख तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	डॉ. ए.ए. बोआज (1979)	01/07/2016	
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर संचालक (राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान) रायपुर	**रिक्त**		
3	वन संरक्षक एवं अपर निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	श्री ए.बी. मिंज (2000)	24-01-2015	
4	सहायक वन संरक्षक (छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)	श्री ए.के. बक्शी	18-04-2017	

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

क.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी	श्री एस.सी. अग्रवाल (1983)	29/04/2016	

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक	श्री मुदित कुमार सिंह (1984)	30/05/2017	
2	मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	डॉ. बी.पी. नोन्हारे (1985)	09/09/2016	
3	मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992)	08/04/2015	
4	मुख्य वन संरक्षक एवं महाप्रबंधक–1 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्री व्ही.एस. लकड़ा (1996)	15/07/2011	
5	उप वन संरक्षक एवं उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	श्री रमेश चंद्र दुग्गा (2007)	14/08/2017	

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, रायपुर	श्री आर.के. गोवर्धन (1986)	29/05/2017	
2	वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर	डॉ. सोमा दास (2002)	02/01/2017	
3	उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर	श्री एस.सी. रहटगांवकर (1987)	01/03/2014	

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, नया रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, नया रायपुर	श्री जयसिंह म्हस्के (1988)	02/05/2016	-
2	तकनीकी सलाहकार छ.ग. रा.जै.वि. बोर्ड, नया रायपुर	श्री ओ.पी. यादव	01/02/2017	संविदा पर
3	उप वन संरक्षक, छ.ग. रा.जै.वि. बोर्ड, नया रायपुर	श्री के.आर. ऊके	16/01/2017	संविदा पर

2.2 स्वीकृत, कार्यरत् एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत् पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	02	01	01
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	14	14	01
3	मुख्य वन संरक्षक	14	13	01
4	वन संरक्षक	22	11	11
5	उप वन संरक्षक	42	40	02
6	सहायक वन संरक्षक	189	152	37
7	संचालक, बजट	01	01	—
8	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	—
9	स्टाफ आफिसर	01	01	—
10	लेखा अधिकारी	03	03	—
11	सांख्यिकी सहायक	03	—	03
12	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	02	01	01

2.3 वर्तमान में कार्यरत कार्यपालिक एवं लिपिकीय अमला

मुख्यालय में पदस्थ वनक्षेत्रपालों की जानकारी

क्र	पदनाम	पदस्थ अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1	वनक्षेत्रपाल	1

क्षेत्रीय स्तर में पदस्थ वनक्षेत्रपालों की जानकारी

क्र	पदनाम	पदस्थ अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1	वनक्षेत्रपाल	289

कार्यपालिक एवं लिपिकीय स्थापना

वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्रं.	पदनाम	मुख्यालय			मैदानी		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वनक्षेत्रपाल	5	1	4	485	289	196
2	उप वनक्षेत्रपाल	0	0	0	650	539	111
3	वनपाल	0	0	0	1668	1525	143
4	वनरक्षक	5	3	2	4772	4255	517
	योग :–	**10**	**4**	**6**	**7575**	**6608**	**967**
1	कार्यालय अधीक्षक	6	6	0	7	7	0
2	लेखा अधीक्षक	10	9	1	7	4	3
3	मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड – 1	26	26	0	52	50	2
4	लेखापाल / सहायक ग्रेड – 2	51	34	17	521	488	33
5	सहायक ग्रेड – 3	55	48	7	709	604	105
6	वरिष्ठ निज सहायक	3	2	1	0	0	0
7	निज सहायक	15	13	2	14	16	-2
8	शीघ्र लेखक वर्ग – 3	16	9	7	46	33	13
9	मानचित्रकार	7	2	5	90	45	45
10	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
11	सहायक प्रोग्रामर	3	3	0	7	6	1
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	34	20	14	73	58	15
13	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	0	0	0	2	1	1

क्रं.	पदनाम	मुख्यालय			मैदानी		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
14	सहायक उप निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति)	0	0	0	7	0	7
15	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	0	2	0	0	0
16	पुलिस कांस्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	0	0	0	28	0	28
17	लेखापाल (एस.ए.एस.) (प्रतिनियुक्ति)	4	2	2	0	0	0
18	सहायक लाईब्रेरियन	1	0	1	0	0	0
19	तकनीकी सहायक (वानिकीअनुसंधान)	3	3	0	0	0	0
20	लैब टेक्नीशियन (वानिकी अनुसंधान)	2	2	0	0	0	0
21	सांख्यिकी सहायक अधिकारी	1	0	1	0	0	0
22	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (वानिकी अनुसंधान)	6	0	6	0	0	0
23	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सामाजिक एवं आर्थिक)	2	0	2	0	0	0
24	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (विस्तार एवं प्रशिक्षण)	1	0	1	0	0	0
25	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय)	1	0	1	0	0	0
26	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रलेख्य)	1	0	1	0	0	0
27	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (लेब)	4	0	4	0	0	0
28	हरबेरियम सहायक	1	0	1	0	0	0
29	फील्ड असिस्टेंट	3	0	3	0	0	0
30	स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	0	0	0
31	हल्का वाहन चालक	28	21	7	137	108	29
32	भारी वाहन चालक	0	0	0	132	104	28
33	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	1	0	1	0	0	0
34	पी. टी. आई	0	0	0	3	2	1
35	पशु चिकित्सा कम्पाण्उण्डर	0	0	0	1	1	0
36	सुरपरवाईजर	2	2	0	0	0	0
	योग :—	291	202	89	1836	1527	309
1	बुक लिफटर	1	0	1	0	0	0
2	कोटवार (दैनिक दर पर कार्यरत)	0	0	0	85	0	85

क्रं.	पदनाम	मुख्यालय			मैदानी		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
3	ट्रक एवं ट्रैक्टर क्लीनर	0	0	0	35	32	3
4	भृत्य/चौकीदार/अर्दली	35	32	3	453	440	13
5	दफ्तरी	4	4	0	0	0	0
6	जमादार	2	1	1	0	0	0
7	वन्यजीव परिचारक	0	0	0	4	0	4
8	ट्रक एवं ट्रैक्टर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	123	19	104
9	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	5	0	5	55	10	45
10	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	407	42	365
	योग	**47**	**37**	**10**	**1162**	**543**	**619**
	कुल योग	**348**	**243**	**105**	**10573**	**8678**	**1895**
सांख्येत्तर							
1	वनरक्षक	0	0	0	350	212	0
2	वन चौकीदार	0	0	0	492	340	0
3	वायरलेस आपरेटर	0	0	0	161	148	0
4	भृत्य/चौकीदार	0	0	0	1412	932	0
	योग	**0**	**0**	**0**	**2415**	**1632**	**0**
	महायोग	**348**	**243**	**105**	**12988**	**10310**	**1895**

वन विभाग की मैदानी ईकाइयाँ

क्षेत्रीय वन वृत्त | कार्य आयोजना वृत्त

वन वृत्त रायपुर	वन वृत्त दुर्ग	वन वृत्त बिलासपुर	वन वृत्त सरगुजा	वन वृत्त कांकेर	वन वृत्त जगदलपुर	वन वृत्त कार्य आयोजना बिलासपुर एवं रायपुर
वन मंडल (5)	वन मंडल (5)	वन मंडल (9)	वन मंडल (6)	वन मंडल (6)	वन मंडल (5)	वन मंडल (6)
1. रायपुर	1.दुर्ग	1. बिलासपुर	1.सरगुजा	1. कांकेर	1. बस्तर	1. रायपुर
2. बलौदाबाजार	2.बालोद	2.मुंगेली	2. सूरजपुर	2. पूर्व भानुप्रतापपुर	2. बीजापुर	2. बिलासपुर
3. गरियाबंद	3.कवर्धा	3. मरवाही	3. बलरामपुर	3. प. भानुप्रतापपुर	3. सुकमा	3. दुर्ग
4. महासमुंद	4.राजनांदगांव	4. कोरबा	4.कोरिया	4. केशकाल	4. दंतेवाड़ा	4. सरगुजा
5. धमतरी	5.खैरागढ़	5. कटघोरा	5.मनेंद्रगढ़	5. दक्षिण कोण्डागांव	5. अनु. एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर	5. कांकेर
		6. रायगढ़	6.जशपुर	6. नारायणपुर		6.जगदलपुर
		7.धरमजयगढ़				
		8. जांजगीर–चांपा				
		9. अनु.एवं विस्तार वनमंडल,बिलासपुर				

3. वन विभाग के दायित्व

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है :—

- राज्य की समृद्ध जैव—सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत का संरक्षण करना।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना।
- वनों से कार्य—आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निवर्तन करना।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निवर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति करना।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार करना।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना।

4. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण सांख्यिकी

4.1 सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का प्रतिवेदन 2015 अनुसार वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन — एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	**59772.40**	**100.00**
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र		
राष्ट्रीय उद्यान — 2 टायगर रिजर्व — 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य— 8 बायोस्फियर रिजर्व — 1	11310.977	18.92

4.2 राज्य के वन एवं उनका महत्व

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17^0 46′ से $24^0$06′ उत्तर अक्षांश तथा $80^0$15′ से $84^0$51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉं हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉं साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियॉं हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियॉं हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियॉं हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण तो हैं और वन—वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है, तथा यहॉं मध्य भारत के प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टाईग्रिस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) पाए जाते है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं उन्हे क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साथ ही साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टिन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं। अधिकांश आर्थिक रुप से पिछड़े हैं एवं जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यो से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वागींण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

4.3 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3—1/2011/1/6, दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रवृत्त हो गया है। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 बनाये गये हैं। जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को किया गया है। उक्त नियम दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 से प्रभावशील हो गए हैं।

अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2011 को अधिसूचना जारी कर, वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी, एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	मालिक मकबूजा काष्ठ का भुगतान (डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत)	45 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
2	कार्यालय काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना–शासकीय काष्ठागार हेतु	7 कार्य दिवस	काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उप वनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
3	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी /विनिर्माता हेतु	7 कार्य दिवस	परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उप वनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
4	कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु	30 कार्य दिवस	उप वन मण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
5	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	शासकीय काष्ठ के परिवहन का भुगतान (काष्ठ के काष्ठागार पहुंचने तथा बिल जमा करने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
6	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
7	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
8	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
9	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	बसोड़ बही बनाने के आवेदन का निराकरण	20 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा की गई फसल/सम्पत्ति को क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
11	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा जनहानि/ जनघायल प्रकरण में मुआवजा भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक

स. क्र.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
12	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा पशुहानि का क्षतिपूर्ति भुगतान निराकरण (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की तिथि में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
13	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर	तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समूह बीमा एवं जनश्री बीमा योजना अंतर्गत दावा के पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर तैयार कर प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय भेजना (पूर्ण आवेदन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि)	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
14	कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के पूर्ण प्रकरण परीक्षण कर जिला यूनियन कार्यालय से जीवन बीमा निगम रायपुर को भेजना	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ
15	कार्यालय उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेंदूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा वनोपज सहकारी समितियों को पहुंचाना (जीवन बीमा निगम से चेक जिला यूनियन कार्यालय में प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
16	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	जिला यूनियन से प्राप्त समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के चेक को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा हितग्राही को वितरित करना।	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
17	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेंदूपत्ता संग्राहकों के पुत्र/पुत्रियों को जनश्री बीमा योजना अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा छात्रवृत्ति के चेक का वितरण (जिला यूनियन से राशि प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
18	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज के प्रोत्साहन परिश्रमिक (बोनस) वितरण	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
19	कार्यालय पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेन्दूपत्ता व सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान	30 कार्य दिवस	पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
20	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज संग्राहक परिवार को चरण पादुका वितरण (जिला यूनियन में पूर्ण चरण पादुका प्राप्त होने पर)	45 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन

स. क्र.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
21	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
22	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन बिलों का भुगतान	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
23	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	विक्रित वनोपज का स्वीकृति आदेश	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
24	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज निर्वर्तन हेतु कार्य आदेश	7 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
25	कार्यालय सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	असफल बोलीदार की सत्यंकार राशि की वापसी	7 कार्य दिवस	सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
26	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	कार्योपरांत जमानत राशि की वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
27	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
28	कार्या. मंडल प्रबंधक/ क्षेत्रीय महा प्रबंधक/ प्रबंधक (प्रशासन)	क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन	7 कार्य दिवस	सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
29	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	डिपों से वनोपज के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना	1 कार्य दिवस	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक
30	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज ठेकेदारों को राजस्व वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक

5. छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001

छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है, जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं संवहनीय प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है।

वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5.1 वन नीति–2001 के मूल उद्देश्य

- संवहनीय आधार पर राज्य के विपुल वन संसाधन को खुली–पहुंच–संसाधन (ओपन एक्सेस रिसोर्स) से समुदाय द्वारा नियंत्रित संसाधन के रूप में, प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, संरक्षित एवं प्रबन्धित संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुये स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु उपलब्ध कराना।
- प्रमुख वनोपज (काष्ठ) से लघुवनोपज, एकल स्तरीय से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रमुख वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर, पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन, जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य की जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भू–क्षरण एवं वन आवरण में कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद (सिल्ट)जमा होने की गति में कमी लाना।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित, अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ, छोटी ईमारती लकड़ी, चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को केवल आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानते हुए राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

6. विकास एवं योजना

6.1 बिगड़े वनों का सुधार

आबादी से घिरे होने के कारण अत्यधिक चराई एवं निस्तार आपूर्ति का दबाव सहते हुए ऐसे वन क्षेत्र जिसका घनत्व कम हो गया है, उसे सामान्यतः बिगड़े वनों के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। इस योजना में इन विरल वनक्षेत्रों को पुनः सघन क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए, उपलब्ध जड़ भंडार का उपयोग कर तथा रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वन आवरण को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है । इन क्षेत्रों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मृदा एवं जल का संरक्षण के कार्य भी किए जाते है। ऐसे कार्यो की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब स्थानीय निवासियों का सहयोग क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्यो के लिए प्राप्त हो। अतः स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है और सुधार कार्य के प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली वनोपज को समितियों को प्रदान किया जाता है । क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बिगड़े वनों के सुधार की योजना में निर्धारित राशि इन समितियों को प्रदान की जाती है ।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य (प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत) वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	रोपण/रोपण सहित कार्य (हे.में)	पुराने रोपण क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)
2014–15	45247	269803
2015–16	38055	257972
2016–17	39166	190460
2017–18	34575	155365

6.2 बिगड़े बॉँस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बॉस वनों का चयन किया जाकर कार्य आयोजना में उनके उपचार का प्रावधान किया जाता है जिसमें बांस के भिर्रे जीर्ण—शीर्ण हो गए हैं अथवा अत्यधिक गुंथ गए हैं और जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है । इन चिन्हांकित बॉस क्षेत्रों में मुख्यतः गुथे हुए बॉस भिर्रो की सफाई, भिर्रो की परिधि में

मृदा कार्य तथा विरल बॉँस के क्षेत्रों में बॉस के राईजोम आदि से रोपण का कार्य किया जाता है । बॉस भिर्रो की सफाई एवं मृदा संबंधी कार्य से अविकसित भिर्रो को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है जिनसे नये बॉँसों के करले निकलते हैं तथा उनकी गुणवत्ता एवं संख्या में सुधार होता है ।

वर्षवार बिगड़े बॉस वनों के सुधार कार्य का विवरण :—

वित्तीय वर्ष	बिगड़े बांस वनों का पुनरोद्धार कार्य (हे. में)
2014—15	32992
2015—16	33210
2016—17	34615
2017—18	28499

6.3 सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य

प्राकृतिक वनों में वनों के वन वर्धनिक मुख्य पातन के पश्चात पातन किए गए कूपों में स्थित जड़ भंडार एवं प्राकृतिक रूप से बीज से ऊगे हुए पौधों की वृद्वि में सहायता प्रदान कर प्राकृतिक वनों की सघनता एवं उनकी उत्पाकता सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले वानिकी कार्य सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य कहलाते है। विगत वर्षों में यह कार्य मुख्य रूप से कैम्पा मद से किया जाता रहा है परन्तु वर्ष 2017—18 में भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के तहत यह कार्य राज्य शासन के वन विकास मद से किया जा रहा है।

6.4 पर्यावरण वानिकी

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण पार्क आदि के विकास का कार्य लिया जाता है जिससे शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार हो। इससे प्रदूषण की रोकथाम भी प्रभावी तौर पर होती है एवं स्थानीय निवासियों में पर्यावरण चेतना विकसित होती है। इस योजना में मुख्यतः पथ वृक्षारोपण, ऑक्सीजोन निर्माण आदि कार्य लिए जाते है। विगत् वर्षो में इस योजना में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	कार्य	व्यय (राशि लाख में)
2014—15	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्डा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, माई का मढवा, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, रामझरना, इंदरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, टिहली सराई पर्यटक स्थल कटघोरा एवं वन महोत्सव कार्यक्रम।	1096.35
2015—16	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्वीप, इंदिरा उद्यान पेण्डा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, माई का मडवा, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगढ़ी, रामझरना, इंदिरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, टिहली सराई पर्यटक स्थल कटघोरा, पखांजूर तालाब सौंदर्यीकरण, रामवाटिका, नेहरू गार्डन सौंदर्यीकरण, ईको टूरिज्म विकास एवं सोनबरसा, डोमा पार्क निर्माण, वन महोत्सव कार्यक्रम एवं 1162 हे. में उच्च तकनीक सागौन एवं मिश्रित वृक्षारोपण का रखरखाव।	1025.68
2016—17	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदिरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, वन महोत्सव कार्यक्रम, बॉटनिकल गार्डन मुख्य द्वारा निर्माण, गिरौदपुरी मंदिर परिसर में सौदर्यीकरण, मोहरा मेला सौंदर्यीकरण, स्व. श्री डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल गार्डन	1107.20
2017—18	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगढ़ी, इंदिरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लामनी पार्क बस्तर, वन चेतना केन्द्र मनगट्टा, नारायण विहार, वीर वाटिका सोनाखान, वन महोत्सव कार्यक्रम,	320.26

20 जुलाई 2017 को संपूर्ण प्रदेश में जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वन महोत्सव कार्यक्रम वृक्षारोपण महा अभियान मनाया गया जिसमें प्रत्येक जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूलों के विद्यार्थियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सहभागिता रहीं। मुख्य कार्यक्रम रायपुर जिले के थनौद ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथ्य में संपन्न हुआ।

6.5 पौधा प्रदाय योजना

इस योजना के तहत् निजी भूमि में पौध रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ''**पौधा प्रदाय योजना**'' के नाम से योजना संचालित है। इस योजना में निजी भू–स्वामी को उसके स्वत्व की भूमि पर पौधा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । विभाग द्वारा 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर प्रति भू–स्वामी 1000 पौधे की अधिकतम संख्या तक पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।

वर्ष 2016–17 में 10.27 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण का कार्य किया गया । वर्ष 2017–18 में 9.10 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण किया गया है।

6.6 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों को भू–क्षरण से रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाये रखने के उद्देश्य से **'नदी तट वृक्षारोपण'** योजना विभाग में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 102 हे. रोपण तथा 2256 हे. पुराने रोपण क्षेत्र में रखरखाव का कार्य किया गया। वर्ष 2017–18 में आगामी वर्ष में रोपण हेतु 440 हे. क्षेत्र तैयारी, 306 हे. रोपण तथा 1728 हे. रखरखाव कार्य किया जा रहा है।

6.7 पथ वृक्षारोपण

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कार्य इस योजना में किया जाता है। वर्ष 2016–17 में 04 कि.मी. सड़क के किनारे वृक्षारोपण एवं 200 कि.मी. पूर्व वर्षो के वृक्षारोपण क्षेत्र का रखरखाव कार्य किया गया। वर्ष 2017–18 में 364 कि.मी. क्षेत्र की तैयारी की गई है तथा 73 कि.मी. रोपण एवं 126 कि.मी. में रखरखाव का कार्य किया जा रहा है।

6.8 वनमार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण

इस योजना में वनक्षेत्रों से गुजरने वाले वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण कार्य किया जाता है जिससे दूरस्त अंचलों में निवासरत् वनवासियों/ग्रामवासियों को बारहमासी आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। वर्ष 2016–17 में 330 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया गया। वर्ष 2017–18 में 290 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

6.9 कार्य आयोजना के अनुसार कूपों में कार्य

राज्य के जिन वनमंडलों की कार्य आयोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, उन कार्य आयोजनाओं में बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अलावा अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में विगत् वर्षो में किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 2015—16

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	39566
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	45887
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	2821
अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1647
प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.) कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	12269
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	7128

वर्ष 2016—17

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	42320
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	35351
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	545
अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण (रोपण एवं रखरखाव)	1530
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	14148
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	3322

वर्ष 2017—18

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	45250
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	597
अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण (रोपण एवं रखरखाव)	1366
प्रवरण सह सुधार (एस.सी.आई.) कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	6713
सुधार प्रबंधन कार्यवृत्त (आई.डब्ल्यू.सी.) सहायक पुनरोत्पादन कार्य	25160
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्रों में वनवर्धनिक कार्य	305

6.10 वृक्षारोपण

भारत सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों की अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार ऐसे वनक्षेत्र जिनमें वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान रखा गया है, में उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का रोपण विगत् तीन वर्षो में किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या (पौधें लाखों में)
2015-16	718.20
2016-17	647.42
2017-18	601.10

6.11 सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य

राज्य के सामान्य तथा अनुसूचित क्षेत्रें में विभागीय प्रशासनिक इकाईयों के सुदृढीकरण के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण, अधिकारी/कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण, अभिलेखित वनमार्गो के उन्नयन का कार्य भी विगत् वर्षो में कराया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :
–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि
2015–16	5 उपवनमंडल कार्यालय 91 कर्मचारी भवन 2 वनमंडलाधिकारी आवास 10 उपवनमंडलाधिकारी आवास 2 वन विश्राम गृह 66 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन 45 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन 10 रायपुर काली बाडी स्थित चतुर्थ श्रेणी आवास 14 भवन वनरक्षक आवास 1 बेरियर नाका	1430.00	1331.73
2016–17	58 परिक्षेत्र अधिकारी आवास 01 उपवनमंडल आवास 58 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	1480.00	236.83
2017–18	58 परिक्षेत्र अधिकारी आवास 08 वनरक्षक आवास 01 वनमंडलाधिकारी आवास 58.41 कि.मी. वनमार्ग उननयन	1480.00	177.10

6.12 आयोजना — बजट प्रावधान एवं व्यय राशि (योजनावार)

वित्तीय वर्ष 2017—18 (नवम्बर 2017 की स्थिति में)

(राशि लाख में)

बजट मद व योजना का नाम	प्रावधानित राशि	व्यय राशि
1	2	3
(2723) — प्रशासन सुदृढ़ीकरण	101.31	14.34
(1859) — वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	331.48	167.04
(1859) — राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना (भवन निर्माण)	165.00	53.51
(6025) — वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	12.00	0.90
(2536) — पर्यावरण वानिकी	1250.00	320.26
(2965) — बिगड़े वनों का सुधार	16070.00	3052.24
(5089) — राज्य में वानिकी अनुसंधान	145.70	77.59
(6723) — संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	643.50	174.29
(6827) — भू एवं जल संरक्षण कार्य	2145.00	493.91
(1004) — नदी तट वृक्षारोपण योजना	850.00	126.92
(1902) — तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	1350.00	185.80
(2533) — हरियाली प्रसार योजना	6300.00	3719.95
(2534) — पौधा प्रदाय योजना	114.00	25.55
(6724) — बांस वनों का पुनरोद्धार	4200.00	440.72
(6828) — पथ वृक्षारोपण	660.00	77.69
(7563) — अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	445.00	35.57
(5420) — राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	800.00	320.00
(6792) — लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	580.00	580.00
(792) — कर्मचारी कल्याण योजना	270.00	32.55
(4342) — सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	1480.00	177.00
(6886) — वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	1450.00	0.00
(6516) — ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/औषधी रोपण	825.00	239.34
(4475) — सामाजिक वानिकी	330.00	86.60
(5091) — लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	270.00	22.90
(6854) — लाख विकास योजना	210.00	84.01
(7292) — छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेशन सोसायटी	20.00	8.00
(6992) — वन अधिकारों की मान्यता	55.00	10.40
(7322) — बांस प्रसंस्करण इकाई	66.00	51.00
(6699) — वन विकास उपकर निधि से व्यय	2080.00	384.34
(5231) — लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1500.00	600.00
(7261) — राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	9180.10	1430.43
(7731) — बाडी बांस योजना	1000.00	70.39
(7732) — छ.ग. स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट योजना	200.00	0.00
(7857) — पारिस्थिकीय सेवा विकास परियोजना	800.00	0.00
(7856) — ग्रीन इंडिया मिशन	500.00	0.00

बजट मद व योजना का नाम	प्रावधानित राशि	व्यय राशि
1	2	3
केन्द्र प्रवर्तित योजना		
(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	1800.00	1.20
केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना		
(5231) – लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	200.00	0.00
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
(7351) – त्वरित वनक्षेत्र पुनरोत्पादन/पुनरोद्धार कार्यक्रम	1.00	0.00
योग :– 10 + 41 + 64	**58400.09**	**13064.40**

6.13 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत केन्द्र शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता दी गई है । छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गई है।

वन विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पथ वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण, आवागमन सुविधा हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण/उन्नयन, जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्य और अन्य रोजगार मूलक कार्य किए जा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार नवम्बर 2017 की स्थिति में विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	योजनांतर्गत				स्वीकृत कार्यों की प्रगति		निरस्त कार्यों की संख्या	रोजगार मानव दिवस	लाभान्वितों की संख्या
	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	पूर्ण	प्रगति पर			
2014-15	855	3132.66	1463.31	1663.68	603	209	43	561901	98158
2015-16	1847	15135.12	8530.44	7713.99	774	1047	26	3381635	414614
2016-17	775	4869.63	2452.57	2155.24	476	290	09	686026	96293
2017-18	1476	4412.93	1690.33	719.77	10	1466	0	230476	37073
योग :–	**4953**	**27550.3**	**14136.6**	**12252.67**	**1863**	**3012**	**78**	**4860038**	**646138**

7. छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा (राज्य क्षतिपूरक वन रोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण)

7.1 राज्य कैम्पा का गठन

प्रदेश में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के रुप में विभिन्न संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि के योजनाबद्ध उपयोग हेतु राज्य क्षतिपूरक वन रोपण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) का गठन जुलाई 2009 में किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली स्थित Ad-hoc CAMPA में 31 मार्च 2017 की स्थिति में कुल रू. 3591.75 करोड़ की राशि अब तक जमा की गई है। जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा Ad-hoc CAMPA मद से वर्ष 2009—10 से 2017—18 तक राज्य कैम्पा को रू. 1293.00 करोड़ का आबंटन किया गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक रू. 1070.00 करोड़ व्यय किया गया है। राज्य कैम्पा द्वारा भारत सरकार को Ad-hoc CAMPA से राशि विमुक्त करने हेतु संचालन समिति से स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017—18 हेतु रू. 361.35 करोड़ की वार्षिक कार्य आयोजना प्रेषित की गई। जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं की गयी है। राज्य कैम्पा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार पर इस राशि का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, वानिकी विस्तार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वन्य जंतु संरक्षण, विभागीय अधोसंरचना विकास, वन सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में किया जा रहा है।

7.2 वित्तीय उपलब्धि

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2009—10 से 2017—18 (माह दिसम्बर) तक एड—हॉक कैम्पा से छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा को विमुक्त की गयी, से प्राप्त उपलब्धि का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	मद शीर्ष	वर्ष 2009—10 से 2016—17 तक व्यय (लाख रू. में)	2017—18 का व्यय (लाख रू. में)	योग (लाख रू. में)
	2	3	4	5
i.	क्षतिपूर्ति वनीकरण	16782.00	7746.00	24528.00
ii.	वनीकरण	37652.00	8378.00	46030.00
iii.	वन सुरक्षा	5061.00	866.00	5927.00

iv	सूचना प्रणाली का विकास	1108.00	142.00	1250.00
v	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	3062.00	572.00	3634.00
vi	औषधीय पौधों का विकास	1103.00	290.00	1393.00
vii	कर्मचारी सुविधाएं एवं अधोसंरचना	8023.00	1681.00	9704.00
viii	संरक्षित क्षेत्र का विकास एवं जैव विविधता संरक्षण	11019.00	2654.00	13673.00
	वन प्रबंधन	550.00	0	550.00
ix	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	98.00	1.00	99.00
x	कैम्पा की स्थापना	238.00	32.00	270.00
	योग :—	**84696.00**	**22362.00**	**107058.00**

7.3 भौतिक उपलब्धि

राज्य कैम्पा की स्थापना के पश्चात वर्ष 2009—10 से 2017—18 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, सहायक प्राकृति पुनरोत्पादन कार्य, सड़क किनारे वृक्षारोपण, औषधीय रोपण, विशेष प्रजाति एवं मिश्रित प्रजातियों के वृक्षारोपण का कार्य किया गया जिसका वर्षवार एवं योजनावार भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	**वनीकरण योजनायें**	**वर्ष 2009—10 से 2017—18 तक भौतिक उपलब्धि (हैक्ट. में)**
1	2	3
i	क्षतिपूर्ति रोपण	26559.00
ii	सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन	216984.00
	वृक्षारोपण :—	
iii	सिंचित रोपण	1207
iv	विशेष प्रजाति रोपण	5142
v	असिंचित सागौन रोपण	335
vi	असिंचित आंवला रोपण	660
vii	असिंचित बांस रोपण	2970
viii	शहरी वनीकरण	280

क्र.	वनीकरण योजनायें	वर्ष 2009—10 से 2017—18 तक भौतिक उपलब्धि (हैक्ट. में)
1	2	3
ix	नदीतट रोपण	3663
x	आक्सीवन रोपण	1186
xi	ग्रामवन रोपण	2051
xii	हाईडेनसिटी पल्प वूड	765
xiii	मितव्ययी रोपण	965
xiv	बांस रोपण (पुष्पित क्षेत्र)	1885
xv	औषधि रोपण	946
	योग :—	**22055**
xvi	**पथ रोपण**	**898 km**

7.4 प्रशिक्षण

वन विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों को आधारभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के कांकेर, सरगुजा एवं कवर्धा जिले में तीन नये वन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। तीनों प्रशिक्षण केद्रों हेतु अधोसंरचना विकास एवं प्रशिक्षण की सुविधायें विकसित कर नव नियुक्त वन रक्षको को प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है । इसके साथ ही महासमुंद, सक्ती एवं जगदलपुर प्रशिक्षण शालाओं में प्रशिक्षण हेतु रू. 10—10 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है।

7.5 वन संरक्षण

7.5.1 वन संरक्षण

प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य प्राणी संरक्षण पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से राज्य कैम्पा निधि से 178 परिक्षेत्र स्तरीय, 32 वन मंडल, 07 वृत्त स्तरीय एवं 01 राज्य स्तरीय इस प्रकार कुल 217 फारेस्ट स्ट्राइक फोर्स तथा 36 वन्यप्राणी परिक्षेत्रों में स्ट्राइक फोर्स का गठन कर वाहन उपलब्ध कराया गया है ।

7.5.2 अग्नि सुरक्षा

कैम्पा निधि से प्रत्येक वर्ष राज्य के वन परिसरों में ग्रीष्म काल में 15 फरवरी से 15 जून तक अग्नि प्रहरी हेतु राशि का आबंटन किया जा रहा है । वर्षवार स्वीकृत अग्निप्रहरी एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार हैः—

ए.पी.ओ. वर्ष	ए.पी.ओ. वर्ष 2009—10 से 2016—17 तक अग्नि प्रहरी संख्या	कुल स्वीकृत राशि (राशि रू. लाख में)
2011—12	715	243
2012—13	669	124
2013—14	1673	367
2014—15	1803	397

ए.पी.ओ. वर्ष	ए.पी.ओ. वर्ष 2009—10 से 2016—17 तक अग्नि प्रहरी संख्या	कुल स्वीकृत राशि (राशि रू. लाख में)
2015—16	2139	501
2016—17	1721	427
2017—18	1950	—

7.5.3 प्राचीन देव वनों का संरक्षण

प्रदेश के **प्राचीन देव—वनों**, जो कि प्रदेशवासियों के आस्था के केंद्र हैं, के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य राज्य कैम्पा के मद से प्रारंभ किया गया है इस मद के अंतर्गत वर्ष 2012—13 में 250.00 लाख एवं 2013—14 में रू. 200.00 लाख कुल रू. 450.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । इस राशि से प्राचीन देव—वनों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है । अब तक इस कार्य हेतु रू. 450.00 लाख की राशि स्वीकृति दी गयी है जिसमें प्रदेश के वनक्षेत्रों में स्थित प्राचीन देव वनों के संरक्षण कार्य किये जाने के साथ ही सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत रामगढ़ पर्यटन स्थल में स्थित देववनों के विकास हेतु रू. 220.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। ए.पी.ओ वर्ष 2017—18 में इस मद से रू.200 लाख का प्रावधान स्वीकृत है, जिससे कार्य कराया जावेगा।

7.5.4 सोलर एल.ई.डी. लाईट/लैम्प निःशुल्क वितरण योजना

प्रदेश के 16 जिलों के 22 वन मंडलों के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों/समिति सदस्यों एवं वन ग्राम वासियों के उपयोग हेतु मुख्यमंत्री सोलर लैम्प निःशुल्क वितरण योजना के अंतर्गत 93904 सोलर एल.ई.डी. लाईट एवं 183314 सोलर एल.ई.डी. लैम्प के निःशुल्क वितरण हेतु कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज से कुल रू. 10.00 करोड़ व्यय किये गये है।

7.6 अधोसंरचना विकास

राज्य कैम्पा निधि के अंतर्गत अब तक क्षेत्रीय अमले हेतु कुल 968 आवासीय एवं 104 कार्यालयीन भवनों का निर्माण किया गया है। वनोपज परिवहन हेतु 66 ट्रकों, 10 ट्रेक्टर, 06 बस, 05 प्रचार वाहन एवं सिंचाई कार्य हेतु 11 नग वाटर टेंकर क्रय किए गए है।

7.7 वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन

(i) संरक्षित क्षेत्र एवं वनक्षेत्र— वन्यप्राणी प्रभाग अमलों हेतु **110** आवासीय भवनों का निर्माण, वन्यप्राणियों के रहवास सुधार हेतु **944** हे. वनक्षेत्र में चारागाह विकास कार्य, **73 तालाब/ एनीकट** निर्माण किये गये है तथा **15** सोलर पंप की स्थापना की गयी है।

(ii) वनग्रामों का विस्थापनः— बारनवापारा अभ्यारण्य रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा ग्रामों को विस्थापित कर कुल **401** परिवारों के विस्थापन में कुल **3503.00** लाख का व्यय किया गया ।

(iii) गजराज परियोजनाः— जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्रों में रहवास सुधार हेतु **200** हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास, जल स्त्रोंतों के विकास हेतु. **47** नग तालाब, स्टापडेम, एनिकट, **2** ग्रामों में हाई मास्ट लाईट, 26 हाथी सहायता केन्द्र के निर्माण कार्य एवं जागरूकता अभियान आदि कराये जा रहे हैं । जंगली हाथियों द्वारा फसल एवं जनहानि करने पर कैम्पा निधि से रू. 23.00 करोड़ की राशि मुआवजा वितरण हेतु स्वीकृति दी गयी।

(iv) जामवंत परियोजनाः— जंगली भालुओं की अधिकता वाले क्षेत्रों में लागू **जामवंत परियोजना** के तहत **115** हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण एवं **16** तालाब एवं स्टापडेम निर्माण कराये जा रहे हैं ।

7.8 वन्यप्राणी प्रबंधन फंड

वन्यप्राणी प्रबंधन मद के अंतर्गत रू. 23.00 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल में दल्लीराजहरा—रावघाट रेल परियोजना में अब तक रू. 550.00 लाख व्यय कर परियोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी रहवास सुधार हेतु चारागाह विकास एवं जलस्त्रोंतों के विकास तथा वन्यप्राणी सुरक्षा की दिशा में कार्य किये गये है ।

7.9 अधोसंरचना विकास एवं प्रशिक्षण कार्य

I. वनीकरण के साथ साथ वन सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण, वन औषधीय पौधों का विकास, अधोसंरचना विकास के कार्य किये गये हैं ।

II. कैम्पा निधि से प्रदेश के वनक्षेत्रों के ग्रामों में युवाओं को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं जीविकोपार्जन के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

III. कैम्पा निधि से शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति अनुसार प्रदेश में तीन वन प्रशिक्षण शाला स्थापित करने की अनुमति दी गयी है, जो कवर्धा, सरगुजा एवं भानुप्रतापपुर में संचालित हैं ।

7.10 विशेष कार्य

i. **प्रधान मंत्री उज्जवला योजनाः—** संचालन समिति द्वारा इस योजना हेतु रू. **4762.00** लाख के विरूद्ध रू. **4747.58** लाख स्वीकृत ।

ii. **जंगल सफारी :—** नया रायपुर में जंगल सफारी के विकास हेतु रू. **72.00** करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है ।

iii. **बॉटनिकल गार्डन :—** नया रायपुर में एक बॉटनिकल गार्डन की स्थापना हेतु रू. **12.45 करोड़** के कार्यो की स्वीकृति दी गयी।

iv. **कंबल वितरण योजनाः—** 56136 विशिष्ट पिछड़ी जनजाति परिवारों को दो—दो कंबल के मान से कुल 112272 नग कंबलों का वितरण किया गया है ।

v. **पेय जल व्यवस्था :—** इस योजना में **222** सोलर ट्यूब वेल स्थापना हेतु रू **1142.06** लाख की राशि स्वीकृत की गयी है **।**

vi. **नल—जल योजनाः—** कवर्धा जिले में 50 नग तथा राजनांदगांव जिले में 19 स्थलों पर सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु क्रमशः रू. 245.00 लाख एवं रू. 231.98 लाख कुल रू. 476.98 लाख स्वीकृति दी गयी ।

vii. **कोसाकूकुन संग्रहणः—** कोसा कुकून संग्रहण हेतु वर्ष 2016—17 में रू. 425.00 लाख का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2017—18 में रू. 1135.00 लाख की स्वीकृति दी गयी ।

viii. **सुजला योजना :—** सुजला योजना के अंतर्गत सुकमा, नारायणपुर, बस्तर जिलों में सिंचाई सुविधा हेतु 3470.00 लाख की लागत से 835 सोलर वाटर पंप की स्वीकृति दी गयी ।

7.11 **उपरोक्त विशेष कार्यो के अतिरिक्त कैम्पा निधि से निम्नलिखित कार्यो हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है:—**

अ.क्र.	कार्य का विवरण	प्रावधानित राशि (लाख रू. में)
i	हाईटेक रोपणी नया रायपुर की स्थापना (2016—17)	800.00
ii	वर्ष 2017—18 में राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर एवं सूरजपुर में हाईटेक रोपणी की स्थापना (वर्ष 2017—18 में प्रावधानित) स्वीकृत राशि रू. 471.92 लाख	3400.00
iii	महाराजबंध वेटलैड कन्जरवेशन, रायपुर वनमंडल (2016—17 एवं 2017—18) स्वीकृत राशि रू. 742.00 लाख	750.00
iv	ग्राम फरफौद में वेटलैंड कन्जरवेशन कार्य, रायपुर वन मंडल (2017—18) स्वीकृत राशि रू. 49.845 लाख	50.00
v	वन ग्राम से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित 100 ग्रामों में मूलभूत सुविधा का विकास कार्य (वर्ष 2017—18 में प्रावधानित) अद्यतन स्थिति में सुकमा वन मंडल के 10 एवं बलौदाबाजार वन मंडल के 20 ग्रामों हेतु रू. 300.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।	1000.00
vi	टिशू कल्वर रोपणी गोढ़ी रायपुर वन मंडल की क्षमता विस्तार कार्य वर्ष 2012—13 से 2015—16 तक स्वीकृत राशि रू. 195.63 लाख	225.00

7.12 **वनक्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी एवं ईको विकास कार्य :—**

क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. मे)
i.	मॉ जतमई एवं घटारानी वन क्षेत्र का विकास, गरियाबंद वन मंडल (2015—16)	216.77
ii.	वन चेतना केन्द्र मनगट्टा का विकास, राजनांदगांव वन मंडल (2015—16 एवं 2016—17)	180.05
iii.	नारायणपुर वनमण्डल में जंगल ट्रेल का निर्माण (2016—17)	31.94
iv.	गड़िया पहाड़ का सौन्दर्यीकरण, कांकेर वन मंडल (2016—17)	50.00
v.	राजाराव पठार का विकास, बालौद वन मंडल (2015—16 एवं 2017—18)	146.96
vi.	प्राकृतिक झरण श्रोत तोंगकोंगेरा का संरक्षण संवर्धन (2016—17)	202.50
vii.	मैनपाट वन क्षेत्र में विकास कार्य (2014—15 एवं 2016—17)	890.00

8. संरक्षण

8.1 वन सुरक्षा

वनों की सुरक्षा विभाग का प्राथमिक दायित्व है। विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण से जुडे अमलों का क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना, स्थानीय ग्रामीणों को वन सुरक्षा के कार्यो से जोड़े जाने, आदि कार्यो को प्राथमिकता दी गई है। विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के अतिरिक्त संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति के तहत ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास किये गये। प्रदेश में 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वन सुरक्षा में सहभागी बनाया गया है।

8.2 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु व्यवस्था

वन क्षेत्रों में अवैध वन कटाई व अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के अन्दर वनों को बीटों में बॉटा गया है। हर बीट में सतत् निगरानी व सुरक्षा हेतु एक बीट गार्ड पदस्थ करने का प्रावधान है। वनों की सुरक्षा के लिए वन मंडल स्तर पर बीट निरीक्षण तालिका बनाये गये है, जिसमें सहायक परिक्षेत्राधिकारी से लेकर वनमंडलाधिकारी तक को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बीट निरीक्षण में पायी जाने वाली अवैध कटाई एवं अन्य वन अपराध प्रकरणों का संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेकर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2015, 2016 एवं 2017(सितम्बर 2017 की स्थिति में) में राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

अनु. क्र.	वर्ष	वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वनोपज का मूल्य (लाख में)	वसूल किया गया मावजा/महसूल की राशि (लाख में)	जप्त वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i	2015	28657	592.82	77.06	311
ii	2016	17892	514.42	74.00	231
iii	2017 (सितम्बर 2017 की स्थिति में)	17471	333.80	68.483	215

वर्ष 2017 में वन अपराधियों के विरूद्व 17471 वन अपराध प्रकरण दर्ज किये गये एवं वन अपराध में जप्त 215 वाहन को नियमानुसार राजसात करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

8.3 वनोपज जांच नाका

अवैध निकासी पर रोकथाम हेतु राज्य में 247 एवं 31 अंतर्राज्यीय वनोपज जांच नाके स्थापित किये गये हैं। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है तथा वनोपज लदे वाहनों से संबंधित जानकारियों को अभिलेखित भी किया जाता है। बिना परिवहन अनुज्ञा–पत्र के वनोपज परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्व सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

8.4 आकस्मिक रात्रि–गश्त

अवैध कटाई, अवैध निकासी एवं अवैध शिकार पर सतत् नियंत्रण रखने हेतु सम्पूर्ण राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित तिथि को आकस्मिक रात्रि–गश्त आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में वनपाल स्तर से वनमण्डलाधिकारी स्तर तक के वनाधिकारी विभिन्न संवेदनशील वनक्षेत्रों एवं निकासी मार्गों पर रात्रि–गश्त करते हैं। रात्रि–गश्त के दौरान वाहनों की चेकिंग की जाकर अवैध वनोपज पाये जाने पर सुसंगत कार्यवाही की जाती है।

8.5 महत्वपूर्ण वन अपराध प्रकरणों का अनुश्रवण

वन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यालय द्वारा वन अपराध प्रकरणों की निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है। गंभीर वन अपराध प्रकरणों के अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की गई हैः–

(i.) समस्त ऐसे वन अपराध प्रकरण जिनमें 4 पहिया वाहन (यंत्र चलित) जप्त की जाती है, की सूचना तत्काल मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को वनमण्डलाधिकारी द्वारा दी जाती है।

(ii.) वन अपराध के ऐसे समस्त प्रकरण जहां जप्त वनोपज का मूल्य रू. 20,000/– से अधिक है, की सूचना मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) को दी जाती है।

(iii.) ऐसे समस्त वन अपराध प्रकरण जिनमें वनोपज का मूल्य रू. 50,000/– से अधिक हो, की सूचना मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को दी जाती है।

मुख्यालय द्वारा उक्त गम्भीर वन अपराध प्रकरणों की निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है।

8.6 आरा मशीनों की स्थिति –

वर्ष 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1430 आरा मशीनों की प्रेषित सूची में से 1404 आरा मशीनें वर्तमान में राज्य के विभिन्न वन वृत्तों में निम्नानुसार पंजीकृत है :–

क्र.	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या	संचालित आरामशीनों की संख्या	बंद आरा मशीनों की संख्या	माननीय केन्द्रीय सशक्त समिति द्वारा 19.01.2009 को नियमित की गई आरामशीनों की संख्या	कुल योग
i.	रायपुर	523	500	23	0	523
ii.	दुर्ग	399	385	14	7	406
iii.	कांकेर	18	17	1	0	18
iv.	जगदलपुर	61	41	20	0	61
v.	बिलासपुर	354	299	55	2	356
vi.	सरगुजा	65	57	8	1	66
	योग	**1420**	**1299**	**121**	**10**	**1430**

वर्ष 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित सूची में 10 आरामशीनों का नाम त्रुटिवश छूट जाने के कारण सूची में नाम दर्शित नहीं है। जिसकी समीक्षा राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाकर माननीय केन्द्रीय सशक्त समिति को उक्त आरामशीनों के संचालन हेतु अनुशंसा की गई, जो वर्तमान में चालू हैं।

आरामशीनों का नियमित निरीक्षण किये जाने के लिए वन मंडल स्तर पर निरीक्षण रोस्टर बनाया जाता है तथा आरामशीनों पर निरंतर नियंत्रण रखा जाता है। आरामशीन में अनियमितता पाये जाने पर छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरामशीनों के संबंध में दिये गये अंतरिम निर्णय के प्रकाश में, राज्य में वर्ष 1997 के पश्चात् किसी भी नई आरामशीन की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रदेश में आरामशीनों के नामांतरण, स्थल परिवर्तन एवं विक्रय के उपरान्त नामांतरण/स्थल परिवर्तन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति की आवश्यकतानुसार बैठक आहूत की जाकर आरामशीनों से संबंधित प्रकरणों का परीक्षणोंपरान्त निराकरण किया जाता है।

8.7 केन्द्र प्रवर्तित गहन वन प्रबंधन योजना

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से

वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है :–

राशि लाखों में

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि			व्यय राशि
	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	योग	
1	2	3	4	5
2015–16	135.00	90.00	*225.00*	201.830
2016–17	268	निरंक	*268*	समर्पित
2017–18	168.00	112.00	*280.00*	कार्य प्रगति पर

आयोजनेत्तर बजट मद 3877 योजना के अंतर्गत 13810 मुनारा निर्माण एवं 11285.73 कि.मी. वन सीमा रेखा के रख–रखाव के कार्य हेतु बजट मद 001 डिमार्केशन में राशि रूपये 450.00 लाख आबंटित की गई है।

वर्ष 2017–18 में प्राप्त राशि से वनों की अग्नि से रोकथाम के लिए 3055 अग्नि सुरक्षा श्रमिक तैनात किये गये है।

8.8 वनों की अग्नि सुरक्षा

वनों की अग्नि से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु सभी 3411 बीटों में एक–एक अग्नि रक्षक संपूर्ण अग्नि काल (16 फरवरी से 15 जून तक) के लिए तैनात किया जाता है। वनों की अग्नि से सुरक्षा की सतत् निगरानी व सहायता हेतु 34 वन मंडल स्तरीय स्ट्राईक फोर्स तथा 201 परिक्षेत्र स्तरीय स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं।

राज्य में उपग्रह आधारित फायर अलार्म सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल (एफ.एम.आई.एस.) रायपुर द्वारा उपग्रह से प्राप्त डाटा के आधार पर अग्नि स्थल की सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों को एस.एम.एस., फोन एवं ई–मेल के माध्यम से संसूचित की जाती है। उक्त सूचना के आधार पर अधीनस्थ अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्निशमन करने के उपरान्त इसकी सूचना संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं एफ.एम.आई. एस. वनमंडल,रायपुर को दी जाती है। उपग्रह आधारित प्रणाली एवं त्वरित संचार व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त अग्निशमन हेतु सूचना तत्काल अधीनस्थ क्षेत्रीय अमले को प्रेषित करने में सुविधा हुई है, जिससे प्रभावित क्षेत्र में भी काफी कमी आई है।

8.9 वन अपराध अभियोजन प्रकोष्ठ का गठन

विभाग द्वारा विभिन्न वन/वन्यप्राणी अपराधों से संबंधित गंभीर किस्म के अपराध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। न्यायालय में चालान उपरान्त इन प्रकरणों में विभाग का पक्ष प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत न होने, प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण न होने, विभागीय गवाह प्रस्तुत न होने तथा न्यायालयीन चालान त्रुटिपूर्ण होने के कारण न्यायालयीन प्रकरणों में अपराधी को समुचित दण्ड नहीं मिल पाता तथा अधिकांश प्रकरणों में अपराधी दोषमुक्त हो जाते हैं। वर्ष 2013–14 में प्रथम चरण में 20 वनमंडलों में वन अपराध अभियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

प्रत्येक वनमण्डल हेतु 01 विधिक सलाहकार (अंशकालिक), 01 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) विभागीय अमले से– 01 लेखापाल/सहायक ग्रेड–2, 01 उप वनक्षेत्रपाल/वनपाल के पद स्वीकृत हैं।

राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ हेतु 01 विधिक सलाहकार एवं 02 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद संविदा पर सृजन की सहमति/स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है।

8.10 वन अपराध नियंत्रण केन्द्र की स्थापना

गंभीर वन अपराधों की पहचान, जांच विवेचना एवं अपराधों का अभियोजन न्यायालय में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 में प्रथम चरण में दुर्ग एवं बिलासपुर वनवृत्तों में वन अपराध नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना की गई, जिसमें निम्नानुसार पद स्वीकृत किए गए हैं :–

नियमित पद	संविदा पद	जॉब दर पर
वनक्षेत्रपाल – 2	सहायक वन संरक्षक – 01	सहायक प्रोग्रामर–1
उपवनक्षेत्रपाल– 02		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–1
वनपाल – 04		
वन चौकीदार – 06		
वनरक्षक – 06		

वन अपराध नियंत्रण केन्द्रों का उद्देश्य :–

(i) वन अपराधों के नियंत्रण हेतु क्रियाशील तंत्र एवं गुप्त सूचनाओं का संग्रह एवं उन पर चिंतन एवं आदतन अपराधियों का सूचीबद्ध करना।

(ii) वन संरक्षक/क्षेत्रीय संचालक (वन्यप्राणी) के निर्देशन में प्रमुख वन अपराधों की पहचान, पंजीयन एवं विवेचना।

(iii) ऐसे वन अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ करना जिनके विरुद्ध ब्यूरो द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

(iv) वन अपराध से संबंधित गुप्त सूचनाओं का वनमण्डलाधिकारी, वन्य–प्राणी अभिरक्षक, राज्य पुलिस, अन्तर्राज्यीय पुलिस एवं वनाधिकारियों को आदान–प्रदान।

8.11 गुप्त सूचना तंत्र का विकास :–

वनों के संरक्षण के बढ़ते महत्व एवं वनोपज की बढ़ती कीमतों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि वन अपराधियों के विरूद्व एक गुप्त सूचना तंत्र विभाग द्वारा विकसित किया जाए, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों को त्वरित रूप से प्राप्त हो सके तथा गुप्त सूचना के आधार पर उनके द्वारा वन अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही कर, वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

अतः राज्य शासन द्वारा वन अपराध प्रकरणों के संबंध में अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़वाने वाले व्यक्ति को गुप्त निधि से पुरस्कृत करने के लिए निम्नानुसार पुरस्कार राशि स्वीकृत की गई है :–

क्र.	वन अपराध प्रकरण जिनके लिये पुरस्कार देय है	पुरस्कार की पुनरीक्षित अधिकतम राशि
i.	अपराधी से वनोपज प्राप्त होने पर	जप्त वनोपज मूल्य का 5% अधिकतम ₹ 3000/–
ii.	वनोपज के साथ जीप/कार/वैन/ट्रेक्टर जप्त किये जाने पर	₹ 10,000/– प्रति प्रकरण
iii.	वनोपज के साथ ट्रक जप्त किये जाने पर	₹ 20,000/– प्रति प्रकरण

मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारियों (क्षेत्रीय) द्वारा पुरस्कार नियम के अनुसार पुरस्कार राशि स्वीकृत किया जाता है। राज्य शासन द्वारा पुरस्कार राशि का पुनरीक्षित किये जाने के कारण वन अपराधियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

9. संयुक्त वन प्रबंधन

9.1 वन प्रबंधन समितियों की अद्यतन स्थिति

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में, वन प्रबंधन का मुख्य आधार बनाया गया है तथा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वन सुरक्षा में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए संकल्प पारित किया गया है। प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में से वनक्षेत्रों की सीमा के 5 कि.मी. की परिधि में लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। इन ग्रामों में कुल 7887 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। राज्य में गठित कुल समितियों की संख्या, उन्हें आबंटित किया गया वन क्षेत्र तथा सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

वन प्रबंधन समितियों की संख्या	:	7887
वन प्रबंधन समितियों को आबंटित वन क्षेत्रफल	:	33,190 वर्ग कि.मी
कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	55.52 प्रतिशत
कुल समिति सदस्यों की संख्या	:	27.63 लाख
i. अनुसूचित जन जाति सदस्यों की संख्या	:	15.21 लाख
ii.अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या	:	4.71 लाख
iii.अन्य सदस्यों की संख्या	:	7.71 लाख
महिला सदस्यों की संख्या	:	14.36 लाख
पुरूष सदस्यों की संख्या	:	13.27 लाख

9.2 संयुक्त वन प्रबंधन हेतु राज्य शासन का संकल्प

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंधन के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के प्रावधानों को शासन के संकल्प क्रमांक एफ 7—36/ 2001/10—2 दिनांक 5 अगस्त 2013 के द्वारा संशोधित किया गया। इसके तहत, काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 20 प्रतिशत राशि एवं बॉस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 100 प्रतिशत राशि, समिति को लाभांश के रूप में प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वन प्रबंधन समितियो को वर्ष 2017—18 में काष्ठ/एवं बांस विदोहन से कुल रू 19.61 करोड़ लाभांश राशि प्रदाय की गई है। राज्य गठन के उपरान्त से अब तक वन प्रबंधन समितियों को लाभांश के रूप में कुल रू. 321.21 करोड़ की राशि प्रदाय की जा चुकी है।

9.3 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये कार्य

9.3.1 वानिकी कार्य

9.3.1.1 ग्राम वन समितियों के माध्यम से रोपण

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वनो के विकास के साथ—साथ वन प्रबंधन समिति सदस्यों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये गये है। इसके तहत समिति क्षेत्रों मे लघुवनोपज एवं औषधि पौधों का रोपण, उच्च घनत्व पल्पवुड रोपण एवं फार्म वानिकी को बढावा दिया गया है। लघु वनोपज/औषधीय रोपण की योजना के अंतर्गत मुख्यतः ग्राफ्टेड आंवला, हर्रा, बहेडा एवं बायबिडिंग प्रजातियों का उच्च तकनीक रोपण कराया जा रहा है।

बिगड़े वनों की उत्पादकता बढ़ाने में सघन रोपण एक अहम भूमिका निभाता है। यह रोपण प्रति 4 वर्ष के अंतराल में व्यवासायिक उत्पादन की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार बिगड़े वन क्षेत्र की समितियों के लिये यह रोपण न्यूनतम 3 रोटेशन के आधार पर सतत् आय मूलक गतिविधि के रूप में विकसित हो रहा है। वन प्रबंधन समिति सदस्यों की निजी भूमि पर क्लोनल यूकेलिप्टस पौधो का रोपण किया गया है।

ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/औषधि रोपण, उच्च घनत्व रोपण एवं फार्म वानिकी के अंतर्गत किए गए रोपण का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र (हेक्टे.में)		
		लघुवनोंपज रोपण	उच्च घनत्व	फार्म वानिकी
i.	2009–10	1000	160	150
ii.	2010–11	2250	325	–
iii.	2011–12	–	1462	220
iv.	2012–13	–	450	–
v.	2013–14	880	50	–
vi.	2014–15	1140	–	–
vii.	2015–16	700	–	–
viii.	2016–17	850	–	–
ix.	2017–18	1119	–	–
योग		**7939**	**2447**	**370**

9.3.1.2 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य के वन विकास अभिकरणो के संघ के रूप में राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) का गठन कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन **"वन विकास अभिकरण"** एवं **"संयुक्त वन प्रबंधन समितियों"** को सम्मिलित किया जा रहा है। परियोजना प्रारंभ से वर्ष 2016–17 तक कराए गए रोपणों की जानकारी निम्न तालिका में दर्शित हैः–

क्र.	वर्ष	लक्ष्य (हे.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
i.	2002-03	200	200
ii.	2003-04	6570	3120
iii.	2004-05	12079	12407
iv.	2005-06	11610	12512
v.	2006-07	12055	12768
vi.	2007-08	18210	17787
vii.	2008-09	20820	20820
viii.	2009-10	16696	16696
ix.	2010-11	8715	8715
x.	2011-12	1177	1127
xi.	2012-13	8370	7730
xii.	2013-14	2934	2655
xiii.	2014-15	5491	5491
xiv.	2015-16	4699	4519
xv.	2016-17	4475	4475
योग		**134101**	**131022**

वर्ष 2016—17 में क्षेत्र तैयारी हेतु भारत शासन से राशि प्राप्त ना होने के कारण वर्ष 2017—18 में 2983 हे. में तैयारी कार्य एवं 14515 हे. में रख—रखाव कार्य कराया गया है।

9.3.1.3 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

लोक संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, एक ऐसी जन—केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है ताकि यह क्षेत्र, गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे जीवन की रूप—रेखा बना सके। अतः वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के वनमण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला का विकास किया जा रहा है। इसके तहत मुख्यतः वनक्षेत्र में उपलब्ध औषधीय एवं लघु वनोपज प्रजाति के वनस्पतियों की सुरक्षा एवं संवर्धन, उपलब्ध वनोपजों का विनाश विहीन विदोहन, भू—जल संरक्षण, अग्नि सुरक्षा, आदि कार्य कराए जा रहे हैं। योजना

में परिवर्तन कर वर्ष 2017—18 से लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना हेतु वन घनत्व 0.5 एवं इससे अधिक के 200 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर तक के उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है।

लघु वनोपज/औषधीय प्रजाति के महत्वपूर्ण वानस्पतिक प्रजाति यथा – चिरौंजी, बेल, ऑवला, कुल्लू, माहुल पत्ता, शतावर जैसी विलुप्त होती जा रही प्रजातियों को केंद्रित कर अंतः स्थलीय संरक्षण क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य, चयनित क्षेत्रों को पूर्व की भांति पुनः स्थापित किया जाना भी है, इसलिए ऐसे संग्राहकों की भागीदारी चयनित क्षेत्रों की सुरक्षा में सुनिश्चित की जा रही है, जो उन लघु वनोपज (जैसे – चिरौंजी, गुठली, ऑवला आदि) का संग्रहण करते हैं, जिस पर लोक संरक्षित क्षेत्र केन्द्रित है।

चयनित क्षेत्रों के समीपस्थ स्थानीय निवासियों को वनो की सुरक्षा, विकास, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन में आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 600 हे. क्षेत्र में नवीन अतः स्थलीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। विगत 5 वर्षों में स्थापित अंतः स्थलीय क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वर्ष	अंतः स्थलीय क्षेत्रों की स्थापना (हे.)
i.	2013–14	1000
ii.	2014–15	8000
iii.	2015–16	18264
iv.	2016–17	16120
v.	2017–18	600
	योग	**43984**

9.3.1.4 ग्रीन इंडिया मिशन

भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर आधारित ग्रीन इंडिया मिशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के अंतर्गत राज्य के 11 वनमण्डलों के क्लस्टर आधार पर कुल 80 वन प्रबंधन समितियों/ग्रामों का चयन किया गया है। जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ–साथ वृक्षारोपण, जल मृदा संरक्षण, आस्थामूलक कार्य, रोजगार मूलक कार्य एवं ग्राम विकास कार्यो को सम्मिलित करते हुये चयनित क्षेत्रें का संपूर्ण एकीकृत विकास किया जावेगा। कुल 19128 हे. क्षेत्र में रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसका रख–रखाव वर्ष 2017–18 में कराए जा रहे है।

9.3.2 रोजगार मूलक एवं अधोसंरचना विकास कार्य

वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समिति क्षेत्रों में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न आय वृद्धि मूलक कार्य कराये जा रहे है। विभागीय प्रयास से दूरस्थ वन क्षेत्रों में स्थित वन प्रबंधन समितियां, वन एवं गैर वन आधारित आय वर्धक गतिविधियो के प्रति भी आकर्षित हुई है तथा लाख, शहद, कोसा, जैविक खाद उत्पादन, बॉस प्रसंस्करण, हस्तशिल्प कला, सबई रस्सी निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, रोपणियों का संचालन, उचित मुल्य की दुकान, पर्यटन विकास, एवं परिवहन विकास जैसे कार्यो का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन गतिविधियों से आय में वृद्धि के साथ–साथ वनों में जैविक दबाव में कमी आई है फलस्वरूप वनो की पुनरूत्पादन क्षमता में भी आशातीत वृद्धि हुई है।

9.3.2.1 क्षमता विकास/प्रशिक्षण

वन प्रबंधन समितियों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। प्रशिक्षण की अवधि 4 दिवस की होती है जिसमें 3 दिवस विषय आधारित प्रशिक्षण एवं चौथे दिवस में प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम औसतन 40 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/ सदस्यों हेतु आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों में 30 प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक 6 वन वृत्तों से कुल 324 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12960 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों को प्रशिक्षित गया है। वर्ष 2017–18 में 63 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 2520 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

9.3.2.2 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये रोजगार मूलक कार्य

समिति सदस्यो को अतिरिक्त आय प्राप्त कराने के उद्देश्य से विगत 3 वर्षो में निम्नानुसार अन्य रोजगार मूलक कार्य भी कराये गये है:–

9.3.2.2.1 हस्त शिल्प कला विकास

(बेलमेटल आर्ट , लौह शिल्प , टेराकोटा शिल्प , काष्ठ शिल्पकला)

कोण्डागांव, रायगढ़, बस्तर एवं नारायणपुर वनमण्डलों की कई वन प्रबंधन समितियों के सदस्य राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर के शिल्पकार हैं जो बेलमेटल , काष्ठ कला , लौह शिल्प कला, टेराकोटा कला के कार्य में पारंगत है तथा मूर्तिकला निर्माण कार्य में लगने वाले काष्ठ हेतु पूर्णतः वनो पर आश्रित रहते है।

शिल्पकारो को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने, सशक्तिकरण एवं उनकी कला में नवीन तकनीकों को शामिल करने के दृष्टिगत कोण्डागांव , रायगढ़ एवं बस्तर वनमण्डल में बेलमेटल, टेराकोटा एवं लौह शिल्प कला हेतु परियोजना तैयार कर जमीनी स्तर पर कार्य किया गया है, जिससे शिल्पकारों को आर्थिक रूप सुदृढ़ करने में सफलता मिली है। इस हेतु विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी एवं कोयले के विकल्प के रूप में गैंस भट्ठी, बायोब्रेकटस, आवश्यक उपकरण एवं चक्रीय राशि उपलब्ध कराई गई है। वनमण्डलवार एवं शिल्पवार गठित समूहों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वृत्त	वनमण्डल	निर्मित समूहो की संख्या			
			बेलमेटल	लौह शिल्प	टेराकोटा	काष्ठकला
i.	कांकेर	कोण्डागांव	24	16	03	01
ii.		नारायणपुर	04	––	03	01
iii.	जगदलपुर	बस्तर	14	06	03	32
iv.	बिलासपुर	रायगढ़	12	––	––	––
v.	दुर्ग	दुर्ग	01	––	––	––
		योग –	**55**	**22**	**09**	**34**

राज्य में कुल 120 समूह का गठन किया गया है, जिसमें 1341 शिल्पकार परिवार कार्यरत है। उत्पादित सामाग्रियों का सही मूल्य दिलाने हेतु रायपुर में हैंडिक्राफ्ट एम्पोरियम स्थापित किया गया है जहां से राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बाजार व्यवस्था कर उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

9.3.2.2.2 जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहन

अतिरिक्त आयमूलक गतिविधियों के रूप में जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है जिससे समितियों को रोजगार एवं अतिरिक्त आय प्राप्त होने के साथ–साथ रासायनिक खादों के उपयोग में कमी करते हुए जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है।

9.3.3 वन प्रबंधन समितियों में अधोसंरचना विकास कार्य

सहभागिता के सिद्धांत के आधार पर वन प्रबंधन समितियों में निम्नानुसार विकास कार्य कराए गए है :–

9.3.3.1 स्वच्छ भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में भी वन प्रबंधन समितियों को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाये रखने हेतु छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा योजना तैयार की गई है।

इस कार्यक्रम के तहत समिति क्षेत्र के प्रत्येक घर में शौचालय, सेप्टिक टेंक, पेयजल व्यवस्था, जल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, स्नान चबुतरा एवं पानी निकासी हेतु पक्का नाली निर्माण किये गये है। प्रथम चरण में वृत्तवार समिति क्षेत्र में निर्मित शौचालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.	वृत्त का नाम	समिति की संख्या जहां शौचालय निर्माण किये गये हैं।	निर्मित शौचालयों की संख्या
i.	रायपुर	1	100
ii.	सरगुजा	2	59
iii.	कांकेर	11	932
iv.	दुर्ग	17	316
v.	बिलासपुर	4	220
योगः–		35	1627

9.3.3.2 आस्थामूलक कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन में सदस्यों की आस्था जागृत करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों में आस्थामूलक कार्य कराये जाते हैं जिसके तहत वन प्रबंधन समितियों में स्टापडेम, एनिकट, नहर–नाली, सड़क निर्माण, ट्यूबवेल खनन, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन निर्माण, जैविक खाद निर्माण एवं लघुवनोपज आधारित आय मूलक कार्य कराए गए है। विगत 5 वर्षो में आस्थामूलक कार्य कराए गए समितियों की वृत्तवार संख्या निम्नानुसार हैः–

क्र.	वृत्त का नाम	वर्षवार समितियों की संख्या				
		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
i.	कांकेर	17	03	11	11	11
ii.	जगदलपुर	11	08	9	4	27
iii.	दुर्ग	16	09	9	0	14
iv.	बिलासपुर	16	15	17	7	17
v.	सरगुजा	16	12	12	10	14
vi.	रायपुर	22	11	19	10	10
	योग	**98**	**58**	**77**	**42**	**93**

आस्था मूलक कार्य द्वारा समितियों में सिचाई व्यवस्था

आवागमन हेतु पुल – पुलिया निर्माण

सी.सी. रोड निर्माण द्वारा आवागमन सुविधा

9.3.4 अन्य गतिविधियां

9.3.4.1 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

वनों के विकास एवं पुनरोत्पादन में वृद्वि हेतु समीपस्थ ग्रामवासियों की वनों पर जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राज्य के गरीब परिवारों को **'प्रधानमंत्री उज्जवला योजना'** के तहत एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे है।

योजना अंतर्गत राज्य के 06 वनवृत्तों में से सरगुजा, कांकेर एवं जगदलपुर वृत्तों की वन प्रबंधन समितियों में राज्य कैम्पा निधि से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 5500 एल. पी.जी. कनेक्शन समिति सदस्यों को प्रदाय किए गए है।

9.3.4.2वन प्रबंधन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2017

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत समितियों का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन (सतत् जीवकोपार्जन एवं एकीकृत आदिवासी विकास) कोलकाता में दिनांक 19 से 21 फरवरी, 2017 को आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के 12 सदस्यीय दल ने भाग लिया।

सम्मेलन में छ.ग. राज्य से धमतरी वनमण्डल की वन प्रबंधन समिति मोहदी के अध्यक्ष श्री रोहित कुमार यादव को "आर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग" के क्षेत्र में कार्य एवं प्रस्तुतीकरण हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा बलौदाबाजार व.म. की वन प्रबंधन समिति धमनी के अध्यक्ष श्री रामनारायण यादव को "ट्रायबल नेटवर्किंग एंड फारेस्ट प्रोटेक्शन" के क्षेत्र में कार्य हेतु द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

गया।

राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करते हुये समिति अध्यक्ष

9.3.4.3 वन प्रबंधन समितियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन प्रबंधन समितियों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई है इसके तहत वर्ष 2017 में निम्नानुसार वन प्रबंधन समितियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है :–

i. **प्रथम पुरस्कार** (रू. 1.00 लाख, मेडल एवं प्रमाण पत्र)

वन प्रबंधन समिति, मानिकपुर (बलरामपुर वनमंडल, सरगुजा वृत्त)

ii. **द्वितीय पुरस्कार** (रू. 0.50 लाख, मेडल एवं प्रमाण पत्र)

वन प्रबंधन समिति, महेशपुर, (सूरजपुर वनमंडल, सरगुजा वृत्त)

iii. **तृतीय पुरस्कार** (रू. 0.25 लाख, मेडल एवं प्रमाण पत्र)

वन प्रबंधन समिति, बोरगांव, (केशकाल वनमंडल, कांकेर वृत्त)

10. राष्ट्रीय बांस मिशन

प्रदेश के ग्रामवासियों के जीवन में बॉस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के कुल 59772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बॉस वनों का क्षेत्रफल 11368 वर्ग किलोमीटर है जो कि कुल वन क्षेत्र का 19 प्रतिशत है। इनमें से 53 प्रतिशत बॉस वन बिगड़े हालत में हैं जिनका पुनरोद्धार आवश्यक है। छ.ग. के बांस वनों से व्यापारिक बांस का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 25000 नोशनल टन है, जबकि मांग लगभग 60,000 नोशनल टन की है। राज्य के कुल पंजीकृत 5041 बसोड़ परिवार बांस के उत्पाद बेचकर अपना जीवन यापन करते है। बसोड़ो को प्रदत्त बसोड बही पर उपलब्धतानुसार बसोड़ दर पर 1500 बांस प्रति बसोड़ प्रदाय किया जाता है।

10.1 मिशन के मुख्य उद्देश्य –

i. वन क्षेत्र, गैर वन क्षेत्र में बांस रोपण, बिगड़े बांस वनों का पुनरोद्धार एवं किसानों के निजी पड़त भूमि में बांस की खेती को प्रोत्साहित करना।

ii. बसोड़ एवं बांस उद्योग से जुड़े परम्परागत समुदायों के क्षमता का उन्नयन करना।

iii. राज्य स्तर पर बांस एवं बांस के नवीनतम उत्पाद को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

10.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बांस मिशन से संबंधित वर्ष 2006–07 से अब तक की प्रमुख उपलब्धियाँ

i. बांस मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक राज्य के 32 वन विकास अभिकरणों के वन क्षेत्रों में 15708 हे. बॉस रोपण, किसानों की निजी भूमि में 5352 हे. बॉस रोपण, 13258.5 हे. क्षेत्र में बिगड़े बॉस वनों/गैर वन क्षेत्र में भिर्रों का सुधार तथा 279 हे. राजस्व क्षेत्र में बॉस रोपण किया गया है।

ii. 28 बांस केन्द्रों की स्थापना, किसानों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 29 महिला रोपणी एवं 28 किसान रोपणी की स्थापना की गई है तथा 38 केन्द्रीय रोपणी विभिन्न वन विकास अभिकरणों में स्थापित की गई है।

iii. वर्ष 2006–07 से अबतक 2427 कृषकों को राज्य के भीतर तथा 73 को राज्य के बाहर, 1561 क्षेत्रीय अमला को प्रशिक्षण एवं 412 बांस शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

iv. वर्ष 2006–07 से अबतक 03 राज्य स्तरीय एवं 33 जिला स्तरीय कार्यशाला/सेमीनार आयोजित किये गये हैं।

v. वर्ष 2015–16 के पश्चात् भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा योजनान्तर्गत नवीन कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है। केवल पूर्व के वर्षो में किए गए रोपण के रखरखाव हेतु राशि दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में बसोड़, कंडरा जाति के लोग प्रदेश के विभिन्न भागों में निवासरत है। बिरहोर, पण्डो, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग बिलासपुर वृत्त के कोरबा तथा धरमजयगढ़ वनमण्डल तथा सरगुजा वृत्त के वनमण्डलों में निवास करते हैं। बैगा जनजाति के लोग कटघोरा एवं कवर्धा वनमण्डल में निवास करते हैं ये सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है। वर्तमान में बांस की छोटी–मोटी वस्तुएं बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। इन वस्तुओं से इतनी आमदनी नहीं हो पाती जिससे इनका जीवन स्तर विकसित हो सके।

इस हेतु प्रदेश के वनों में बांस रोपण, किसानों की पड़त भूमि में बांस रोपण को बढ़ावा देने, बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। बसोड़, कमार, कंडरा, बिरहोर, पण्डो, पहाड़ी कोरवा जाति के बांस शिल्पकारों हेतु योजनायें लागू की गई है। जीवन यापन हेतु बांस पर आधारित समुदायों के आर्थिक स्थिति में सुधार, उच्च गुणवत्ता के बांस पौधों का अधिक से अधिक से रोपण कर बांस वनों के क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय बॉंस मिशन द्वारा बांस की सामग्री बनाने वाले परिवारों को प्रशिक्षित कर बाजार उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 28 बॉंस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की गई है। बॉंस प्रसंस्करण केन्द्रों को वर्ष 2017–18 में सक्रीय रूप से संचालन, शिल्प निर्माण, विक्रय एवं चक्रीय निधि के रूप में राशि रूपये 66.00 लाख का आबंटन किया गया है। बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में बांस विपणन केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है तथा इस दिशा में रायपुर मुख्यालय में बांस विपणन एवं विक्रय हेतु बैम्बू एम्पोरियम केन्द्र की स्थापना 02 नवम्बर, 2010 में की गयी है एम्पोरियम से अब तक रूपये 140.00 लाख की सामग्री का विक्रय किया जा चुका है।

10.3 छत्तीसगढ़ के बॉंस शिल्पकारों द्वारा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

राष्ट्रीय बॉंस मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2006–07 से अब तक 53 राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के मेलों में छत्तीसगढ़ के 332 बॉंस शिल्पकारों द्वारा भाग लिया जा कर रूपये 41.27 लाख मूल्य की बॉंस सामग्री का विक्रय किया गया है।

10.4 राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बॉंस मिशन की जनहित की योजनाऍं

जन जीवन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बॉंस की उपयोगिता को देखते हुए राष्ट्रीय बॉंस मिशन के सहयोग से वन विभाग द्वारा बॉंस रोपण को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ के किसानों की निजी भूमि में वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक कुल 5352 हे. क्षेत्र में बॉंस रोपण किया गया है। प्रथम वर्ष में बॉंस रोपण हेतु 13.125 रूपये निर्धारित है तथा रोपण पश्चात् प्रति पौधा रूपये 13/–(6.50–6.50) आगामी दो वर्षों में जीवित पौधों की संख्या के आधार पर अनुदान दिया गया है।

10.4.1 मुख्यमंत्री बाड़ी बॉंस योजना –

यह योजना वर्ष 2016–17 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत किसानों के घरों से लगी हुई बाड़ियों में प्रति हितग्राही 5–50 बॉंस के उच्च गुणवत्ता के टिश्यू कल्चर के *Bambusa balcooa, Bambusa nutans, Bambusa tulda, Dendrocalamus asper* तथा सामान्य प्रचलित प्रजाति *Dendrocalamus Strictus* के 2.62 लाख पौधों का रोपण कराया गया, जिससे आगामी वर्षों में बांस की पर्याप्त निस्तार आपूर्ति ग्रामीणों की बाड़ियों से हो सकेगी तथा ग्रामीणों की वनों एवं वन विभाग पर निर्भरता कम होगी तथा सतत् रूप से आय का अर्जन हो सकेगा।

वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत प्रति हितग्राही 5 से 500 बांस के उच्च गुणवत्ता के टिश्यू कल्चर के *Bambusa balcooa, Bambusa tulda* तथा हितग्राहियों के मांग अनुसार प्रचलित प्रजाति *Dendrocalamus Strictus* के 3.43 लाख बांस पौधों का रोपण कार्य किया है। योजनान्तर्गत जीवित पौधों के आधार पर 5/– प्रति पौधा की दर से दो वर्षो तक रख –रखाव हेतु अनुदान राशि दी जाती है।

11. भू–प्रबंध

11.1 प्रस्तावना

i. भू–प्रबंध प्रभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रकरणों के पंजीयन, प्रसंस्करण, क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

ii. असीमांकित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है।

iii. 1980 के पूर्व के वन मार्गो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत उन्नयन/ डामरीकरण पक्की करने हेतु अनुमोदन तथा 1980 के बाद के सड़कों में कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाता है।

vi. अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अंतर्गत 3 पीढ़ियों से निवासरत काबिजों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है।

v. नारंगी क्षेत्रों तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित क्षेत्रों के सीमांकन व मुनारे निर्माण कार्य।

11.2 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वन क्षेत्रों से गुजर रहे मार्गो के उन्नयन अंतर्गत कुल 1082 मार्गो के उन्नयन की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें राजनांदगांव के 56, बालोद के 14, कवर्धा के 66, दंतेवाड़ा के 32, सुकमा के 8, बीजापुर के 15, बस्तर के 76, धमतरी के 43, महासमुन्द के 25, बलोदाबाजार के 10, गरियाबंद के 40, रायगढ़ के 26, बिलासपुर के 27, जांजगीर–चांपा के 1, कोरबा के 51, कांकेर के 89, कोण्डागांव के 119, नारायणपुर के 12, बलरामपुर के 76, सरगुजा के 78, सूरजपुर के 73, जशपुर के 34 एवं कोरिया के 111 मार्ग सम्मिलित है।

11.3 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा 13.12.2005 तक के वन क्षेत्रों में काबिज कुल 1,83,675 आवेदकों के आवेदन प्राप्त हुये थे जिसमें से 1,05,778 आवेदन को मान्य किया गया है। इस अनुक्रम में 1,04,809 व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किये जा चुके है।

- जो व्यक्ति छूट गए है अथवा जिनके आवेदन निरस्त हुए एवं जिन्हे सूचना प्राप्त नहीं हुई उनके प्रकरणों पर विचारार्थ पुनः एक अभियान प्रारंभ किया गया है जिसके तहत 93,042 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिसमें से 55,420 आवेदन को मान्य किया गया है। अब तक 55,415 व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किये गये है।

क्र	वृत्त का नाम	वितरित मान्यता पत्र				वितरित सामुदायिक अधिकार पत्र
		प्रथम चरण (31.12.2012 तक)		द्वितीय चरण (31.12.2012 के बाद)		
		व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	
i.	दुर्ग	7774	9044.085	6912	8300.088	706
ii.	जगदलपुर	13992	17065.206	2781	5038.715	289
iii.	कांकेर	24095	32423.913	6418	6593.761	1268
iv.	सरगुजा	24105	19331.414	16510	8581.384	409
v.	बिलासपुर	16033	12710.455	17580	8970.524	357
vi.	रायपुर	18810	25067.002	5523	7669.797	164
योग		1,04,809	1,15,642.075	55415	44660.725	3520

धारा 3 (2) अंतर्गत 196 विकास कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11.4 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रकरण

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो हेतु वन भूमि व्यपवर्तन के छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:—

राज्य निर्माण उपरांत अब तक कुल 339 (सिंचाई 70, खनिज 63, विद्युत 80, एवं विविध 126 प्रकरणों) परियोजनाओं की राज्य शासन एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं नई दिल्ली (GoI, MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

राज्य निर्माण के पूर्व स्वीकृत विकास परियोजनायें — 145

राज्य निर्माण के उपरांत माह दिसंबर, 2017 तक

अंतिम स्वीकृत परियोजनायें — 339

:: कुल योग :: **484**

लीनियर परियोजना के लिए भारत सरकार के गाईडलाईन दिनांक 28.08.2015 अनुसार 13 प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर कार्य अनुमति जारी किया गया है।

11.5 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ — 20—42/ 2013/ 25—2 दिनांक 23.11.2013 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 423 वन ग्रामों में से 419 वन ग्राम एवं 9 बसाहट ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुल 428 ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन कर परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण राजस्व विभाग को किया जा चुका है। तदाशय की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

11.6 नांरगी वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) (ग) अंतर्गत 3,19,553.284 हे. का प्रस्ताव अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

12. उत्पादन

12.1 विदोहन

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपो के विदोहन से वर्ष 2016—17 में वन वृत्त वार निम्नानुसारवनोपज उत्पादन हुआ :—

वर्ष 2016—17 में काष्ठ का उत्पादन

वृत्त	इमारती काष्ठ (घ.मी)	बल्ली		डेंगरी		जलाऊ चट्टा (नग)
		नग	घ.मी	नग	घ.मी	
रायपुर	**5757**	**58375**	**1289**	**105563**	**1627**	**23451**
बिलासपुर	**22132**	**111532**	**2539**	**51002**	**1635**	**30919**
दुर्ग	**10830**	**92740**	**1766**	**44961**	**411**	**21895**
सरगुजा	**18823**	**67635**	**1327**	**38229**	**1169**	**15738**
कांकेर	**3759**	**20087**	**498**	**323**	**5**	**4694**
जगदलपुर	**5270**	**6120**	**130**	**2238**	**29**	**3024**
योग	66571	356489	7549	242316	4876	99721

वर्ष 2016—17 में बांस का उत्पादन

वृत्त का नाम	व्यापारिक बांस(नो.टन)	औद्योगिक बांस(नो.टन)	योग
रायपुर	**2286**	**1153**	**3439**
बिलासपुर	**340**	**1011**	**1351**
दुर्ग	**4255**	**7895**	**12150**
सरगुजा	**0**	**0**	**0**
कांकेर	**410**	**895**	**1305**
जगदलपुर	**260**	**101**	**361**
योग	7551	11055	18606

काष्ठ एवं बांस के निवर्तन हेतु प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में 27 काष्ठागार एवं 15 बांसागार स्थापित हैं। इन आगारों में काष्ठ/बांस का निवर्तन घोष विक्रय द्वारा किया जाता है, जबकि औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है।

12.2 निस्तार व्यवस्था :–

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तारी दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है। 5 कि.मी. परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर पर वनोपज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2017 में निस्तार सीजन में वृत्तवार निम्नानुसार वनोपज उपलब्ध एवं प्रदाय किया गया है :–

अनु. क्र.	वृत्त	निस्तार डिपो की संख्या	बांस (नग में)		बल्ली (नग में)		जलाऊ चट्टे	
			डिपो में उपलब्ध कराया गया	प्रदाय किया गया	डिपो में उपलब्ध कराया गया	प्रदाय किया गया	डिपो में उपलब्ध कराया गया	प्रदाय किया गया
i.	रायपुर	94	236115	113806	12673	3759	21697	15265
ii.	बिलासपुर	92	46123	16797	6312	1336	2729	480
iii.	दुर्ग	88	323775	315520	3154	2153	998	859
iv.	सरगुजा	178	35014	10237	10479	2414	6453	1783
v.	कांकेर	149	147900	114405	6765	1150	1035	743
vi.	जगदलपुर	106	39285	22763	3392	1675	2926	2477
योग		707	828212	593528	42775	12487	35838	21607

12.3 बसोडों को बांस प्रदाय :–

शासन द्वारा बसोड़ों को प्रति वर्ष 1500 नग रॉयल्टी मुक्त बांस प्रदान किये जाने का प्रावधान है। कैलेण्डर वर्ष 2017 में 5170 पंजीकृत बसोड़ों को कुल 10.74 लाख नग बांस प्रदाय किया गया है ।

13. अनुसंधान एवं विस्तार प्रभाग

13.1 उद्देश्य

- देश के विभिन्न वन अनुसंधान संस्थानों के द्वारा किये गये अनुसंधानों को विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों में प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु कार्य करना।
- विभागीय वनक्षेत्रों एवं कृषकों/अन्य की निजी भूमि पर रोपण किये जाने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों के उन्नत पौधों का उत्पादन एवं वितरण।
- क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को विभिन्न प्रजातियों की रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
- राज्य में निजी क्षेत्र में वानिकी को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

13.2 अनुसंधान एवं विस्तार संस्थागत संरचना

वन एवं वनेत्तर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने एवं इस हेतु वन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के 03 मुख्य एग्रोक्लाइमैटिक जोन्स में अधोसंरचना तथा सुविधा का विकास करते हुए निम्नानुसार 03 अनुसंधान एवं विस्तार सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई :—

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)

वनमण्डलाधिकारी
रायपुर
परिक्षेत्र
1 राजिम विस्तार इकाई
2 रायपुर विस्तार इकाई
3 महासंमुद विस्तार इकाई
4 सराईपाली विस्तार इकाई
5 कसडोल विस्तार इकाई
6 रायपुर— अनुसंधान इकाई

वनमण्डलाधिकारी (अनु.एवं वि.)
बिलासपुर
परिक्षेत्र
1 बिल्हा विस्तार इकाई
2 कोटा विस्तार इकाई
3 कोरबा विस्तार इकाई
4 पेंड्रा विस्तार इकाई
5 पटिया विस्तार इकाई
6 अकलतरा विस्तार इकाई

वनमण्डलाधिकारी (अनु.एवं वि.)
जगदलपुर
परिक्षेत्र
1 गीदम विस्तार इकाई
2 बीजापुर विस्तार इकाई
3 बस्तर विस्तार इकाई
4 तोकापाल विस्तार इकाई
5 कोण्टा विस्तार इकाई
6 जगदलपुर विस्तार इकाई

13.3 हरियाली प्रसार योजना (2533) के अंतर्गत वर्ष 2017—18 में आबंटित राशि

वित्तीय वर्ष 2017—18 में कुल प्राप्त बजट आबंटन (लाख में)	वृत्त का नाम	मद का नाम हरियाली प्रसार योजना (2533)	आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	10
6300.00	जगदलपुर	41—2406	**1578.88**
	कांकेर	41—2406	**1258.74**
	सरगुजा	41—2406	**317.72**
	दुर्ग	64—2406	**1115.79**
	बिलासपुर	64—2406	**1097.02**
	रायपुर	10—2406	**720.00**
		41—2406	**9.88**
	योग रायपुर :—		**729.88**
6300.00	महायोग		**6098.03**

13.4 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017—18 में आबंटित राशि

बजट प्रावधान	वर्तमान में प्राप्त आबंटन	मद का नाम 5089 राज्य में वानिकी अनुसंधान	कुल आबंटित राशि (लाख में)			
			रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या 10—2406 (5089)						
72.98	72.98	# 02 मजदूरी	25.50	18.68	28.80	**72.98**
45.32	45.32	# 25 सामग्री और पूर्तियां 006 अन्य व्यय	15.27	11.77	18.28	**45.32**
118.30	**118.30**	योग :-	**40.77**	**30.45**	**47.08**	**118.30**
मांग संख्या 10—4406 (5089)						
6.00	6.00	# 28 मशीन और उपकरण 006 अन्य व्यय	2.85	1.80	1.35	**6.00**
6.00	**6.00**	योग :—	**2.85**	**1.80**	**1.35**	**6.00**
124.30	**124.30**	महायोग :—	**43.62**	**32.25**	**48.43**	**124.30**

13.5 मांग संख्या 41—2406 (4475) सामाजिक वानिकी आयोजना मद के अंतर्गत वर्ष 2017—18 में आबंटित राशि

विकास/योजना शाखा से प्राप्त आबंटन	क्षेत्रीय अधिकारियों को आबंटित राशि (लाख में)				
	रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	दुर्ग	योग
1	2	3	4	5	6
246.09 लाख	10.00	10.00	10.00	0.00	**30.00**
	8.00	5.00	3.00	0.00	**16.00**
	0.00	15.00	0.00	0.00	**15.00**
	0.00	0.00	1.45	0.00	**1.45**
	0.00	6.00	0.00	0.00	**6.00**
	0.00	0.00	0.00	5.00	**5.00**
	0.00	6.00	0.00	0.00	**6.00**
	0.50	0.00	0.00	0.00	**0.50**
	0.00	0.00	148.88	0.00	**148.88**
	0.00	0.00	1.50	0.00	**1.50**
योग :—	**18.50**	**42.00**	**164.83**	**5.00**	**230.33**

13.6 (4475) सामाजिक वानिकी योजना आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत वर्ष 2017—18 में आबंटित राशि

मद का नाम	बजट प्रावधान	वित्त/बजट से प्राप्त कुल राशि	कुल आबंटित राशि (लाख में)			
			रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7
(4475)— सामाजिक वानिकी						
#02 मजदूरी	2.75	2.75	0.91	0.91	0.93	**2.75**
#009 विज्ञापन एवं प्रचार	1.65	1.65	0.55	0.55	0.55	**1.65**
#024 अनुरक्षण कार्य						
001 मोटर गाड़ी,	2.75	2.75	0.91	0.91	0.93	**2.75**
002 मशीन उपकरण,	2.20	2.20	0.73	0.73	0.74	**2.20**
012 अन्य अनुरक्षण कार्य	1.65	1.65	0.55	0.56	0.54	**1.65**
#025 सामाग्री और पूर्तियां						
006 अन्य व्यय	10.00	10.00	3.33	3.34	3.33	**10.00**
योग योजना—(4475)	**21.00**	**21.00**	**6.98**	**7.00**	**7.02**	**21.00**

13.7 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पृ.क्र./1886/1969/2015/10–2/बजट, दिनांक 03.07.15 के द्वारा हरियाली प्रसार योजना वर्ष 2015–16 के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देश निम्नानुसार है

- **योजना का संक्षिप्त विवरण :–** योजना के अंतर्गत **प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समस्त वर्ग** हेतु इच्छुक कृषकों को उनकी **इच्छित प्रजाति** के **न्यूनतम 50 पौधे तथा अधिकतम 5000 पौधे प्रति कृषक रोपित** कर हस्तांतरित किये जायेंगे। जहां तक **ग्राफ्टेड फलदार पौधे** के रोपण का प्रश्न है, **प्रति कृषक अधिकतम 50 पौधे का रोपण** किया जायेगा।

  (2) इस रोपण में प्रति पौधा 22 रूपये सामान्य पौधों के लिये, 23.25 रुपये क्लोनल पौधों के लिये तथा 43.25 रू. ग्राफ्टेड फलदार पौधों के लिये व्यय आंकलित है जिसमें प्रथम वर्ष में पौधा तैयारी, पौधा परिवहन, रोपण, 2 बार निदाई एवं खाद/कीटनाशक तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में खाद/कीटनाशक व जीवित पौधों पर अनुदान का व्यय शामिल हैं।

- **रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां :–** खम्हार, बांस, सागौन, आंवला, कटहल, अमरूद, नींबू नीलगिरी, सिरस, मुनगा, शीशू, तथा शरीफा इत्यादि।

- **योजना के क्षेत्र :–** योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी। कम वन क्षेत्र वाले जिलों दुर्ग, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, बालोद तथा आदिवासी बहुल जिलों में मांग के अनुसार अधिक लक्ष्य दिया जावेगा।

- **योजना लागत :–** **बजट उपलब्धता** के आधार पर **प्रतिवर्ष वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों** का **निर्धारण** किया जावेगा।

- **योजना से लाभ :–**
  - ➢ वामपंथ उग्रवाद एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार का सृजन
  - ➢ प्रति वर्ष लगभग **20 लाख मानव दिवस** रोजगार का सृजन।
  - ➢ पड़त भूमि का विकास।
  - ➢ आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गो के आय में वृद्धि।
  - ➢ पर्यावरण में सुधार।
  - ➢ वनोपज के उत्पादन में वृद्धि।
  - ➢ गैर वनभूमि में वानिकी विस्तार।

13.7.1 योजना के अंतर्गत 03 वर्षों में किये जाने वाले व्यय का नॉर्म्स निम्नानसुार है

क्र.	पौधों का प्रकार	अधिकतम प्रति पौधा व्यय 03 वर्षो में
i.	साधारण पौधा	22/-
ii.	क्लोनल पौधा	23.25/-
iii.	फलदार ग्राफ्टेड पौधा	43.25/-

13.7.2 योजना के अंतर्गत मदवार व्यय का नॉर्म्स निम्नानुसार है

वर्ष	कार्य का विवरण	साधारण पौधा	क्लोनल पौधा	फलदार पौधा
प्रथम वर्ष	पौधे का मूल्य	7.25 रू.	8.50 रू.	28.50 रू.
	परिवहन	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	स्टैकिंग, जुताई एवं रोपण	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जुताई तथा निंदाई, गुढ़ाई	2.75 रू.	2.75 रू.	2.75 रू.
	कीटनाशक एवं खाद्	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	प्रथम वर्ष का योग	16 रू.	17.25 रू.	37.25 रू.
द्वितीय वर्ष	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/कीटनाशक एवं दवा	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जीवित पौधों हेतु हितग्राही को रखरखाव हेतु अनुदान	1.00 रू.	1.00 रू.	1.00 रू.
	द्वितीय वर्ष का योग	3.00 रू.	3.00 रू.	3.00 रू.
तृतीय वर्ष	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/कीटनाशक एवं दवा	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जीवित पौधों हेतु हितग्राही को रखरखाव हेतु अनुदान	1.00 रू.	1.00 रू.	1.00 रू.
	तृतीय वर्ष का योग	3.00 रू.	3.00 रू.	3.00 रू.
महायोग		22.00 रू.	23.25 रू.	43.25 रू.

13.7.3 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में रोपण का वृत्तवार विवरण

क्र.	वृत्त का नाम	हितग्राहियों की संख्या	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)			
			साधारण पौधा	क्लोनल पौधा	ग्राफ्टेड फलदार पौधा	कुल पौधा
1	2	3	4	5	6	7
i.	कांकेर	6192	6.45	67.84	0.00	74.29
ii.	दुर्ग	2960	1.08	53.64	0.00	54.72
iii.	सरगुजा	5734	6.27	9.00	0.50	15.77
iv.	जगदलपुर	3182	0.50	58.98	0.00	59.48
v.	बिलासपुर	8309	11.22	32.07	0.00	43.29
vi.	रायपुर	2616	1.60	39.56	0.10	41.26
योग :—		28993	27.12	261.09	0.60	288.81

13.7.4 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में रोपण का वृत्तवार विवरण

क्र.	वृत्त का नाम	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)					हितग्राहियों की संख्या
		साधारण	क्लोनल नीलगिरी	क्लोनल केजुरिना	ग्राफ्टेड	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
i.	कांकेर	1.50	53.25	0.00	1.43	56.18	3398
ii.	सरगुजा	4.85	8.15	0.00	0.00	13.00	3931
iii.	रायपुर	1.11	43.62	0.00	0.00	44.73	2352
iv.	जगदलपुर	0.00	75.06	0.00	0.00	75.06	3312
v.	बिलासपुर	9.94	45.01	2.75	0.00	57.70	5187
vi.	दुर्ग	3.28	46.90	0.00	0.00	50.18	3217
महायोग :—		20.68	271.99	2.75	1.43	296.85	21397

- हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत **प्रथम 05 वर्षों (2005—06 से 2009—10)** में वर्ष **2005—06** में **27.03** लाख, वर्ष **2006—07** में **31.08** लाख, वर्ष **2007—08** में **17.45** लाख, वर्ष **2008—09** में **79.92** लाख एवं वर्ष **2009—10** में **03 लाख** पौधों का रोपण कराया गया। इस प्रकार **प्रथम 05 वर्षों में 158.48 लाख** पौधे रोपित किये गये।

13.7.5 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत द्वितीय 08 वर्षों में रोपित पौधों का विवरण

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्षाऋतु	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
हरियाली प्रसार योजना (2533)	2010—11	2010	65.56	19414
	2011—12	2011	33.50	9985
	2012—13	2012	44.27	7542
	2013—14	2013	44.21	6235
	2014—15	2014	98.18	9319
	2015—16	2015	255.10	46120
	2016—17	2016	288.81	28993
	2017—18	2017	296.85	21397
योग			**1126.48**	**149005**

- विगत 13 वर्षों में हरियाली प्रसार योजना के अंतगर्त कुल 12.85 करोड़ पौधों का रोपण कृषकों की लगभग 48195 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है।

13.7.6 राज्य में उच्च गुणवत्ता के बीजों के संग्रहण हेतु निर्मित बीजोद्यान क्षेत्रों का विवरण

वनमंडल का नाम	अंकुर बीज उद्यान (SSO)		क्लोनल बीज उद्यान (CSO)		बीज उद्यान क्षेत्र (SPA)		प्रदर्शन क्षेत्र		कलिंग ऑर्चर्ड	
	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में
अनु. एवं वि. बिलासपुर	4	60.0	5	45.0	10	255.86	1	10.00	0	0.00
रायपुर	5	65.0	6	65.0	12	169.90	1	10.00	0	0.00
अनु. एवं वि. जगदलपुर	3	80.5	3	55.0	3	120.00	2	20.00	1	7.00
योग :—	**12**	**205.5**	**14**	**165.0**	**25**	**545.76**	**4**	**40.00**	**1**	**7.00**

13.8 स्कूल रोपणी योजना :–

- **योजना का मुख्य उद्देश्य,** विद्यालय में अध्ययनरत् किशोर विद्यार्थियों को प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति सजग करना है।
- विद्यालय रोपणी योजना में **कक्षा 6 से 8 तक** के विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया जाना है।
- 'विद्यालय रोपणी योजना' हेतु ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिनके परिसर में कम से कम **100 वर्गमीटर** (लगभग 1000 वर्ग फीट) की **खुली जगह**, रोपणी की स्थापना हेतु उपलब्ध हो।
- ऐसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां **ईको क्लब सक्रिय** रूप से संचालित है।
- **प्रथम वर्ष** में चयनित शालाओं को **रोपणी की अधोसंरचना** तैयार करने तथा **1000 पौधों की तैयारी** हेतु वन विभाग के द्वारा रु. **25000/–** की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि **"राष्ट्रीय कैम्पा"**, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- **आगामी 2 वर्षो** तक योजना का **सफल क्रियान्वयन करने** वाली शालाओं को रोपणी के रख रखाव एवं **आगामी 02 वर्षो में प्रतिवर्ष एक–एक हजार पौधें** तैयार करने हेतु **प्रतिवर्ष रु. 10000/–** का अनुदान दिया जाएगा।
- **छत्तीसगढ़ राज्य के 17 जिलों में 50 शालाओं का चयन कर प्रथम वर्ष के कार्य हेतु कुल राशि रू. 12.50 लाख (प्रति शाला राशि रू. 25000/–) का बजट आबंटन किया गया है।**
- विद्यालय रोपणी योजना' का क्रियान्वयन, चयनित विद्यालय एवं वन विभाग के क्षेत्रीय अमले के द्वारा मिल कर किया जाना है।
- क्षेत्र एवं रुचि के अनुसार प्रजातियों का चयन कर यथासंभव कम से कम **50 झाड़ीनुमा पौधे गमलों** में, **350_फलदार प्रजातियों**, **350 शोभाकार वृक्ष प्रजातियों** तथा **250 औषधीय प्रजातियों** के पौधे रोपणी में तैयार किए जाएंगे ।
- इन पौधों का निर्वतन छात्रों द्वारा विद्यालय परिसर, आवासीय कालोनी एवं आस –पास रोपण एवं रखरखाव कर, शाला में पधारे विशिष्ट जनों को उपहार स्वरूप भेंट कर, तथा उपयुक्त अवसरों में स्थानीय जनता को वितरित कर किया जाएगा।

जिलेवार चयनित 50 स्कूलों का विवरण

जिला का नाम	स्कूलों की संख्या	प्रथम वर्ष हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	जिला का नाम	स्कूलों की संख्या	प्रथम वर्ष हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)
दुर्ग	7	1.75	सरगुजा	1	0.25
बेमेतरा	5	1.25	बस्तर	2	0.50
बालोद	6	1.50	बीजापुर	1	0.25
महासमुंद	2	0.50	दंतेवाड़ा	1	0.25
रायपुर	4	1.00	नारायणपुर	2	0.50
कोरिया	1	0.25	कोण्डागांव	1	0.25
सूरजपुर	2	0.50	मुंगेली	2	0.50
बलरामपुर	4	1.00	बिलासपुर	8	2.00
जशपुर	1	0.25			0
योग :–	**32**	**8.00**		**18**	**4.50**

टीप :— कुल जिलों की संख्या — 17
कुल स्कूलों की संख्या — 50
कुल स्वीकृत राशि रू. (प्रथम वर्ष 2016—17 हेतु) — 12.50 लाख

- **स्कूल नर्सरी योजना अंतर्गत 46 स्कूलों में द्वितीय वर्ष 2017—18 में 1000 पौधे तैयार करने एवं तैयार नर्सरी के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। 04 स्कूलों में प्रथम वर्ष का कार्य किया जा रहा है।**

13.8.1 स्कूल नर्सरी योजना हेतु चयनित प्रजातियां

फलदार प्रजातियां :—

1.	आम	2.	अमरुद	3.	इमली
4.	महुआ	5.	जामुन	6.	मुनगा
7.	सीताफल	8.	चीकू	9.	कटहल
10.	बेल	11.	करौंदा		

सजावटी वृक्ष प्रजातियां :—

1.	स्पेथोडिया	2.	झारुल
3.	कचनार	4.	अमलतास
5.	अशोक (सीता एवं ड्रूपिंग)	6.	गुलमोहर
7.	पेल्टाफोरम	8.	कैसिया सेमिया
9.	सल्फी		

औषधीय प्रजातियां :—

1.	आंवला	2.	हर्रा
3.	बहेड़ा	4.	काला बन्सा
5.	गिलोय	6.	मोर पंखी
7.	सतावर	8.	मेहंदी
9.	निरगुण्डी		

झाड़ी प्रजातियां :—

1.	गुड़हल	2.	बोगन विलिया
3.	चम्पा	4.	टिकोमा
5.	बांस		

छायादार वृक्ष :—

1.	नीम	2.	पीपल
3.	बरगद	4.	कुसुम

• <u>हरियाली प्रसार योजना</u> –

- <u>हरियाली प्रसार योजना</u> –

योजना का नाम – हरियाली प्रसार योजना, क्लोनल निलगिरी रोपण
हितग्राही का नाम – सोभा/ सुकालू
ग्राम – तितरवण्ड, रोपित पौधों की संख्या– 1000 , रोपण वर्ष – 2014
वन परिक्षेत्र बडेराजपुर – वन मंडल केशकाल फोटोग्राफी दिनांक – 18. 09. 2016

केशकाल वनमंडल अंतर्गत हितग्राही द्वारा अंतरवर्तीय फसल के तहत अदरक की खेती

1.5 वर्ष के नीलगिरी पंक्तियों के बीच में पालक की फसल

स्कूल नर्सरी योजना –

शा. उ. मा. वि. बडगांव
स्कूल नर्सरी योजना 2016–17
परिक्षेत्र – लोहारा
वनमंडल – बालोद

शा.उच्च.माध्य.विद्यालय भंवरमरा
वन परिक्षेत्र – डौण्डी लोहारा
वन मंण्डल – बालोद (छ.ग.)

14. मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य में छः वन विद्यालय जगदलपुर, महासमुंद, सक्ती, कवर्धा, भानुप्रतापपुर एवं अम्बिकापुर जिले में स्थापित किये गये हैं। वन विद्यालय जगदलपुर में अप्रशिक्षित वनपाल एवं वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं, एवं शेष पांच वन विद्यालयों में अप्रशिक्षित वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वनपाल कौशल उन्नयन प्रशिक्षण अवधि छः सप्ताह एवं वनरक्षक प्रशिक्षण छः माह हैं।

14.1 वनपाल– कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम

विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
वन विद्यालय, जगदलपुर	01.01.17 से 15.02.17	35
	01.03.17 से 15.04.17	43
	01.05.17 से 15.06.17	42
	01.07.17 से 15.08.17	33
	01.09.17 से 15.10.17	39
कुल		192

14.2 वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	वन विद्यालय, जगदलपुर	01.01.2017 से 30.06.2017	13
		01.07.2017 से 31.12.2017	38
		01.11.2017 से 30.04.2018	44
	कुल		95
2	वन विद्यालय, महासमुंद	01.01.2017 से 30.06.2017	18
		01.11.2017 से 30.04.2018 (गेमगार्ड प्रशिक्षण)	73
	कुल		91
3	वन विद्यालय, सक्ती	01.01.2017 से 30.06.2017	21
		01.11.2017 से 30.04.2018	64
	कुल		85
4	वन विद्यालय, भानुप्रतापपुर (अंतागढ़)	01.01.2017 से 30.06.2017	20
	कुल		20
6	वन विद्यालय, अंबिकापुर	01.01.2017 से 30.06.2017	16
	कुल		16

14.3 भारतीय वन सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण

छत्तीसगढ राज्य में पदस्थ भारतीय वन सेवा स्तर के अधिकारियों को वर्ष 2017 में प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लेने हेतु विभिन्न संस्थान भेजे गये :–

प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अधिकारियों की संख्या
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून/ टी.आई.आर.आई. नई दिल्ली/ आई.आई.एफ.एम. भोपाल/ ए.एस.सी.आई. हैदराबाद/ डब्ल्यू.आई.आई. देहरादून/ आई.आई.एम. लखनाउ/ आई.पी.पी.ए. नई दिल्ली/ के.एफ.आर. आई. पिच्वी/ एफ.एस.आई. देहरादून/ आई.आई.एम. बैंगलोर इत्यादि	115

14.4 राज्य वन सेवा अधिकारियों एवं वन क्षेत्रपालों का प्रशिक्षण

सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रपाल को वर्ष 2017 में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया :–

क.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सहायक वन संरक्षक	वन क्षेत्रपाल
1.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय/ बर्निहाट/ कोयम्बटूर/ देहरादून/ भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून/ वन अनुसंधान संस्थान देहरादून/ पूर्वी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय कुर्सयांग/ छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर	27	26

14.5 JICA परियोजना (Japan International Corporation Agency)

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (JICA) से सहायता प्राप्त "Capacity Development Forest Management and Training of Personnel" के अंतर्गत वन विद्यालयों की अधोसंरचना के विकास, मैदानी स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता विकास तथा वन विद्यालयों में उत्तम प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने देश के 10 राज्यों का चयन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।

इस परियोजना अंतर्गत छ.ग. राज्य में निम्नानुसार कार्य चल रहा है :–

- **भवन निर्माण/उन्नयन कार्य** वन विद्यालय महासमुन्द एवं जगदलपुर में चल रहा है। जिसके अंतर्गत वर्तमान में आबंटन एवं व्यय संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वन विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि 80%	द्वितीय किश्त आबंटित राशि	व्यय राशि		
				Eligible	Non-Eligible	Total
महासमुन्द	487.02	389.62	39.23	387.41	10.88	398.30
जगदलपुर	499.09	399.27	44.12	394.86	12.93	407.80

- दोनो वन विद्यालय हेतु "Furniture & Training Equipment" क्रय हेतु कुल राशि रू. 92.17 लाख स्वीकृत है, जिसका 80 प्रतिशत राशि रू. 73.74 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। वन मण्डलाधिकारी महासमुंद एवं जगदलपुर द्वारा क्रय की कार्यवाही अंतिम चरण पर हैं।
- वन विद्यालयों की अधोसंरचना के विकास, मैदानी स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता विकास तथा वन विद्यालयों में उत्तम प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु State Training Improvement Plan तैयार करने हेतु भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 40.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त है। इस कार्य हेतु JPS Associates Private Ltd. New Delhi फर्म को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है। जिसके अंतर्गत 29.00 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।

15. सूचना प्रौद्यौगिकी (Information Technology)

1. **ई आवक जावक सॉफ्टवेयर (eReceipt & Dispatch Software) :-** इस वेब आधारित साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालयीन पत्रों को विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य आदान प्रदान किया जाता है। मुख्यालय के समस्त प्रभाग/समस्त वृत्त कार्यालय/समस्त वनमण्डल को उक्त साफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाकर वर्तमान में इस साफ्टवेयर को विभाग के सभी कार्यालयों में लागू किया जा चुका है। आवक–जावक की परंपरागत पद्धति के स्थान पर यह नवीन, त्वरित एवं मितव्ययी व्यवस्था को विभाग में लागू किया गया है।

2. **विभागीय आदेश एवं परिपत्रों (Order & Circular) को वेबसाईड पर अद्यतन करना:-** प्रति वर्ष गया सापेक्ष पंजी, छपवाई के स्थान पर वर्ष 2010 से आज तक, विभागीय Orders & Circulars को विभागीय वेबसाईट www.cgforest.nic.in में अद्यतन किया गया है, जो संदर्भ हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3. **इंटरनेट कनेक्टीवीटी:-** नवीन मुख्यालय हेतु NIC से 40 MBPS इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है। जिसे 50 MBPS किये जाने का कार्य प्रगति पर है। एवं वैकल्पिक Internet Connectivity हेतु SWAN परियोजना के अंतर्गत मुख्यालय में इंटरनेट कनेक्शन लिये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
   नये LAN के माध्यम से Internet सभी प्रभागों हेतु उपलब्ध कराया गया।

4. **विभागीय वेबसाईट (www.cgforest.nic.in) :-** विभागीय वेबसाईट दैनिक तौर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपडेट की जाती है (शाखाओं से जानकारी प्राप्त होने पर)। मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट के अपडेशन हेतु कन्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका उपयोग करते हुए वेबसाईट अपडेशन का कार्य किया जाता है।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) :-** छ.ग. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संपूर्ण बायोडेटा को संग्रहित करने एवं उसका उपयोग करने हेतु उक्त साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से

भावसे/स.व.सं./वनक्षेत्रपाल एवं अन्य स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रविष्टी की जाती है।

6. **जियोमेटिक सेंटर (Geomatic Centers) :-** वृत्त स्तर पर Geomatic Centers में कार्य प्रारंभ करने की दिशा में संबंधितों को एफ.एम.आई.एस. वनमण्डल रायपुर में प्रशिक्षण प्रदाय की गई है एवं हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर क्रय किये जाने हेतु वांछित Sanction भी दिया जा चुका है। सभी Geomatic Centers द्वारा सामग्री क्रय कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

7. **उत्पादन डी.एस.एस. (Production Decission Support System) :-** यह उत्पादन शाखा से सबंधित वेब आधारित साफ्टवेयर है, जिसमें उत्पादन (डिपो) से सबंधित समस्त कार्यो का समावेश किया गया है। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से गेट एन्ट्री, चालान स्टैकिंग, लाटिंग, नीलाम, परिणाम, अपसेट प्राईज का निर्धारण, विक्रय स्वीकृति, मटेरियल हटाने की अनुमति आदि से संबंधित प्रविष्टी का कार्य किया जाता है।

8. **संरक्षण डी.एस.एस. (Protection Decission Support System)** :- यह संरक्षण शाखा से संबंधित वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें वन अपराध प्रकरण (P.O.R.) की प्रविष्टि एवं विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग का कार्य हेतु विकसित किया गया था, जिसे वर्तमान में पुनः विकसित कर लागू किया जाना है।

16. सतर्कता एवं शिकायत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सतर्कता एवं शिकायत प्रभाग द्वारा विभाग में प्राप्त शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इस प्रभाग में मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, शासन, जनदर्शन, भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन, पी.जी.एन., लोक आयोग, आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो तथा शिकायतकर्ता से सीधे शिकायतें प्राप्त होती हैं। उपरोक्त माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जांच के लिये जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है। जो शिकायतें जांच में निराधार पायी जाती हैं उन्हें नस्तीबद्ध किया जाता है तथा जिनमें सत्यता पाई जाती है उनके लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जाते हैं। शिकायतों के विभिन्न स्रोतों एवं शिकायतों के निराकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :–

16.1 मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त प्रकरण

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके निवास पर प्रदत्त वन विभाग से संबंधित आवेदनों को, आवेदन क्रमांक (आई.डी.) आबंटित कर, परीक्षण एवं निराकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इन आवेदनों को निराकरण हेतु इस प्रभाग को अंकित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त उक्त आवेदनों पर जांच एवं निराकरण की कार्यवाही इस प्रभाग द्वारा संपन्न की जाती है। उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों के जांच निष्कर्ष एवं उन पर निराकरण की कार्यवाही के संबंध में, इस प्रभाग द्वारा , मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को अवगत कराया जाता है।

16.2 मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त प्रकरण

मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा वन विभाग से संबंधित आवेदनों को, आवेदन क्रमांक (आई.डी.) आबंटित कर, परीक्षण एवं निराकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इन आवेदनों को निराकरण हेतु इस प्रभाग को अंकित किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों पर जांच एवं निराकरण की कार्यवाही इस प्रभाग द्वारा संपन्न की जाती है। शिकायतों के जांच निष्कर्ष एवं उन पर निराकरण की कार्यवाही के संबंध में, इस प्रभाग द्वारा, मुख्यमंत्री सचिवालय को अवगत कराया जाता है।

16.3 शासन से प्राप्त प्रकरण

शासन द्वारा वन विभाग से संबंधित आवेदनों को, आवेदन क्रमांक (आई.डी.) अंकित कर, परीक्षण एवं निराकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इन शिकायतों को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस प्रभाग को अंकित किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों पर जांच एवं निराकरण की कार्यवाही इस प्रभाग द्वारा संपन्न की जाती है। शिकायतों के जांच निष्कर्ष एवं उन पर निराकरण की कार्यवाही के संबंध में, इस प्रभाग द्वारा, शासन को अवगत कराया जाता है।

16.4 मुख्यमंत्री जनदर्शन

माननीय मुख्यमंत्री जी के जनदर्शन कार्यक्रमों में वन विभाग से संबंधित विषयों पर प्राप्त आवेदनों को, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा टोकन क्रमांक अंकित कर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निराकरण हेतु प्रेषित किया जाता है। जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों का विवरण www.cgjandarshan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा निराकरण उपरांत निराकरण के निष्कर्ष के संबंध में आवेदक को सूचित किया जाता है तथा इसे www.cgjandarshan.gov.in वेबसाइट पर अंकित किया जाता है।

16.5 पी.जी.एन. (Public Grievance Number) प्रकरण

सामान्य प्रशासन विभाग, शिकायत निवारण प्रकोष्ट में वन विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों को, पी.जी.एन. (पब्लिक ग्रीवेन्स नंबर) क्रमांक अंकित कर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निराकरण हेतु प्रेषित किया जाता है। पी.जी.एन. प्रकरणों की जांच मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) द्वारा करायी जाती है। शिकायतों के जांच निष्कर्ष एवं उन पर निराकरण की कार्यवाही से, इस प्रभाग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग, शिकायत निवारण प्रकोष्ट को अवगत कराया जाता है।

16.6 लोक आयोग प्रकरण

वन विभाग से संबंधित शिकायतों को प्रकरण क्रमांक आवंटित कर माननीय लोकायोग द्वारा छ.ग. शासन, वन विभाग अथवा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को जांच हेतु प्रेषित किया जाता है। प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा करायी जाती है। जांच प्रतिवेदन एवं जांच के निष्कर्ष से माननीय लोक आयोग को अवगत कराया जाता है, जिस पर अन्तिम निर्णय माननीय लोक आयोग द्वारा लिया जाता है।

16.7 राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो प्रकरण

राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त शिकायतों में से गम्भीर शिकायतों की जांच राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो द्वारा स्वयं की जाती है तथा शेष शिकायतों को जांच हेतु वन विभाग अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया जाता है। छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा कराई जाती है तथा जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन को अणुषांगिक अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है।

16.8 विभाग को सीधे प्राप्त प्रकरण

वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को शिकायतें जांच हेतु सीधे भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सीधे प्राप्त आवेदनों पर भी इस प्रभाग द्वारा जांच कराई जाती है। जांच में जिन शिकायतों को निराधार पाया जाता है, उन्हें नस्तीबद्ध किया जाता है तथा जिन शिकायतों में सत्यता पाई जाती है, उनके लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारण की कार्यवाही की जाती है।

16.9 भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन

भारत सरकार की वेबपोर्टल CPGRAMS में देश के नागरिकों द्वारा सरकारी संगठनों के प्रति शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज कराने की व्यवस्था है । इस वेबपोर्टल में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग भारत सरकार द्वारा की जाती है । वन विभाग से संबंधित विषयों के प्राप्त आवेदनों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर, दिनांक अंकित कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निराकरण हेतु प्राप्त होता है तथा वेबपोर्टल से ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त की जाती है। वेबपोर्टल से प्राप्त आवेदनों का विवरण http;//pgportal. gov.in(CPGRAMS) वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा निराकरण उपरांत निराकरण के निष्कर्ष के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को सूचित किया जाता है तथा इसे वेबसाइट पर अंकित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील के माध्यम से प्राप्त अपील प्रकरणों पर सुनवाई की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा क्षेत्रीय छः मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के लिये मुख्य वन संरक्षक (सत.शिका.) प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं। इन कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदन इस प्रभाग को प्रेषित होते हैं जिन पर सुनवाई कर अपील आवेदनों का निपटारा इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक विभाग को प्राप्त, निराकृत एवं शेष शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

प्रकरण का नाम	31.12.2016 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	योग	01.01.2017 से 31.12.2017 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	31.12.2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या
मुख्यमंत्री निवास	28	0	28	0	28
मुख्यमंत्री सचिवालय	15	0	15	0	15
शासन से प्राप्त	356	80	436	9	427
विभाग को सीधे प्राप्त	769	201	970	34	936
मुख्यमंत्री जनदर्शन	138	2219	2357	1600	757
पी.जी.एन.	2281	352	2633	207	2426
सूचना का अधिकार अंतर्गत प्राप्त अपील प्रकरण	0	51	51	51	0
भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन	43	59	102	32	70
लोक आयोग	43	15	58	01	57
आर्थिक अपराध	30	20	50	13	37
योगः—	3703	2997	6700	1947	4753

टीपः— मुख्यमंत्री जनदर्शन के प्रकरणों में वन विभाग के वे प्रकरण भी शामिल हैं जिन्हें मुख्यमंत्री निवास/सचिवालय के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर माह फरवरी 2017 से अप्रैल 2017 के मध्य वेबसाईट से प्रकरणों की जानकारी ज्ञात कर निराकृत किया गया।

17. अनुश्रवण मूल्यांकन

वन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र./5136/10/2/86 दिनांक 15.10.1986 एवं मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक/1490 दिनांक 22.04.1994 के अनुसार तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र कमांक/अनु./मूल्यां./निर्देश/23 दिनांक 12.03.2013 के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा संपादित वृक्षारोपणों का अंतरवृत्तीय निरीक्षण वृक्षारोपण के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् संपन्न किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार वर्ष 2015—16 में वृक्षारोपण वर्ष 2011—12 में निर्मित वृक्षारोपणों का अंतरवृत्तीय मूल्यांकन करवाया गया था। जिसका परिणाम वर्ष 2016—17 में प्राप्त हुये।

विभिन्न वनमंडलों के वृक्षारोपणों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन के अनुसार वनमंडलवार औसत जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना की गई है। इसका परिणाम वनमंडलवार निम्नानुसार हैः—

वर्ष 2011—12 में किये गये वृक्षारोपणों की सफलता , वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	औसत प्रतिशत	निरीक्षणकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5
i.	रायपुर	धमतरी	66.38 %	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		अनु.विस्तार रायपुर	67.20 %	
		गरियाबंद	67.82 %	
		रायपुर	66.16 %	
ii.	बिलासपुर	बिलासपुर	75.19 %	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		मरवाही	68.15 %	
		कोरबा	72.49 %	
		मुंगेली	79.83 %	
		कटघोरा	69.62 %	
		धरमजयगढ़	62.78%	
		जांजगीर चांपा	67.40 %	
		अनु.एवं विस्तार बिलासपुर	90.18 %	
iii.	सरगुजा	बलरामपुर	84.30 %	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		सरगुजा	54.41 %	
		सूरजपुर	69%	
		मनेन्द्रगढ़	85.32 %	
iv.	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	80%	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
v.	जगदलपुर	सुकमा	46.95%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सभी वृक्षारोपण सफल पाये गये हैं। अप्राप्त प्रतिवेदन हेतु संबंधित मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया जा चुका है।

जी.आई.एस. पद्धति से वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2—7/2013/10—2 बजट, दिनांक 18.02.2014 के अनुसार वन विभाग द्वारा संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्य एवं उससे

संबंधित कार्यो के अभिलेखन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जी.आई.एस. पद्धति का उपयोग तत्काल प्रभाव से करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तद्नुसार वन विभाग में संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्यो के अनुश्रवण/मूल्यांकन हेतु वर्ष 2015 में रोपण के लिये की गई रोपण पूर्व तैयारी की जानकारी समस्त वृत्तों से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वि./यो.) के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। जिसे वन संरक्षक वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर को उक्त समस्त जानकारी अपलोड कर डाटाबेस तैयार करने बाबत् प्रेषित किया जा चुका है तथा उनके द्वारा वर्ष 2015 के समस्त वृक्षारोपण की जानकारी वन प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल (**FMIS portal**) पर प्रविष्टि की जा चुकी है।

18. कार्य आयोजना

छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलामीटर है। कुल वन क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आरक्षित वन 25,782 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 24,036 वर्ग किलोमीटर एवं अवर्गीकृत वन 9,954 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44. 21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। राज्य के वन क्षेत्र में 43.13 प्रतिशत आरक्षित वन, 40.21 प्रतिशत संरक्षित वन एवं शेष अवर्गीकृत वन सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है।

वनमण्डल की कार्य अयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि समय अवधि समाप्त होने के पश्चात वनमण्डल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके।

19. वित्त–बजट शाखा

<u>वन आयोजनेत्तर का बजट (एक दृष्टि में)</u>

(राशि करोड़ में)

वर्ष 2016–17		
मांग संख्या 10 – आयोजनेत्तर	प्राप्त बजट (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)
मतदेय	663.41	518.52
भारित	23.13	18.74
योग – आयोजनेत्तर	**686.54**	**537.26**

राजस्व प्राप्ति		
0406 – राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियॉ	लक्ष्य (रू. करोड़ में)	प्राप्तियॉ (रू. करोड़ में)
–	**550.00**	**396.08**
वर्ष – 2017–18 (नवम्बर, 2017 की स्थिति में)		
मांग संख्या 10 – आयोजनेत्तर	प्राप्त बजट (रू. करोड़ में)	व्यय (रू. करोड़ में)
मतदेय	670.85	329.20
भारित	26.75	0.29
योग – आयोजनेत्तर	**697.60**	**329.49**
राजस्व प्राप्तियॉ		
0406 – राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियॉ	लक्ष्य (रू. करोड़ में)	प्राप्तियॉ (रू. करोड़ में)
–	**600.00**	**192.21**

20. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में वानिकी के विभिन्न विधाओं पर अनुसंधान करने एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2007 में गठित राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कुल 63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें मुख्य भवन का क्षेत्रफल 9544 वर्ग मीटर है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित इस भवन की कुल लागत रूपये 835.00 लाख है। संस्थान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है। संस्थान 100 किलो वाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Photovoltaic System) से सुसज्जित है।

वर्तमान में संस्थान में उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम सह पुस्तकालय का निर्माण 13वें वित्त आयोग के अनुदान से एवं राज्य आयोजना मद से प्रशिणार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण छ.ग गृह निर्माण मण्डल के द्वारा किया जा रहा है।

छ.ग. वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है –

पूर्व स्वीकृत सेटअप		
वानिकी प्रोफेशनल्स पद		
स.क.	पदनाम	पद संख्या
i.	संचालक	1
ii.	अपर संचालक	1
iii.	संयुक्त संचालक	1
iv.	सहायक संचालक	1
v.	वनक्षेत्रपाल	1
vi.	वनरक्षक	5
	योग	**10**
स.क.	**पदनाम**	**पद संख्या**
वैज्ञानिक पद		
i.	वैज्ञानिक एस.सी.	3
ii.	वैज्ञानिक एस.बी.	6
	योग	**9**
तकनीकी पद		
i.	सहायक लाईब्रेरियन	1
ii.	तकनीकी सहायक (वानिकी अनुदेशक)	3
iii.	लैब टेक्नीशियन (वानिकी अनुदेशक)	2
iv.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1
v.	सहायक प्रोगामर	1
vi.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	4
vii.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक(वानिकी अनुदेशक)	6
viii.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सामाजिकआर्थिक)	2
ix.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक(विस्तार एवं प्रशिक्षण)	1
x.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय)	1
xi.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रलेख्य)	1
xii.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (लैब)	4
xiii.	बुक लिफ्टर	1
xiv.	हरबेरियम सहायक	1
xv.	फील्ड असिस्टेंट	3
	योग	**32**

गैर तकनीकी पद		
i.	अधीक्षक	1
ii.	सहायक ग्रेड–1	2
iii.	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (अंग्रेजी)	1
iv.	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (हिन्दी)	1
v.	सहायक ग्रेड–2	3
vi.	सहायक ग्रेड–3	3
vii.	स्टेनोटायपिस्ट	1
viii.	वाहन चालक	3
ix.	भृत्य/अर्दली	7
x.	चौकीदार	3
	योग	25
	कुल योग	76

- **पुनरीक्षित सेटअप का प्रस्ताव राज्य शासन स्तर पर विचाराधीन है।**

20.1 संस्थान के प्रभाग

संस्थान में निम्नानुसार प्रभाग हैं :–

i. जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
(Biodiversity & Climate Change Division)

ii. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग
(Biotechnology Division)

iii. वन वर्धन, वन मापिकी एवं वन वर्गीय प्रभाग
(Silviculture, Mensuration & Forest Taxonomy Division)

- फॉरेस्ट टेक्सोनॉमी (Forest Taxonomy)
- वन वर्धन एवं वन मापिकी (Silviculture & Forest Mensuration Division)
- मृदा विज्ञान (Soil Science)
- बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)

iv. गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रभाग
(Non Timber Forest Produce Division)

v. वन संरक्षण प्रभाग (रोग एवं कीट)
(Forest Protection Division)
वन रोग विज्ञान (Forest Pathology)
वन कीट विज्ञान ;Forest Entomology)

vi. कृषि वानिकी एवं आजीविका प्रोत्साहन प्रभाग
(Agroforestry & Livelihood Promotion Division)

vii. मानव संसाधन विकास प्रभाग
(Human Resource Development Division)

vii. सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभाग
(Information, Education & Communication Division)

20.2 संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण

20.2.1 संस्थान में भारतीय वन सेवा अधिकारीयों का दो दिवसीय कार्यशाला का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजन

- छत्तीसगढ राज्य में प्रथम बार वर्ष 2016 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संस्थान में राष्ट्रीय स्तर का भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हेतु राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को चयनित किया गया। उक्त कार्यशाला में 23 राज्यों से 45 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नामांकित किया गया एवं 16 राज्यों से 21 भारतीय वन सेवा अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। शीर्षक "New Initiatives in Forestry : Opportunities and Challanges" पर कार्यशाला आयोजित हुआ जिसमें राष्ट्रीय/अंराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अतिथी व्याख्याताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में संस्थान में शीर्षक "New Initiatives in Forestry : Opportunities and Challanges" पर दिनांक 29 जनवरी 2018 से 2 फरवरी, 2018 तक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जिसमें 17 राज्यों से 34 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को कार्यशाला में भाग लेने हेतु नामांकित किया गया है।

20.2.2 संस्थान में वनरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण

संस्थान में वर्ष 2013–14 से वनरक्षकों के छःमाही बुनियादी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। जिसमे विभिन्न वन वृत्तो के वनमण्डलो के वनरक्षको द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में वनरक्षकों के पांचवा बैच को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक **कुल 332 वनरक्षक** संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किये है।

20.3 संस्थान में संचालित अनुसंधान परियोजनाएँ

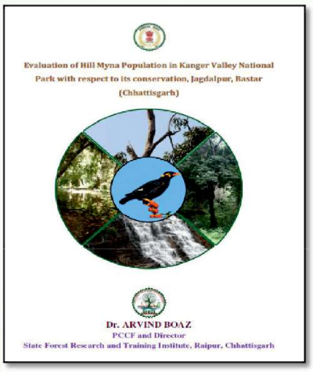
Evaluation of Hill Myna Population in Kanger Valley National Park with respect to its conservation, Jagdalpur, Bastar (Chhattisgarh)

Dr. ARVIND BOAZ
PCCF and Director
State Forest Research and Training Institute, Raipur, Chhattisgarh

2.3.1 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिल मैना आबादी एवं उनके संरक्षण का अध्ययन (Evaluation of Hill Myna population in Kanger Valley National Park with respect to its conservation.)

- **पहाड़ी मैने के रहवास अध्ययन** (Hill Myna habitat study) हेतु कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Kanger Valley National Park) के कुटुमसर एवं कोलेंग परिक्षेत्र अंतर्गत हिल मैना के गणना एवं रहवास संबंधी अध्ययन हेतु ट्रांजेक्ट लाईन सर्वेक्षण तकनीक (Transect line Survey Technique) द्वारा अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

- **पहाड़ी मैने के संख्या की गणना** हेतु दोनो परिक्षेत्रों कुटुंबसर एवं कोलेंग अंतर्गत 42 ट्रांजेक्ट लाईन बनाकर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में शोध कार्य किया गया।

- **पहाड़ी मैने के संख्या की गणना** हेतु स्थानीय स्वयं सेवकों की सहायता से बिन्दु गणना पद्धति (Point Count method) के आधार पर गणना किया जा रहा है।

- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Kanger Valley National Park) में अध्ययन के दौरान सबसे अधिक नवम्बर माह में हिल मैना की उपस्थिति दर्ज की गई है तथा हिल मैना सर्वाधिक पीपल, बरगद, जड़ी, गुलर एवं सेमल के पेड़ में देखे गये है।

- साल वृक्ष में कठफोड़वा (Woodpecker) द्वारा बनाये गये घोंसलों में हिल मैना अपना बसेरा करते है।

20.3.2 छत्तीसगढ़ के आंवला वृक्षारोपण में कम फल लगने के कारणों एवं उनके सम्भाव्य उपचार का अध्ययन (समयावधि दो वर्ष) (To find out the causes and its possible remedial measures of poor fruiting in Aonla plantation in Chhattisgarh (Period- 2 yrs.))

- राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में 0.8 हेक्टेयर ऑवला रोपड़ क्षेत्र में शोध हेतु 6–7 पहलूओं पर शोध कार्य प्रगति पर है।

- छ.ग. के 6 विभिन्न वन वृत्तों से 52 ऑवला रोपण क्षेत्रों का निरिक्षण किया एवं उसमें से 12 रोपण क्षेत्रों को प्रयोगात्मक परीक्षण (Experimental trial) किये जाने हेतु चयनित किया गया।

20.3.1 जामपाली के मुख्य क्षेत्र के प्रभावित पक्षिवृन्द के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना की तैयारी ओ.सी.पी. (Preparation of alternative habitat development plan for the affected avifauna of the core area of Jampali OCP. (Period- 2 yrs.))

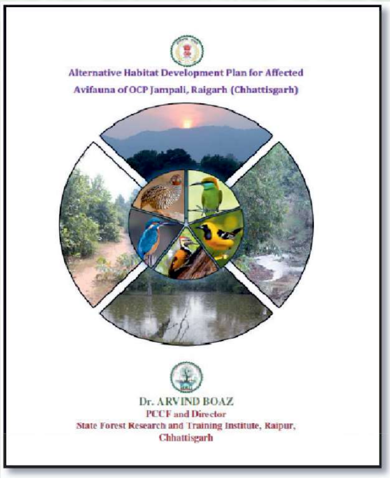

- 253 हे. खनन कोर सीमा (Mining core boundary) एवं 10 किलोमीटर बफर क्षेत्र (Buffer area) के पक्षिवृन्द (Avifauna) का सर्वे Line Transect Method द्वारा ग्रीष्म, शरद एवं वर्षाऋतु में सर्वे किया गया।
- परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध कुल 52 avifauna species के 497 पक्षी की गणना एवं पहचान कर चेकलिस्ट तैयार किया जा चुका है।
- **वैकल्पिक रहवार विकास** (Alternative habitat development) करने हेतु 05 किलोमीटर परिधि के Buffer area में स्थल का चयन किया गया।
- Artificial nesting trail हेतु विभिन्न प्रकार के पक्षियों के Nesting Pattern के आधार पर Artificial nest तैयार किया जाकर उसे Experimental trail हेतु स्थापित किया गया है।
- एस.ई.सी.एल.रायगढ़ प्रबंधन को आगामी 05 वर्षो में खनन क्षेत्र एवं 5 कि.मी. के पेरीफेरी एरिया में Alternative habitat develop किये जाने हेतु विभिन्न कार्य सुझाव एवं अनुशंसा सहित five year budget plan सम्मिलित कर रिपोर्ट भेजा गया है।
- वर्तमान में पक्षिवृन्द (Avifauna) हेतु Alternative habitat develop करने हेतु जामपाली परियोजना क्षेत्र में मॉनिटरिंग कार्य संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

20.3.4 छत्तीसगढ़ के साथ जिलों के प्रमुख आद्र क्षेत्रों के जैव विविधता मूल्यांकन और पारिस्थतिक स्थिति पर एक पायलट अध्ययन (A pilot study on biodiversity assessment & ecological status of major wetlands of seven districts of Chhattisgarh. (Period- 2 yrs.))

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा राशि रू. 29,93,600/– लाख की वित्तीय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- इस परियोजना अंतर्गत कुल 7 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगाव, मुंगेली, कोरबा,बलौदाबाजार, कवर्धा में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर परिधि में स्थित 5 हेक्टेयर क्षेत्र एवं उसके ऊपर के wetland का Ecological Status and Biodiversity Assesment शोध कार्य प्रगति पर है।
- वर्तमान में 07 जिलों के 289 तालाबों में से 06 जिलों के 138 तालाबों का प्रारंभिक सर्वे एवं चिन्हांकन तथा Ecological Status and Biodiversity Assesment कार्य किया जा चुका है।

20.3.5 राज्य के देववनों का चिन्हांकन एवं प्रलेखन (Inventorization of Sacred groves in Chhattisgarh) :–

- राज्य के कुल 32 वनमण्डलों के 929 सरना देवों का सर्वे सम्पन्न हो चुका है एवं 18 वनमण्डल का रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है। शेष वनमंडलों का रिपोर्ट सम्मिलित किया जा रहा है।

20.3.6 राज्य में बेल के जर्म प्लाज्म बैंक की स्थापना :–

(Establishment of Germ Plasm Bank of Eagle marmelous in Chhattisgarh)

- राज्य में बेल की उच्च गुणवत्ता की प्लांटिग मैटेरियल उपलब्ध कराने हेतु कैम्पा के वित्तीय सहयोग से यह परियोजना सितम्बर 2013 से स्वीकृत है, इसकी अवधि 3 वर्ष है। बेल के 19 धन वृक्षों का चिन्हॉंकन राज्य के समीपस्थ वनमण्डलों (कोरबा, जांजगीर–चांपा बिलासपुर वनमण्डल एवं रायपुर) में किया गया है। साथ ही जर्मप्लाज्म बैंक की स्थापना हेतु प्लांटिग मैटेरियल एकत्र कर संस्थान में नर्सरी तैयार किया जाकर रोपण किया गया है।

20.4 अनुसंधान मूलक गतिविधियों का विवरण

i. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना :–

ट्रापिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, जबलपुर (टी.एफ.आर.आई) के तकनीकी सहयोग तथा राज्य कैम्पा के वित्तीय अनुदान (रू. 50 लाख) से संस्थान में 2013 में एक आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसमें राज्य में किये जाने वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों की मिट्टी की जांच की जा रही है । अब तक 1576 से अधिक सैम्पल्स की जांच कर रिपोर्ट उपचार सलाह सहित फिल्ड भेजा जा चुका है ।

ii. केन्द्रीय वन पुस्तकालय की स्थापना :–

राज्य कैम्पा के वित्तीय अनुदान से संस्थान में एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना प्रगति पर है। अभी तक वानिकी एवं संबंधित विषयों पर 1000 से अधिक पुस्तकें, पुस्तकालय में उपलब्ध है। यहां पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र/पत्रिकायें, लेख, माइक्रोफिल्म इत्यादि रखे जायेंगे। अतिशीघ्र ई–लाईब्रेरी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

iii. बांस विविधता पार्क (Bamboosetum) की स्थापना :–

देश में 123 बांस प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी पहचान एवं उपयोगिता से अधिकारियों /कर्मचारियों तथा आम जनता को अवगत कराने के लिए एक बांस विविधता पार्क की स्थापना प्रगति पर है। इस पार्क में 16 बांस प्रजातियों के 120 पौधे रोपित किये गये हैं। देश के अन्य राज्यों में पाये जाने वाले बांस प्रजाति के पौधों का संकलन प्रगति पर है। इन बांस प्रजातियों के अध्ययन से राज्य के लिए उपयोगी बांस प्रजातियों के विषय में तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी।

iv. चंदन रोपण का वैज्ञानिक अध्ययन :–

वर्ष 2009 में, वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संस्थान परिसर के 02 हेक्टेयर क्षेत्र में चंदन (Santalum album) के पौधे लगाये गये हैं।

20.5 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने UNDP की सहायता से जलवायु परिवर्तन के लिए एक समग्र राज्य कार्य योजना तैयार की है, जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी आर्थिक विकास को लक्षित किया गया है, साथ ही जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम को भी कम करना है।

- जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के अंतर्गत 8 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जो कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वन और जैव विविधता, जल संसाधन, शहरी विकास, परिवहन, ऊर्जा उद्योग और खनन और मानव स्वास्थ्य हैं।
- छत्तीसगढ़ राज्य ने जून 2017 में बीजिंग, चीन में आयोजित अंडर–2 डिग्री कोयलिशन (Coalition), जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब–नेशनल राज्यों की एक कोयलिशन है, में इस संबंध में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया है। ऐसा करने वाला भारत में तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है।
- उक्त कार्यक्रम में अंडर–2 गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो **उप–राष्ट्रीय सरकारों** द्वारा अपने ग्रीन हाउस गैस 2050 तक शून्य की स्थिति में लाने हेतु अंडर–2 डिग्री कोयलिशन **उप राष्ट्रीय सरकारों** के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन फंड के अंतर्गत प्रायोजित रु. 21.47 करोड़ की एक 04 वर्षीय (2016–17 से 2020–21) पायलट परियोजना ''महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का संचालन राज्य के तीन वनमण्डलों धमतरी, बलौदाबाजार एवं महासमुंद में किया जा रहा है।
- साथ ही विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के सशक्तिकरण हेतु रु. 2.62 करोड़ की एक 05 वर्षीय (2016–17 से 2021–22) परियोजना का संचालन किया जा रहा है। परियोजनांतर्गत केंद्र के सशक्तिकरण हेतु जी. आई. एस. प्रकोष्ठ की स्थापना, कर्मचारियों के क्षमता विकास एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान का दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़ REDD++ दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना तैयार करने वाला एक मात्र राज्य है।
- राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की गतिविधियों के संचालन मार्गदर्शन हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन की अध्यक्षता में विभिन्न संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव की संचालन समिति का गठन किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के विधिवत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ एवं संबंधित आठ विभागों में सेक्टोरल जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।
- केन्द्र द्वारा राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित निम्नानुसार अध्ययन किये गये है:–
    - UNDP के सहयोग से राज्य में जिला स्तरीय जोखिम सूचकांक का अध्ययन।
    - जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजना के वानिकी सेक्टर का समीक्षा अध्ययन।
    - रायपुर के सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन में संभावनाओं का अध्ययन।
    - साथ ही महानदी बेसिन में जल वितरण एवं छत्तीसगढ़ में जलवायु अनुकूल कृषि विषयों पर अध्ययन प्रगति पर है।
- केन्द्र द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन केन्द्र के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जा रहा है एवं वेबसाईट का निर्माण किया गया है।
- केन्द्र द्वारा किये जा रहे अभिनव प्रयासो में से एक जलवायु परिवर्तन विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन है जिसके अंतर्गत देश के जलवायु परिवर्तन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय

ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञो द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों, नीति निर्धारकों, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनो एवं स्थानीय व्यक्तियों का ज्ञान वर्धन एवं क्षमता विकास किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से भी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन किया रहा है।

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस में 2015 में आयोजित UNFCCC COP-21 में माननीय वनमंत्री महोदय, छ.ग. शासन एवं नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।
- नवम्बर 2017 में बोन जर्मनी में आयोजित UNFCCC COP- 23 में नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया एवं तदानुसार राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया है एवं राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किये गये अभिनव प्रयासों एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है।

भाग —दो

21. वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 अभयारण्य तथा 3 टायगर रिजर्व गठित हैं। इसके अतिरिक्त मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में एक बायोस्फियर रिजर्व अचानकमार—अमरकंटक अधिसूचित है। वन्यप्राणियों के बचाव, पुनर्वास एवं जन सामान्य को वन्यप्राणियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दो लघु चिड़ियाघर नंदनवन, रायपुर एवं कानन पेंडारी, बिलासपुर गठित किए गए हैं। नन्दनवन जंगल सफारी का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर दिनांक 01.11.2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु जांजगीर—चांपा में मगरमच्छ संरक्षण योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं टायगर रिजर्व का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है —

21.1 राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य/टायगर रिजर्व/बायोस्फियर रिजर्व

क.	राष्ट्रीय उद्यान	वनवृत्त	वनमंडल	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			राष्ट्रीय उद्यान		
i.	कांगेर घाटी	जगदलपुर	बस्तर	बस्तर	200.000
ii.	गुरूघांसीदास	सरगुजा	बैकुण्ठपुर	कोरिया/सूरजपुर	1440.705
	योग –				**1640.705**
			अभयारण्य		
i.	बादलखोल	सरगुजा	जशपुर	जशपुर	104.454
ii.	गोमार्डा	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	277.820
iii.	बारनवापारा	रायपुर	रायपुर	बालौदाबाजार	244.660
iv.	तमोरपिंगला	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	608.527
v.	सेमरसोत	सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर	430.361
vi.	भैरमगढ़	जगदलपुर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	138.950
vii.	पामेड़	जगदलपुर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	262.120

viii.	भोरमदेव	दुर्ग	कवर्धा	कबीरधाम	351.240
	योग–				**2418.132**
			टायगर रिजर्व		
i.	इन्द्रावती	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	2799.070
ii.	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	मुंगेली / बिलासपुर	914.017
iii.	उदन्ती–सीतानदी	रायपुर	गरियाबंद / धमतरी	गरियाबंद/धमतरी	1842.540
	योग –				**5555.627**
			बायोस्फियर रिजर्व		
i.	अचानकमार– अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व	बिलासपुर	मुंगेली, मरवाही एवं बिलासपुर	मुंगेली एवं बिलासपुर	**(1696.513 अचा. टा. रि. को छोड़कर)**
	महायोग				**11310.977**

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल **11310.977 वर्ग किलोमीटर** है, जो राज्य के कुल वनक्षेत्र 59772 वर्ग किलोमीटर का **18.92 प्रतिशत** है। यह राज्य के कुल कार्य योग्य वन क्षेत्रफल का लगभग 20 प्रतिशत है।

21.2 टायगर रिजर्व

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टायगर योजना में वर्ष 1982 से सम्मिलित हैं परंतु इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर टायगर रिजर्व का दर्जा अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/2007/10–2 दिनांक 20.02.2009 द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/08/2006 को दी गई है। राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/2007/10–2 दिनांक 20/02/2009 द्वारा उदन्ती– सीतानदी एवं अचानकमार टायगर रिजर्व घोषित किया है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नीचे दी गयी टायगर रिजर्ववार कोर एरिया (Critical Tiger Habitat) एवं बफर एरिया के विर्निदिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित किया गया है :–

स.क.	टायगर रिजर्व	कोर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	बफर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	योग (वर्ग कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i.	अचानकमार टायगर रिजर्व	626.195	287.822	914.017
ii.	उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व	851.090	991.450	1842.54
iii.	इंद्रावती टायगर रिजर्व	1258.370	1540.700	2799.07
	महायोग –	**2735.655**	**2819.972**	**5555.627**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में बाघों की गणना वैज्ञानिक पद्धति से करायी जाती है। वर्ष 2010 की गणना अनुसार राज्य में 26 बाघ थे। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा बाघों की गणना करायी गयी जिसमें राज्य में बाघों की संख्या 26 से बढ़कर 46 हो गयी है। राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि होना, शासन द्वारा बाघों की संरक्षण हेतु किये जा रहे सार्थक प्रयासों का परिणाम है। वर्ष 2018 में पुनः अखिल भारतीय बाघ आंकलन का कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में बाघों की संख्या की वर्तमान स्थिति पता चल सकेगी।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/1—57/2009/10—1/वन दिनांक 19/11/2009 द्वारा मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक उदन्ती—सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर तथा वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं संचालक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा के तीन नये पदों का सृजन कर संबधित अधिकारियों की पदस्थिति की गई है। मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अपने अधीनस्थ संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है। संरक्षित क्षेत्र के बाहर के वन क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के साथ संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसका कुल क्षेत्रफल 1440.705 वर्ग किलोमीटर है, तमोर पिंगला अभयारण्य जिसका कुल क्षेत्रफल 608.527 वर्ग किलोमीटर है, से जुड़ा हुआ है। गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र मिलकर मध्यप्रदेश के संजय डुबरी टायगर रिजर्व तथा झारखंड के पलामू टायगर रिजर्व के बीच एक निरंतर क्षेत्र बनाते हैं। अतः संजय डुबरी टायगर रिजर्व से लेकर पलामू टायगर रिजर्व तक बाघों के संरक्षण के लिए निरंतर क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ तमोर पिंगला के क्षेत्र को भी टायगर रिजर्व में सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस क्षेत्र को टायगर रिजर्व के रूप में गठित किया जाये। भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र को टायगर रिजर्व के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस आशय का एक प्रस्ताव राज्य वन्य जीव बोर्ड की 5वीं बैठक दिनांक 30/05/2012 को बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है जिसे बोर्ड द्वारा पारित कर टायगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा की है। राज्य वन्यजीव बोर्ड की नवम बैठक में प्रस्तावित टायगर रिजर्व क्षेत्र के कोर एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(V) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थान, स्थानीय समुदायों से गहन चर्चा कर कोर तथा बफर क्षेत्र का निर्धारण किया गया । गुरूघासीदास—तमोर पिंगला टायगर रिजर्व का कोर एरिया का क्षेत्रफल 1249.633 वर्ग कि.मी. तथा बफर एरिया का क्षेत्रफल 1051.940 वर्ग कि.मी. इस प्रकार कुल एरिया 2301.573 वर्ग कि.मी. विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा संबंधित क्षेत्रों के कलेक्टर से अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए हैं।

इसी अनुक्रम में प्रदेश के भोरमदेव अभयारण्य को भी टायगर रिजर्व बनाने हेतु प्रस्तावत राज्य वन्यजीव बोर्ड की नवम बैठक में रखा गया। भोरमदेव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 351.240 वर्ग कि.मी. है। भोरमदेव अभयारण्य कान्हा टायगर रिजर्व की सीमा से लगा हुआ है, साथ ही अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता कान्हा टायगर रिजर्व के समान है। भोरमदेव अभयारण्य को टायगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त होगा। राज्य वन्यजीव बोर्ड की नवम बैठक दिनांक 23.05.2017 में समिति द्वारा भोरमदेव अभयारण्य को टायगर रिजर्व बनाने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गयी तथा कोर एवं बफर जोन के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु निर्देश दिये गये।

वित्तीय वर्ष 2008—09 से वर्ष 2017—18 तक योजना क्रमांक 3730—प्रोजेक्ट टायगर योजनांतर्गत प्राप्त विमुक्त एवं व्यय का विवरण नीचे दिये गये तालिका अनुसार है।

3730— प्रोजेक्ट टायगर योजनांतर्गत वित्तीय वर्षवार विमुक्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण तालिका

वर्ष 2008—09 से 2017—18 तक

क्र.	टायगर रिजर्व क्षेत्र का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (Nov.2017)	
		विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय
i.	अचानकमार टा.रि.	478.486	469.759	497.10	384.24	470.22	250.66
ii.	इन्द्रावती टा..रि.	315.372	314.940	300.21	270.01	241.12	25.54
iii.	उदन्ती—सीतानदी टा.रि.	156.552	156.544	409.79	409.67	239.24	99.94
योग		**950.410**	**941.243**	**1207.1**	**1063.92**	**950.58**	**376.14**

21.3 जंगली हाथियों का प्रबंधन :

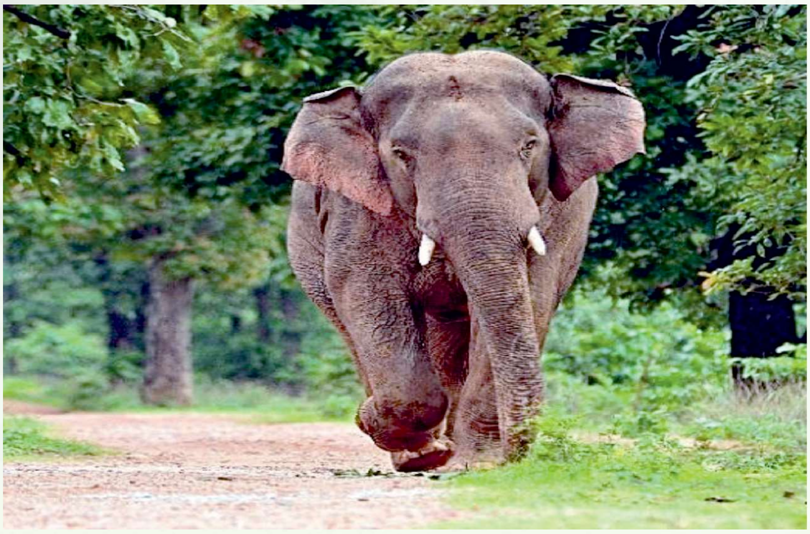

जंगली हाथियों के अलग–अलग समूह छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, धरमजयगढ़ कोरबा, महासमुन्द एवं बलौदाबाजार जिलों में लगातार विचरण करते आ रहे हैं। ये हाथी वर्ष 2002 से स्थाई रूप से छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य में जंगली हाथियों की संख्या लगभग 32 थी। अखिल भारतीय समकालिक हाथी जनसंख्या आंकलन का कार्य दिनांक 09 से 12 मई 2017 को संपन्न हुआ, जिसमें राज्य में (14 दल में) 247 हाथी पाये गये। जंगली हाथियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जंगली हाथियों के उपयुक्त रहवास विकास एवं उनके प्रबंधन हेतु कार्य किया जा रहे हैं।

जंगली हाथियों की संख्या बढ़ने से हाथी–मानव द्वंद्व में वृद्धि हुई है। जंगली हाथियों के द्वारा जनहानि के साथ फसल/सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है। विभाग द्वारा हाथी रहवास क्षेत्रों के विकास एवं हाथी–मानव द्वंद को कम करने हेतु ''**हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास**'' नाम से एक योजना प्रांरभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत हाथी के विचरण क्षेत्रों में उनके रहवास विकास के कार्य किये जा रहे हैं तथा हाथी मानव द्वंद्व को कम करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित किये गये एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय अमलों को जागरूक करते हुये हाथी द्वारा जानमाल की नुकसानी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी प्रभावित वनमंडलों में हाथी–मानव द्वंद्व कम करने हेतु क्षेत्र के ग्रामों में व्यापक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। हाथियों के विचरण की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम **''हमर हाथी हमर गोठ''** प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अंबिकापुर केन्द्र से प्रति दिवस शाम 5.15 बजे किया जाता है। जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों की फसल एवं अन्य संपत्ति की नुकसानी तथा जनहानि होने पर सहायता/मुआवजा राशि का भुगतान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रावधानित अवधि अनुसार किया जाता है।

जंगली हाथियों को उपयुक्त रहवास स्थल उपलब्ध कराने तथा हाथी–मानव द्वंद्व को कम करने के लिए भारत शासन द्वारा ''**प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना**'' के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रू. 80.00 लाख की राशि प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को उपलब्ध कराई गई है, जिससे रहवास सुधार के विभिन्न कार्य तथा जान–माल की क्षति को रोकने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2009–10 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक (विगत 09 वर्षों का) हाथी रहवास क्षेत्र का विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेण्ट योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्न में दर्शायी जा रही है :–

हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजनांतर्गत
प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण
वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2017–18 (माह नवम्बर 2017) तक

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना का नाम	6991– हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास		5502– प्रोजेक्ट एलीफेन्ट		योग	
	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
i.	2009-10	210.00	206.66	121.00	118.27	**331.00**	**324.93**
ii.	2010-11	399.98	241.06	75.00	73.30	**474.98**	**314.36**

iii.	2011-12	500.00	478.04	90.00	98.27	**590.00**	**576.31**
iv.	2012-13	596.10	583.70	120.29	115.24	**716.39**	**698.94**
v.	2013-14	749.00	714.87	54.67	45.43	**803.67**	**760.30**
vi.	2014-15	758.20	739.12	53.93	52.50	**812.13**	**791.62**
vii.	2015-16	825.00	809.69	29.33	29.00	**854.33**	**838.69**
viii.	2016-17	1155.00	340.25	103.136	8.12	**1258.136**	**348.37**
ix.	2017-18	1247.40	288.62 Nov 2017 तक	80.00	0.00	**1327.40**	**288.62**

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कैम्पा मद अंतर्गत 2113.38 लाख रूपये विमुक्त किया गया है। गजराज परियोजना के अंतर्गत सोलर पॉवर फेंसिंग, बड़े तालाब का निर्माण, चारागाह विकास, क्षतिपूर्ति राशि, हाथी हेल्प सेंटर, जागरूकता अभियान, रेडियो कॉलरिंग आदि कार्य किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा राज्य के 12 हाथियों में रेडियो कॉलर लगाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के सहयोग से रेडियो कॉलरिंग का कार्य किया जायेगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा रेडियो कॉलर मंगाया जा चुका है।

21.4 हाथी बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र

सूरजपुर जिले में स्थित तमोर पिंगला अभ्यारण्य के रमकोला बीट के 4.71 हेक्टेयर क्षेत्र में वाईल्ड ऐलीफेण्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण प्रगति पर है। इस केन्द्र में समस्यामूलक जंगली हाथियों को पकड़कर, उनका पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा। कक्ष क्र. 246–पी.एफ. के लगभग 35 हेक्टेयर क्षेत्र में हाथियों के लिए परिवहन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यों के लिए कैम्पा मद से राशि रू. 300 लाख विमुक्त किया गया है।

21.5 जंगली भालूओं का प्रबंधन (जामवंत परियोजना) :

भालूओं के प्रबंधन हेतु एवं भालू मानव संघर्ष को कम करने हेतु राज्य कैम्पा से जामवंत परियोजना प्रारंभ की गई है, जो मरवाही, कटघोरा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा तथा कांकेर वनमण्डल में लागू है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 हेतु राशि रूपये 113.20 लाख स्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 65.80 लाख विमुक्त की गयी है। इस योजना में, फलदार वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, भालू रहवास क्षेत्रों के पहचान तथा संरक्षण, क्षतिपूर्ति राशि, मानव भालू संघर्ष कम करने हेतु क्षमता विकास तथा अन्य कार्य किए जा रहे हैं।

21.6 बस्तर पहाड़ी मैना

पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी घोषित है। पहाड़ी मैना का वर्तमान में मुख्य रहवास क्षेत्र दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, कांगेरघाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, पुल्चा आदि वन क्षेत्र हैं। मैना के बारे में स्थानीय स्तर की जानकारियों का संकलन, कार्यशालाओं का आयोजन, मैना से संबंधित साहित्य का वितरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत मैना के देखे जाने के अभिलेखीकरण आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही बहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किये जा रहे है। बस्तर हिल मैना के संरक्षण के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार तथा बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के वैज्ञानिकों से सहायता ली जा रही है। पहाड़ी मैना के रहवास क्षेत्र एवं उनके जीवनचक्र के संबंध में राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य रहवास क्षेत्र में बस्तर मैना द्वारा पसंद किए जाने वाले वृक्ष प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल, सेम्हल, तेजम आदि का रोपण कराया गया है। मैना के जीवन वृत्तांत एवं अन्य पहलुओं पर पर शोध कार्य किये जाने हेतु राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर को राशि रूपये 20.00 लाख स्वीकृत किया गया है, जिसमें से राशि रूपये 15.52 लाख आबंटित किया जा चुका है। बर्ड काउंट इंडिया से सर्वेक्षण हेतु दिनांक 25.10.2017 को समझौता ज्ञापन हुआ है।

21.7 वन भैंसों का संरक्षण :

छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्यजीवों में वनभैंसा प्रमुख है। वर्तमान में वनभैसें छत्तीसगढ़ के उदन्ती अभयारण्य तथा इन्द्रावती टायगर रिजर्व में सीमित रह गए है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वनभैसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के वनभैसों का विशेष महत्व है।

वनभैसों को महत्व देते हुए राज्य शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वनभैंसों पर संकट बढ़ा है। प्रदेश में वनभैंसों को संरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदंती टायगर रिजर्व में एक मात्र बची मादा वनभैंस को लगभग 26 हेक्टेयर के चेनलिंक से घिरे बाड़े में संरक्षित रखा गया है। इस मादा वनभैंस के साथ नर वनभैंसे को समय समय पर बदल बदल कर रखा जाता है। मादा वनभैंसा से अभी तक 5 नर पाड़ों का जन्म हुआ है। वनभैंसों की वंश वृद्धि के लिए यह प्रक्रिया जारी है। उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व में वर्तमान में वनभैंसों की संख्या 11 है। इन्द्रावती टायगर

रिजर्व में विशेष परिस्थितियों के कारण आंकलन न होने से वनभैसों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। उक्त क्षेत्र में वनभैंसों को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है ।

राष्ट्रीय दुग्घ अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों के सहयोग से क्लोंनिंग से वंशवृद्धि का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय दुग्घ अनुसंधान संस्थान, करनाल के वैज्ञानिकों के द्वारा उदंती–सीतानदी में उपलब्ध मादा वनभैंस एवं नर भैंसों के ऊतकों के सैम्पल संग्रहित कर अनुसंधान संस्थान में क्लोनिंग की कार्यवाही किया गया। हैंण्ड ग्लाइडेड क्लोनिंग तकनीक (Hand Guided Cloning Technique) द्वारा अर्द्धबंदी (semi-captivity) द्वारा छत्तीसगढ़ में अकेले जंगली भैंस का मादा क्लोन दिनांक 12 दिसम्बर 2014 को उत्पन्न हुआ जिसका नामकरण ''**दीपआशा**'' किया गया। उक्त बछड़े का जन्म सामान्य प्रसव द्वारा हुआ तथा जन्म के समय इसका भार 32 कि.ग्रा. तथा वर्तमान में वह स्वस्थ है। उदन्ती अभयारण्य में दिनांक 12.03.2015 को एक स्वस्थ मादा वनभैंसे का जन्म हुआ जिसका नाम 'खुशी' रखा गया है। इन्हें मिलाकर उदन्ती वन्यप्राणी अभयारण्य में अब 09 नर तथा 02 मादा वनभैंसा हो गये हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की दसवीं बैठक (दिनांक 14.11.2017) में निर्णय लिया गया है कि उक्त क्लोन मादा वनभैंसा को छत्तीसगढ़ के उदन्ती वन क्षेत्र में लाया जावे। राज्य वन्यजीव बोर्ड के निर्देशानुसार करनाल से क्लोन मादा वनभैंसा को छत्तीसगढ़ लाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

21.8 मगरमच्छ प्रबन्धन :

जांजगीर चांपा वनमंडल के अंतर्गत कोटमीसोनार ग्राम के तालाब में मगरमच्छ एवं मानव द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में मगरमच्छ संरक्षण योजना के नाम से नवीन योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत समीप के तालाबों से मगरमच्छों को कोटमी सोनार तालाब में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में लगभग 110 मगरमच्छ इस तालाब में संरक्षित हैं। इस स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया गया है। कोटमीसोनार स्थित मगरमच्छ प्रक्षेत्र वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा की धारा –36 A(1) के अंतर्गत संरक्षण आरक्षित (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित किए जाने हेतु प्रस्ताव राज्य वन्यजीव बोर्ड की 5वीं बैठक दिनांक 30/05/2012 को बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इसके पूर्व ग्रामसभा कोटमी द्वारा भी इसे संरक्षण आरक्षित (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित करने का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित किया गया है। ग्रामसभा के पारित प्रस्ताव एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में मगरमच्छ संरक्षण प्रक्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 57.037 हेक्टेयर है एवं जिसका समस्त क्षेत्र वन विभाग को

हस्तांतरित एवं उसके कब्जे में है, को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में मगरमच्छ संरक्षण हेतु राशि रू. 57.80 लाख आबंटित किया गया है।

21.9 कछुआ पार्क

कछुओं के संरक्षण एवं लोगों को जागरूक करने हेतु कछुआ पार्क की स्थापना की डी.एम.एफ. के. निधि से राशि रूपये 16.31 लाख की लागत से की गयी है जिसमें कछुओं का उद्धार कर रखा जावेगा तथा एवं उन्हें उपयुक्त स्थान पर भविष्य में पुनर्वासित किया जावेगा। विभाग द्वारा अब तक 40 कछुओं का उद्धार किया गया।

21.10 राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्र एवं उसके बाहर वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं विकास कार्य

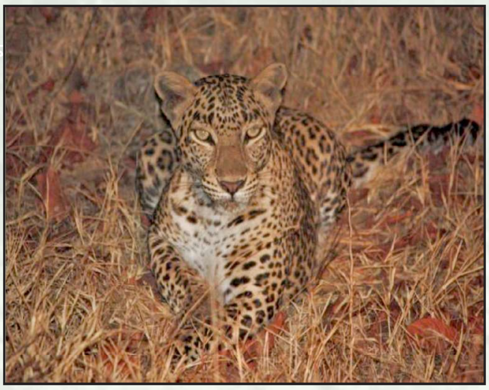

राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टायगर रिजर्व, 8 अभ्यारण्य, 1 बायोस्फियर रिजर्व एवं 1 मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। इन सभी क्षेत्र में वन्यप्राणियों की संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं रहवास क्षेत्र का विकास कार्य किया जाता है। इस हेतु योजना क्र. 3943—वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास, 6722—मगरमच्छ संरक्षण योजना, 5090— जैव विविधता संरक्षण, 6991— हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास, 7459—वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास संचालित है। इन योजनाओं के तहत जलस्रोतों का विकास, तालाब निर्माण, एनीकट निर्माण, स्टॉप डेम, नलकूप खनन, चारागाह विकास, लेन्टाना उन्मूलन, बाड़ा निर्माण, रहवास क्षेत्र का विकास आदि कार्य किये जाते हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्य क्षेत्रों के बाहर कई ऐसे वनक्षेत्र हैं, जो चारों ओर से आबादी से घिरे हुए हैं, परंतु इन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों की बहुलता है। ऐसे क्षेत्रों में आसपास के ग्रामीणों एवं उनके मवेशियों का भारी दबाव है, जिससे वन्यप्राणियों के प्राकृतिक रहवास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन्यप्राणियों को चारे तथा पानी के लिए ग्रामीण मवेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

21.11 राज्य में वन्यप्राणियों का आंकलन —

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के संयुक्त निर्देशन में वर्ष 2014 में राज्य में वन्य प्राणी आंकलन

हेतु क्षेत्रीय आकड़े एकत्रित किये जाकर इन्हें भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून सम्प्रेषित किया गया। नवीनतम पद्धति से वन्यप्राणियों के आंकलन कार्य हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। अचानकमार टायगर रिजर्व में बाघों की उपस्थिति के विभिन्न प्रमाणों एवं कैमरा ट्रैप लिये जाने का कार्य भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को सौंपा गया था। वर्ष 2010 की गणना अनुसार राज्य में 26 बाघ थे। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा बाघों की गणना करायी गयी जिसमें राज्य में बाघों की संख्या 26 से बढ़कर 46 हो गयी है। वर्ष 2018 में पुनः संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय बाघ आंकलन का कार्य किया जा रहा है।

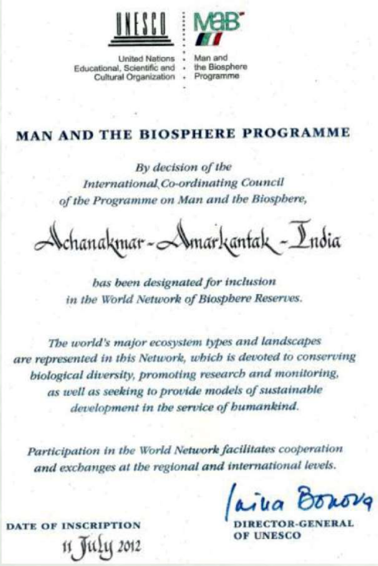
UNESCO | MaB
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | Man and the Biosphere Programme

MAN AND THE BIOSPHERE PROGRAMME

By decision of the International Co-ordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere,

Achanakmar - Amarkantak - India

has been designated for inclusion in the World Network of Biosphere Reserves.

The world's major ecosystem types and landscapes are represented in this Network, which is devoted to conserving biological diversity, promoting research and monitoring, as well as seeking to provide models of sustainable development in the service of humankind.

Participation in the World Network facilitates cooperation and exchanges at the regional and international levels.

DATE OF INSCRIPTION 11 July 2012

DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO

21.12 अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व :–

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व की अधिसूचना भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च 2005 को जारी की गई है। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का कुछ भाग तथा मध्यप्रदेश के डिण्डोरी एवं अनूपपुर जिले के भाग सम्मिलित है। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है। इस जीवमंडल (बायोस्फियर रिजर्व) में छत्तीसगढ़ राज्य का 2610.53 वर्ग कि.मी. सम्मिलित है, जिसमें कोर जोन 551.55 वर्ग कि.मी. है।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 235.26 लाख भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उत्थान के कार्य कराए जा रहे हैं।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व की महत्ता को देखते हुये यूनेस्को के मानव व जैव विविधता कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (International Co-ordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere) की बैठक में इसे बायोस्फिर रिजर्व की विश्व श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है।

21.13 चिड़ियाघर एवं सफारी :–

21.13.1 नंदनवन जू एंड सफारी, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में वन्य प्राणियों तथा राज्य के प्राकृतिक सौन्दर्य को प्रतिबिम्बित करने के साथ भारत में विश्व स्तरीय प्राकृतिक मनोरंजन तथा आधुनिक वन्यप्राणी संरक्षण केन्द्र के रूप में जंगल सफारी चिड़ियाघर विकसित किया गया है। जंगल सफारी को विकसित करने के लिए ग्रीन टेक्नालॉजी की श्रेष्ठतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक आयु वर्ग के नागरिकों, छात्र–छात्राओं एवं पर्यटकों के हृदय में वन एवं वन्यप्राणियों को प्रतिस्थापित करने के लिए इनके रहवास, व्यवहार एवं विचरण प्रकृति को

सहज सुलभ ढंग से प्रदर्शित किया गया है, ताकि वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन श्रेष्ठतम तरीके से हो सके।

21.13.2 क्षेत्रफल एवं स्थिति

नंदनवन जू एवं सफारी, नया रायपुर के सेक्टर 39 में रायपुर शहर से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इसकी दूरी 15 कि.मी. है। यह सफारी लगभग 791 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इसके उत्तर पश्चिम भाग में 130 एकड़ का खण्डवा जलाशय है, जो अनेक प्रकार की जलीय प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। शेष क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के हरे–भरे वृक्षों से आच्छादित है, जो प्राकृतिक वन का एहसास कराते हैं। इसमें हर्बीवोर, बीयर, टायगर तथा लॉयन सफारी है तथा निर्माणाधीन जू में 33 विभिन्न प्रकार के वन्य प्रजातियों को रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त मछली घर, स्नेक पार्क, वाक–इन लैण्ड बर्ड एवियरी एवं वाक–इन वेटलैण्ड बर्ड एवियरी का भी निर्माण किया जायेगा । जंगल सफारी की योजना का निर्माण तथा विकास छत्तीसगढ़ राज्य कैम्पा मद से तथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं मापदंडों के अनुरूप किया गया है।

जंगल सफारी का लोकार्पण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की 16 वीं राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 01 नवंबर 2016 को भव्य समारोह में किया गया। जंगल सफारी को स्थापित करने के लिये राज्य कैम्पा निधि से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अनुमोदित मास्टर प्लॉन में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 तक क्रियान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना में 10 वर्षों में 226 करोड़ रूपये का व्यय प्रावधानित है। जंगल सफारी लोगों को आकर्षण का मुख्य केन्द्र बन रहा है। वर्ष 2017 में लगभग तीन लाख पर्यटक जंगल सफारी का भ्रमण कर चुके हैं। इस क्षेत्र में उपलब्ध पक्षियों का सर्वे कराया गया है जिसमें 57 प्रकार के पक्षियों की पहचान की गई है।

21.13.3 हर्बीवोर सफारी

हर्बीवोर सफारी का कुल क्षेत्रफल लगभग 76 एकड़ है, जो शाकाहारी वन्यप्राणियों के लिये पूर्णतया विकसित है। इसमें 5 प्रजातियों के कुल 80 वन्यप्राणी रखे गये हैं। सफारी में रखे गये शाकाहारी वन्यप्राणियों के प्रकृति के अनुसार घास के मैदान तथा वृक्षों की हरियाली मौजूद है। पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2 तालाब तथा 5 वाटर चैनल निर्मित है। सफारी के लिए भव्य एवं आकर्षक प्रवेश द्वार निर्मित किया गया है। सफारी के बाहरी क्षेत्र 2.6 मीटर ऊंचे चैनलिंक फेंसिंक से घिरी है तथा पर्यटकों को सफारी में घूमने के लिये 2.5 किलोमीटर सड़क है। वन्यप्राणियों को प्राकृतिकवास में निहारने के लिये बैटरी चलित 14 सीटर बसें उपलब्ध है।

21.13.4 टायगर सफारी —

टायगर सफारी का क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ है। टायगर सफारी में 02 नर एवं 02 मादा बाघ रखे गये हैं। इनमें से बाघिन 'किशोरी' द्वारा 03 शावकों को दिनांक 07 जून 2017 को जन्म दिया गया है। दिनांक 28.11.2017 को इन शावकों का नामकरण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा किया गया है। दो नर शावकों को क्रमशः कान्हा एवं चेन्दरू नाम दिया गया है तथा मादा शावक को बिजली नाम दिया गया है। सफारी चारों ओर 5.5 मी. ऊंची चैनलिंक फेंसिंग से घिरी है। बाघ को गर्मी से राहत देने के लिये 3 छोटे पानी टंकियों का निर्माण कराया गया है। दर्शकों को सफारी के अंदर प्राकृतिकवास में बाघ देखने के लिये 2.3 कि.मी. सड़क है। सफारी प्रवेश तथा निकास के लिये सुरक्षित सफारी गेट है एवं पर्यटकों के सफारी के अंदर भ्रमण के लिये सुरक्षित वाहन की सुविधा है।

21.13.5 बीयर (भालू) सफारी

बीयर सफारी का क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ है, जिसमें 3 नर तथा 2 मादा भालू (स्लॉथ बीयर) रखे गये हैं। भालू हिमालय की तराई से समुद्री सीमा तक बहुतायत में पाये जाते हैं यह सर्वभक्षी प्राणी है इनका मुख्य भोजन जंगली फल, फूल है विशेषकर महुआ, इनकी इसी प्रकृति को ध्यान में रखकर बीयर सफारी विकसित किया गया है। यह क्षेत्र चारों ओर से 5.50 मी. ऊंचाई तक चैनलिंग फेंसिंग से घिरा है। भालू के व्यवहार के अनुसार पहाड़ी तथा कृत्रिम गुफा का निर्माण कराया गया है। एक रात्रि विश्राम सह क्राल है, जिसमें भालू को भोजन दिया जाता है। सफारी में प्रवेश एवं निवास हेतु गेट है एवं 2.4 कि.मी. पर्यटक पथ है जिसमें वाहन में सुरक्षित बैठकर पर्यटक भालू को प्राकृतिक अवस्था में विचरण करते देख सकते हैं।

21.13.6 लॉयन (सिंह) सफारी

विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 21 मार्च 2017 को नये लॉयन सफारी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा किया गया। सफारी का निर्माण 20 हे. वन आच्छादित भूमि पर किया गया है तथा वर्तमान में 04 सिंह सफारी में रखे गये हैं। दिनांक 07 अक्टूबर 2017 को 03 शावकों का जन्म हुआ है। लॉयन सफारी में वन्यप्राणियों की सुविधा हेतु क्राल एवं फिडिंग सेल का भी निर्माण किया गया है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टिकोण से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के नार्मस के अनुसार गेट एवं पैडॉग क्षेत्र का निर्माण किया गया है।

ऑनलाईन टिकट बुकिंग सुविधा का शुभारंभ

दिनांक 14 अक्टूबर 2017 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा जंगल सफारी में ऑनलाईन टिकट बुकिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। वेबसाईट www.junglesafari.cg.nic.in पर आम जनता के लिये ऑनलाईन टिकट बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। दिनांक 06.11.2016 से 31 दिसंबर 2017 तक कुल 3,26,360 पर्यटकों द्वारा सफारी का भ्रमण किया गया, जिनमें 34 विदेशी पर्यटक, 43,055 स्कूली बच्चे, 87,761 हमर छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इन पर्यटकों से रूपये 557.82 लाख प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ। जंगल सफारी में पर्यटकों के भ्रमण के लिए 14 नॉन ए.सी. वाहन, 12 वातानुकूलित (ए.सी.) वाहन तथा 03 बैटरी चलित बसें उपलब्ध करायी गयी है।

21.14 चिड़ियाघर

राज्य में दो चिड़याघर नंदनवन जू, रायपुर एवं कानन पेण्डारी जू, बिलासपुर में स्थित है। दोनों चिड़ियाघर में वन्यप्राणियों के रहवास हेतु बेहतर स्थल उपलब्ध है। आमजनों को वन्यप्राणियों को जानने उन्हें करीब से समझने हेतु ये दोनों चिड़ियाघर चल रहे हैं। दोनों चिड़ियाघर में प्रमुख रूप से शेर, भालू, तेन्दुआ, हिरण, कोटरी, सांभर, मगरमच्छ, अजगर एवं अन्य वन्यजीव प्रदर्शन हेतु रखे गये हैं। पर्यटक यहां निर्धारित शुल्क प्रवेश द्वार पर जमा कर निर्धारित समयावधि में जू का भ्रमण कर सकते हैं। जू में बच्चों के मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के मनोरंजन स्थल, झूला आदि का निर्माण किया गया है। उक्त दोनों चिड़ियाघर को घायल वन्यप्राणियों के लिए स्थायी रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। विभिन्न कारणों से वनों एवं आसपास दुर्घटना से घायल हुए वन्यप्राणियों को यहां लाया जाकर बेहतर उपचार एवं रखरखाव किया जाता है।

21.14.1 चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लेने की व्यवस्था :—

चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लेने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रलय, रायपुर का आदेश क्रमांक/एफ—8—6/ 2013/10—2 दिनांक 24.09. 2013 द्वारा राज्य शासन द्वारा सामान्य जनो में वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने उनके प्रति स्नेह एवं सह अस्त्तिव की भावना विकसित करने तथा जन सहभागिता के साथ वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित

करने के उद्देश्य से राज्य के चिड़ियाघरो के जानवरो को गोद लिए जाने के संबंध में योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना से सामान्य जनता में उनके द्वारा गोद लिये गये वन्यप्राणियों को करीब से समझने का अवसर प्राप्त होगा। किसी भी आवेदक के द्वारा चयनित वन्यप्राणियों को गोद लेने के लिये निर्धारित प्रकिया के तहत संबंधित चिड़ियाघरों द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी। आवेदक द्वारा जमा की गयी निर्धारित राशि का उपयोग आवेदक द्वारा चयनित वन्यप्राणियों के भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उनका समुचित रखरखाव के लिये किया जावेगा। उपरोक्त योजना के तहत कानन पेण्डारी चिड़ियाघर बिलासपुर एवं नंदनवन चिड़ियाघर रायपुर में व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न जानवरों को गोद लिया जा रहा है।

21.15 वन्यजीवों के लिए राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास केन्द्र

जंगल से आबादी क्षेत्रों या गांवों की सीमा के आसपास भटक कर आये वन्यप्राणियों को उद्धार किया जाकर बचाया जाता है। इसके लिए राज्य में दो स्थायी उद्धार केन्द्र बनाये गये हैं, जो कानन पेण्डारी जू, बिलासपुर और नंदनवन जू, रायपुर में स्थित है। उद्धार किये गये वन्यजीवों को उचित चिकित्सा एवं देखभाल हेतु उद्धार केन्द्र में रखा जाता है तथा स्वस्थ होने के पश्चात इन्हें पुनः उनके रहवास क्षेत्र में छोड़ा जाता है। उद्धार कार्य प्रशिक्षित अमलों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017 में उद्धार किये गये कुछ वन्यप्राणियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वन्यप्राणी की प्रजाति	स्थान का नाम जहां से वन्यप्राणी को रेस्क्यू कर लाया गया	उद्धार केन्द्र को प्राप्ति दिनांक	पुनर्वासित स्थान का नाम
1	2	3	4	5
i.	01 नग चीतल नर	कवर्धा परिक्षेत्र, भोरमदेव वनमंडल	30.12.2016	नंदनवन चिड़ियाघर
ii.	01 लकड़बग्घा मादा	कोरर परिक्षेत्र, कांकेर वनमंडल	20.01.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
iii.	01 नग चीतल मादा	फिंगेश्वर परिक्षेत्र, गरियाबंद वनमंडल	05.02.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
iv.	01 नग हिरण मादा	हिरण पुनर्वास केन्द्र, बदौरा कवर्धा	09.02.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
v.	01 नग मगरमच्छ नर	कोटमी सोनार, बिलासपुर	15.02.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
vi.	01 नग कोटरी मादा	फिंगेश्वर परिक्षेत्र, गरियाबंद वनमंडल	21.02.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
vii.	01 नग मगरमच्छ मादा	खरसिया परिक्षेत्र, रायगढ़ वनमंडल	20.03.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
viii.	01 नग हिरण नर	महासमुंद परिक्षेत्र	12.05.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
ix.	01 नग चीतल मादा	पिथौरा परिक्षेत्र, महासमुंद वनमंडल	15.05.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
x.	01 नग चीतल नर	फिंगेश्वर परिक्षेत्र, गरियाबंद वनमंडल	25.05.2017	नंदनवन चिड़ियाघर

xi.	01 नग सांभर नर	सहसपुर लोहारा परिक्षेत्र, कवर्धा वनमंडल	01.06.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
xii.	01 नग भालू मादा	कांकेर वनमंडल	06.06.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
xiii.	01 नग बंदर बच्चा	ग्राम सेमरिया, जिला दुर्ग	21.07.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
xiv.	01 नग बंदर मादा	रायपुर परिक्षेत्र, राजातालाब	03.08.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
xv.	01 नग बंदर मादा	रायपुर परिक्षेत्र। छोटापारा	08.08.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
xvi.	01 नग कोटरी मादा	कोंडागांव परिक्षेत्र	14.09.2017	नंदनवन चिड़ियाघर
xvii.	01 नग चीतल शावक मादा	लवन परिक्षेत्र, बलौदाबाजार वनमंडल	30.10.2017	नंदनवन चिड़ियाघर

इसी प्रकार कानन पेण्डारी चिड़ियाघर बिलासपुर द्वारा वर्ष 2017 में मुख्य रूप से 14 चीतल, 2 चौसिंघा, 4 तोता, 2 भालू, 1 कोटरी, 1 लकड़बग्घा, 4 मोर, 1 अजगर, 1 मगरमच्छ को उद्धार किया गया है।

21.16 मानव—वन्यप्राणी द्वंद्व दूर करने हेतु जनहितकारी पहल :

21.16.1 वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर मुआवजा राशि

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 7—32/2003/10—2, दिनांक 12.06.2015 द्वारा शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा, सियार, बंदर एवं मधुमक्खी हिंसक वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर मुआवजा राशि में वृद्धि की गई है। विगत वर्षों की तुलनात्मक मुआवजा राशि की दरें निम्नानुसार है :—

विवरण	अगस्त 2014 से जून 2015	जून 2015 के पश्चात्
जनहानि	रू. 3,00,000	रू. 4,00,000
स्थायी रूप से अपंग होने पर	रू. 1,50,000	रू. 2,00,000
जनघायल	रू. 40,000 अधिकतम	रू. 59,100 अधिकतम
पशुहानि	रू. 20,000 अधिकतम	रू. 30,000 अधिकतम

जंगली हाथियों के अलावा किसानों की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाने पर मुआवजा भुगतान हेतु जंगली सुअरों, नील गायों एवं बनैला गायों को भी नवम्बर 2004 से सम्मिलित किया गया है।

वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने पर तथा ग्रामीणों के घरों को तोड़ने/क्षति पहुंचाने पर सहायता राशि की भुगतान के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7—32/2003/10—2 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा (राजस्व पुस्तक परिपत्र में) पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया गया:—

21.16.2 फसल हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता :—

33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर आर्थिक सहायता अनुदान दिया जावेगा।

(i) 2 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को फसल हानि होने पर असिंचित भूमि के लिए 6,800/— प्रति हे. एवं सिंचित भूमि के लिए 13,500/— रूपये प्रति हे. दिया जावेगा। प्रति हे. न्यूनतम सहायता 1,000/— रूपये से कम नहीं होगी। बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।

(ii) 2 हे. तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को बारहमासी फसल हानि होने पर 18,000/— रूपये प्रति हे., न्यूनतम सहायता 2,000/— रूपये से कम नहीं होगी, दी जावेगी।

21.16.3 मकान क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता :—

(छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र पृ.क्रमांक एफ 7—32/2003/10—2, दिनांक 28.06.2016)

(i) पूर्ण नष्ट पक्का/कच्चा मकान :—

(अ) पक्का/कच्चा मकान :— पूर्ण मकान हानि हो जाने पर सामान्य क्षेत्रों में रूपये 95,100/— (रूपये पंचानबे हजार एक सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

क्रमांक	क्षतिपूर्ति का प्रतिशत	पक्का/कच्चा मकान क्षतिपूर्ति
i.	25 प्रतिशत	23,775/— या 23,800/—
ii.	50 प्रतिशत	47,550/— या 47,600/—
iii.	75 प्रतिशत	71,325/— या 71,400/—
iv.	100 प्रतिशत	95,100/—

(ब) एकीकृत कार्य योजना के जिलों एवं पहाड़ी क्षेत्रें में पक्का/कच्चा पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 1,01,900/— (रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

क्रमांक	क्षतिपूर्ति का प्रतिशत	पक्का/कच्चा मकान क्षतिपूर्ति
v.	25 प्रतिशत	25,475/— या 25,500/—
vi.	50 प्रतिशत	50,950/— या 51,000/—
vii.	75 प्रतिशत	76,625/— या 76,400/—
viii.	100 प्रतिशत	1,01,900/—

(ii) साधारण क्षति :—

अ. पक्का मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 5,200/— (रूपये पांच हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।

ब. कच्चा मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 3,200/— (रूपये तीन हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।

(iii) झोपड़ी के क्षतिग्रस्त :—

प्राकृतिक प्रकोपों से अस्थाई आवास, मिट्टी, छप्पर, गीली मिट्टी से बना या प्लास्टिक सीट से बनी झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 4,100/— (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति झोपड़ी अनुदान सहायता देय होगी। उक्त झोपड़ी चाहे स्वयं की आवास भूमि या शासकीय भूमि पर बना हो, सभी को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(iv) पशुगृह (जो आवास से संलग्न हो) :—

प्राकृतिक प्रकोपों से पशुगृह जो आवास के साथ संलग्न है, क्षतिग्रस्त होता है, तो रूपये 1,500/— (एक हजार पांच सौ) प्रति शेड अनुदान सहायता प्रदान की जायेगी।

21.16.4 हाथी प्रभावित क्षेत्र हेतु :— छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 2124/1633/2016/10—2 दिनांक 08.07.2016 द्वारा प्रदेश के हाथी प्रभावित क्षेत्र में जंगली हाथियों से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान रू. 9000/— प्रति एकड़ की दर से आर.बी.सी. (राजस्व पुस्तक परिपत्र में) के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान करने के पश्चात्

प्रति एकड़ अंतर की राशि का भुगतान कैम्पा मद से करने हेतु राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।

योजना (3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति मद में वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि/पशुहानि/फसल हानि/संपत्ति हानियों के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति के रूप में निम्न में दर्शाये योजनानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रू. 2000 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2017 तक निम्न व्यय किया गया है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2017–18 में प्रावधान	वर्ष 2017–18 व्यय (दिसम्बर 2017 तक)
i.	(3896)–वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति	2000.00	1806.19
ii.	(3730)– प्रोजेक्ट टायगर	6.00	0.17
iii.	(6991)–हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	25.95	5.33
	योग	**2031.95**	**1811.69**

21.17 वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि/जनघायल/पशुहानि/फसल हानि/मकान/संपत्ति हानि का विवरण तथा राज्य शासन द्वारा किये गये भुगतान

वन्यप्राणियों द्वारा वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में (माह दिसम्बर 2017 तक) में किये गये जनहानि/जनघायल/पशुहानि/फसल हानि/मकान/संपत्ति हानि का विवरण तथा राज्य शासन द्वारा किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन्यप्राणियों द्वारा की गई जन धन क्षति की जानकारी

वृत्त	जनहानि		जनघायल		पशु हानि		फसल हानि		मकान हानि	
	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि
बिलासपुर	22	8800000	176	2949314	467	5718700	6457	27025891	480	16245200
सरगुजा	70	26550000	253	3337011	416	2290711	11485	46049739	2005	31273071
रायपुर	6	2400000	45	479435	98	682800	699	1851525	10	34660
दुर्ग	2	800000	88	970249	65	583900	125	655179	1	20000
कांकेर	0	0	38	740336	230	2233000	22	85227	0	0
जगदलपुर	1	400000	31	603953	73	765000	0	0	0	0
योग	101	38950000	631	9080298	1349	12274111	18788	75667561	2496	47572931

वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन्यप्राणियों द्वारा की गई जन धन क्षति की जानकारी

	जनहानि		जनघायल		पशु हानि		फसल हानि		मकान हानि	
वृत्त	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि	प्रकरण संख्या	भुगतान राशि
बिलासपुर	27	9225000	61	1480921	203	2075600	7293	44079276	361	15702963
सरगुजा	46	14800000	168	1637273	303	1909571	6509	27971032	1854	27374996
रायपुर	3	1200000	102	1509054	292	7651800	3869	18671381	46	349781
दुर्ग	2	800000	54	285455	6	35000	37	168387	2	6400
कांकेर	2	400000	7	36205	18	85500	.	.	.	.
जगदलपुर	5	2000000	49	1114432	4	49000	.	.	.	.
योग	85	28425000	441	6063340	826	11806471	17708	90890076	2263	43434140

शासन के आदेश दिनांक 24.04.2015 से लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत ट्रेजरी से बिल पारित होने के पश्चात जनहानि/जनघायल के प्रकरण में 10 दिन के भीतर तथा फसल/संपत्ति, पशु हानि होने पर 15 दिन के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। वनमंडलों में तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु 2015–16 में रू. 10.00 लाख की चक्रीय निधि प्रारंभ की गई है।

21.18 आद्र क्षेत्र

छत्तीसगढ़ राज्य वनों से अच्छादित प्रदेश है एवं यहां भौगोलिक क्षेत्र का 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है। राज्य में जलस्रोत काफी अधिक मात्रा में है। जलस्रोत (Water Bodies) के मैनेजमेंट हेतु भारत शासन द्वारा आर्द्र भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010 बनाया गया है। इन नियमों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आर्द्र भूमि (संरक्षण तथा प्रबंधन) हेतु मुख्य वन संरक्षक (इको–टूरिज्म तथा जैवविविधता संरक्षण) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

वैटलैण्ड के चयन एवं प्रबंधन पर चर्चा हेतु माह सितंबर 2016 में एक कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें योजना आयोग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग तथा अशासकीय संस्था के व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यशाला के माध्यम से 10 वैटलैण्ड को शॉर्ट लिस्ट कर 05 वैटलैण्ड जो वन क्षेत्र से बाहर है का चयन कर संक्षिप्त दस्तावेज बनाकर अधिसूचना का प्रकाशन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया, जिसे राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है। वनक्षेत्र में स्थित वैटलैण्ड वन विभाग द्वारा संरक्षित किये जाते हैं, अतः 5 वैटलैण्ड जो वन क्षेत्र से बाहर है उनका चयन

नोटिफिकेशन हेतु किया गया है। वैटलैण्ड के संक्षिप्त अभिलेखीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं इनका भू सत्यापन भी किया गया है।

21.19 वन अपराधों की सूचना देने से संबंधित पुरस्कारों में वृद्धि

वन्यप्राणियों से संबंधित अपराधों को पकड़वाने में सहयोग करने के लिये सूचना प्रदाय कर्ताओं को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि अत्यंत कम होने से यह आवश्यक हो गया था कि संबंधित पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाये। राज्य शासन द्वारा विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुये आदेश क्रमांक एफ 8—24/2007/10—2 दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 द्वारा पुरस्कार की राशि में निम्नानुसार वृद्धि की गयी है :—

क्र	अवैध शिकार संबंधित विषय जिसके लिये पुरस्कार देय है	पूर्व में प्रावधानित पुरस्कार की अधिकतम राशि	पुरस्कार की पुनरीक्षित अधिकतम राशि			अभियुक्ति
			प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) स्तर पर	वन संरक्षक स्तर पर	वनमंडल अधिकारी स्तर पर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	बाघ, जंगली हाथी, वनभैंसा, गौर, तेन्दुआ, भालू, जिसमें अपराधी की सूचना दी गई हो।	500/—	10000/— तक पूर्ण अधिकार	7500/—	5000/—	वन संरक्षक तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा पुरस्कार दिए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रकरण का विवरण एवं प्रदाय पुरस्कार की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी छत्तीसगढ़ रायपुर को प्रेषित की जाएगी।
ii.	बाघ, जंगली हाथी, वनभैंसा, गौर, तेन्दुआ, भालू, जिसमें अपराधी का पता नहीं किया गया।	100	—	5000/—	2000/—	अपराधी का पता न लगने की स्थिति में केवल अपराध हुआ है, यह सिद्ध होने पर, पुरस्कार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर की पूर्व अनुमति प्राप्त कर देय होगा।
iii.	अन्य वन्य पशु, मगर, घड़ियाल, बस्तर पहाड़ी मैना तथा मोर आदि जिनमें अपराधी की सूचना दी गयी हो।	200	—	5000/—	2000/—	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना दी जाएगी।
iv.	अन्य वन्य पशु, मगर, घड़ियाल, बस्तर पहाड़ी मैना तथा मोर आदि जिनमें अपराधी की सूचना नहीं दी गयी।	25	—	2000/—	1000/—	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना दी जाएगी।
v.	अन्य पक्षी जिसमें अपराधी की सूचना दी गयी।	05	—	1000/—	500/—	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचना दी जाएगी।

21.20 वन्यप्राणियों के आवागमन व अनुवांशिकी उन्नयन हेतु गलियारा (कॉरिडोर) निर्माण व प्रबंधन

राज्य शासन द्वारा राज्य में 3 टाईगर रिजर्व, 2 राष्ट्रीय उद्यान एवं 8 अभयारण्यों तथा 1 हाथी रिजर्व की स्थापना की गयी है। इसके साथ साथ वन्यप्राणियों के अनुवांशिक उन्नयन व अनुवांशिक उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिये एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र तक उनके आने जाने हेतु एवं एक दूसरे से मिलते रहने की प्रक्रिया निर्बाध व निरंतर रखने हेतु कॉरिडोर की आवश्यकता को देखते हुये विभाग द्वारा बाघों के लिये कान्हा–भोरमदेव–अचानकमार तथा हाथियों के लिये तमोर पिंगला–सेमरसोत–बादलखोल के बीच के वन क्षेत्रों को कॉरिडोर के रुप में चिन्हित किया जाकर कॉरिडोर प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिये कान्हा टायगर रिजर्व एवं भोरमदेव अभयारण्य तथा अचानकमार टाईगर रिजर्व के बीच आने वाले संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिये चलायी जा रही योजना (3943) वन्य जीवों का संरक्षण व विकास मद से स्वीकृत की जाकर दस पेट्रोलिंग कैंम्प स्थापित किये गये हैं। इसके साथ ही वन्यप्राणियों को पीने के पानी उपलब्ध कराने हेतु जलस्त्रोतों का निर्माण कराया गया है।

हाथियों के लिये चिन्हित तैमोर पिंगला–सेमरसोत–बादलखोल कॉरिडोर में बॉस सहित हाथियों के लिये उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण तथा वहुवर्षीय पेय जल स्त्रोतों के विकास हेतु केंद्र शासन की योजना **प्रोजेक्ट एलीफेंट** एवं राज्य शासन की योजना **हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास** मद से राशि प्रदान की जाकर वृक्षारोपण व तालाब निर्माण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं।

21.21 मैरिन फॉसिल पार्क की स्थापना

जून 2012 में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मनेन्द्रगढ़, कोरिया प्रवास के दौरान मनेन्द्रगढ़ के पास नदी के किनारे मैरिन फॉसिल की माजूदगी का तथ्य प्रकाश में आया। इसके सत्यापन के लिए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी लखनऊ, जो भारत सरकार का एक शीर्ष अनुसंधान संस्थान है, से संपर्क कर विषय विशेषज्ञों को स्थल निरीक्षण/परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके द्वारा स्थल भ्रमण किया जाकर परीक्षण उपरांत इस बात की पुष्टि की गई कि कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के आमाखेरवा, हंसदेव नदी के पास मैराइन परमियन जीवाश्म उपलब्ध है जिन्हें जियोहैरीटेज साईट (Geoheritage sites) के रूप में विकसित किये जाने का सुझाव वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। विभाग द्वारा मैरिन फॉसिल पार्क को चेनलिंक से घेरना, चौकीदार हट का निर्माण, पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करना आदि कार्य किया गया हैं।

21.22 प्रवासी पक्षियों और उनके आवासीय स्थलों का संरक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई प्रवासी पक्षी विभिन्न मौसमों में आते हैं जिनका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रवासी पक्षियों के स्टेटस एवं उनके रहवास स्थलों के सर्वे की जाएगी। इसमें प्रवासी पक्षियों के आवागमन, प्रवास पैटर्न, प्रवास क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय विशिष्टताओं, रहवास स्थलों के प्रबंध का तकनीकी डाटाबेस तैयार करने के कार्य किए जाएंगे। यह राज्य की एवियन–जैवविविधता के संरक्षण, संवर्धन तथा नैसर्गिक पर्यटन को बढ़ाने में सहायक होगा। छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वेक्षण के उद्देश्य से 6 प्रक्षेत्रों बस्तर, नगरी, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं सरगुजा में विभक्त किया गया है। अभी तक किए गए प्रवासी पक्षियों एवं उनके रहवास स्थलों के सर्वेक्षण से 21 ऐसे रहवास स्थलों, जिनमें आर्द्र भूमि एवं वृक्षयुक्त रहवास स्थल सम्मिलित हैं, की पहचान की गई है। पक्षी प्रजातियों में 15 प्रजातियां प्रवासी पायी गई हैं।

रायपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर गिधवा डैम एवं गिधवा तालाब जिनका क्षेत्रफल क्रमशः लगभग 200 एकड़ एवं 55 एकड़ है, में बहुतायत में प्रवासी पक्षी एवं स्थानीय पक्षियों की उपस्थिति देखी गयी है। यह दोनों आर्द्र भूमि एक दूसरे से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है एवं इनमें पक्षियों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। पक्षियों के लिए यह एक आदर्श रहवास स्थल बन सकता है। गिधवा पक्षी विहार के विकास के लिए वनमण्डलाधिकारी दुर्ग को राशि रूपये 68.00 लाख कैम्पा मद से स्वीकृत किये गये हैं।

21.23 राज्य वन्यजीव बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की दिनांक 14.11.2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दसवीं बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित की गई। बोर्ड में नवम बैठक में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही को सदस्य सचिव के द्वारा अवगत कराया गया। दसवीं बैठक में मुख्य रूप से लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

- गोमर्डा अभयारण्य के ग्राम कनकबीरा में पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति ।

- गोमर्डा अभयारण्य में बी.एस.एन.एल. द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के कार्य की स्वीकृति।
- बलौदाबाजार वनमण्डल में बाघमरा गोल्ड स्टॉक हेतु पूर्वेक्षण की स्वीकृति ।
- बारनवापारा अभयारण्य के विस्तारीकरण पर पुनः जनप्रतिनिधियों से चर्चा के उपरांत पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार किया जाये।
- बोदई दलदली बाक्साईट माईन उत्पादन क्षमता में वृद्धि बाबत् ।
- भोरमदेव अभयारण्य को टायगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव।
- बंदरों के बंध्याकरण कार्यक्रम प्रारंभ करने बाबत् ।
- एस.एफ.आर.टी.आई के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र (रीजनल सेंटर) की स्थापना ।
- छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी के शुभंकर का अनुमोदन ।
- भोरमदेव अभयारण्य के राजस्व क्षेत्र में मार्ग उन्नयनीकरण चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति ।

21.24 वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण

वनक्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी कभी–कभी गांवों के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण भी जंगलों में जाते हैं, जहां मानव–वन्यप्राणी द्वंद्व की घटनायें सामने आती है। इसी द्वंद्व का प्रबंधन करने हेतु विभाग द्वारा ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र का विकास एवं संरक्षण एवं वन्यप्राणियों से हुई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति किये जाने के प्रावधान हैं।

21.25 वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह (02–08 अक्टूबर)

राज्य में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। यह कार्यक्रम राजधानी के साथ–साथ राज्य के समस्त अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यान, टायगर रिजर्व एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों में मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय श्री महेश गागड़ा, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के मुख्य आतिथ्य में महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर दिनांक 02.10.2017 को एक भव्य समारोह में किया गया । समरोह के प्रथम दिवस आमजन में वन्यप्राणियों के सरंक्षण के प्रति जागरूकता एवं स्नेह का प्रचार हेतु सायकल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में आम जनता, विद्यार्थियों तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया गया। सायकल रैली मरीन ड्राईव तेलीबांधा से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राजातालाब रायपुर स्थित वनमण्डल कार्यालय में आकर संपन्न हुई । वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए निबंध, चित्रकला एवं वादविवाद प्रतियोगिताऐं आयोजित की गयी। इस दौरान ऑनलाईन फोटोग्राफी प्रतियोगिता

भी आयोजित की गयी । प्रति दिन शाम को मरीन ड्राईव तेलीबांधा रायपुर में वन्यप्राणियों से संबंधित चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया तथा छायाचित्रें की प्रदर्शनी भी लगायी गयी। शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, एल.ई.डी स्क्रीन के माध्यम से आकर्षक प्रचार–प्रसार किया गया । वाहनों में वन्यप्राणियों के स्टीकर लगाये गये। दूरदर्शन, एफ.एम. रेडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वनमंत्री जी के संदेश का प्रसारण कराया गया। राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी के पोस्टर का शैक्षणिक संस्थाओं में वितरण किया गया। नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाकर जन–जागरूकता के प्रयास किये गये। वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन समारोह एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया।

21.26 वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण योजनाओं हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय

वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित आयोजनेत्तर एवं आयोजना मदों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दो वर्षो में प्रावधानित, आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17			2017–18 (व्यय माह नवम्बर 2017)		
		प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्रावधान	आबंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आयोजनेत्तर –							
i.	(3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनो सहित संरक्षण)	81.00	81.00	80.93	81.00	81.00	00
ii.	(8912) वन्यप्राणी बचाव पुर्नवास बचाव एवं हेल्थकेयर प्रबंधन	64.90	64.90	62.27	127.50	24.21	00
iii.	(3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति	2000.00	1908.50	1756.40	2000.00	1709.00	1103.33
iv.	(6885) प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	380.80	380.45	330.83	429.80	325.41	202.90
v.	(2899) राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र	1349.80	1349.80	1188.48	1531.27	950.24	822.91
vi.	(2900) अभयारण्य क्षेत्र	2892.00	2892.00	2434.91	3251.77	2045.97	1691.62
vii.	(8644) वन्यप्राणी वन वत्तों की स्थापना	361.35	361.35	254.98	433.35	290.01	205.61
viii.	(4349) सड़कों का निर्माण तथा सड़कें एवं पुलों की दुरस्ती	130.00	130.00	129.98	130.00	130.00	63.73
ix.	(6218) भवनों की मरम्मत	136.50	136.50	135.74	136.50	122.94	34.40
	योग–	**7396.35**	**7304.50**	**6374.52**	**8121.19**	**5678.78**	**4124.50**
आयोजना –							
i.	(2965) बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित	300.00	300.00	291.04	300.00	300.00	110.63
ii.	(6724) बांस वनों का पुनरूद्वार	110.00	110.00	109.34	110.00	110.00	45.44
iii.	(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	880.00	880.00	877.03	880.00	793.99	261.98
iv.	(6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	1111.59	1111.29	1114.47	1460.09	1187.75	943.38
v.	(6722) मगरमच्छ संरक्षण योजना	82.00	82.00	81.93	82.00	57.80	19.59
vi.	(6723) संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण	60.00	60.00	59.96	60.00	25.00	13.75
vii.	(6793) छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड स्थापना	55.00	55.00	55.00	55.00	35.75	22.00

क.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2016–17			2017–18 (व्यय माह नवम्बर 2017)		
		प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्रावधान	आबंटन	व्यय
viii.	6699–वन विकास उपकर निधि से व्यय	572.00	00	00	520.00	0.00	0.00
ix.	(6993) नैसर्गिक पर्यटन का विकास योजना	165.00	165.00	155.94	165.00	92.10	48.28
x.	(5502) प्रोजेक्ट एलीफेंट	200.00	103.14	73.27	200.00	80.00	00
xi.	(6539) राष्ट्रीय उद्यान /अभयारण्य का विकास	1000.00	479.94	444.43	1000.00	478.70	40.34
xii.	(6886) वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	240.00	240.00	239.88	240.00	229.00	78.58
xiii.	(5090) जैव विविधता संरक्षण	930.00	930.00	921.90	930.00	859.70	209.81
xiv.	(6991) हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास योजना	1155.00	1155.00	1146.57	1247.40	892.72	288.62
xv.	(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	480.00	480.00	476.56	480.00	377.85	152.64
xvi.	(3730) प्रोजेक्ट टायगर	1500.00	1207.10	1063.92	2340.00	950.58	376.14
xvii.	(6771) अचानकमार अमरकंटक बायोस्फिर रिजर्व का विकास	250.80	88.17	88.13	253.30	235.26	0.00
xviii.	(4342) सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य	250.00	250.00	249.77	300.00	274.96	31.69
	योग–	**9341.39**	**7696.64**	**7449.14**	**10622.79**	**6981.16**	**2642.87**
	महायोग –	**16737.74**	**15001.14**	**13823.66**	**18743.98**	**12659.94**	**6767.37**

भाग – तीन

22. छत्तीसगढ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

22.1 निगम का गठन एवं उद्देश्य

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–5–2/ वन/2001/ दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का कम्पनीज़ एक्ट 1956 के तहत् पंजीयन दिनांक 22.05.2001 को किया गया।

गठन के समय से निगम मुख्यतः वनक्षेत्रों को वन विभाग से लीज़ पर लेकर औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान प्रजातियों जैसे सागौन, नीलगिरी आदि का रोपण करता रहा है। इसके लिए निश्चित अवधि में विरलन एवं पूर्ण विदोहन कर व्यापारिक प्रजाति के वृक्षों का नीलाम द्वारा विक्रय किया जाता है। प्राप्त काष्ठ की बाजार की आवश्यकताओं की दृष्टि से लॉगिंग की जाती है ताकि अधिक से अधिक

राजस्व प्राप्त हो सके। इसके साथ ही प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन निगम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खदानी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण भी निगम द्वारा किया गया है। निगम के कार्यो से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार में सहायता मिली हैं।

22.2 निगम की संरचना, सेटअप एवं प्रबंधन

- निगम के कार्य का संचालन शासन द्वारा गठित 11 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। श्री श्रीनिवास राव मद्दी निगम के अध्यक्ष एवं श्री आर.के. गोवर्धन, भा.व. से. निगम के प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ हैं।
- निगम के 2 क्षेत्रीय एवं 9 मंडल कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय वन सेवा के वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ किये जाते हैं। परियोजना/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल का प्रबंधन उप वन संरक्षक/प्रबंधक (वानिकी) स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में कुल स्वीकृत 734 पदों के विरूद्ध कुल 443 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं 114 नियमित चौकीदार सांख्येत्तर पद पर कार्यरत हैं।

22.3 निगम की अंशपूंजी

- **अधिकृत अंशपूंजी :–** निगम की अधिकृत अंशपूंजी 30 करोड़ है।
- **प्रदत्त अंशपूंजी :– निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 26.655 करोड़ रूपये है।**

निवेशक	अंशपूंजी
छत्तीसगढ़ शासन	रू. 25.731 करोड़
भारत सरकार	रू. 0.924 करोड़
योग :	**रू. 26.655 करोड़**

22.4 निगम की क्षेत्रीय ईकाईयां

निगम को वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन क्षेत्र हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में कुल 2,17,391 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। निगम के 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं परियोजना मंडल/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल के रूप में 9 ईकाईयॉं निम्नानुसार कार्यरत है :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना मण्डल का नाम	गठन दिनांक	वन क्षेत्र फल (हे.)
i.	रायपुर	01. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	30.10.1975	35,201
		02. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	17.12.1976	49,910
		03. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	17.12.1976	29,040
		04. कवर्धा परियोजना मण्डल, कबीरधाम	11.09.2003	25,147
		05. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, जगदलपुर	29.06.2016	14,349
ii.	बिलासपुर	06. कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	30.10.1975	30,623
		07. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	11.09.2003	33,121
		08. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, कोरबा	23.08.2001	औद्योगिक/राजस्व क्षेत्र में रोपण
		09. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, रायगढ़	23.12.2017	औद्योगिक/राजस्व क्षेत्र में रोपण
		योग :		2,17,391

22.5 गतिविधियॉं

22.5.1 सागौन, बांस एवं नीलगिरी का व्यावसायिक रोपण –

कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रजातियों का रोपण कार्य निगम की स्वयं की राशि से किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वनक्षेत्र में वर्ष 2001 से 2017 तक कुल 67353 हेक्टेयर में सागौन, बांस, एवं नीलगिरी के रोपण किये गये । वर्ष 2013 से 2017 तक किये गये वृक्षारोपण निम्नानुसार है :–

रोपण वर्ष	प्रजाति				योग	
	सागौन		नीलगिरी		क्षेत्र फल (हें.)	पौधा संख्या (लाख में.)
	क्षेत्र फल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में.)	क्षेत्रफल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7
2013	4769	80.45	454	9.50	5223	89.95
2014	4887	80.99	120	1.87	5007	82.86
2015	3847	62.20	139	2.70	3986	64.90
2016	1538	25.79	225	4.33	1763	30.12
2017	2206	45.10	194	2.92	2645	48.02

वर्ष 2018 में 2000 हेक्ट में 50 लाख सागौन एवं नीलगिरी पौधा रोपण प्रस्तावित है।

36 वर्षीय सागौन वृक्षारोपण बारनवापारा मंडल

22.5.2 औद्योगिक क्षेत्रों में रोपण –

वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण विकास एवं संतुलन के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों जैसे–भिलाई इस्पात संयंत्र , एन.एम.डी.सी बस्तर (नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन)., एम.सी.एल.(महानदी कोलफील्ड्स लि.), एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी (एन.टी.पी.सी. एवं सेल का संयुक्त उपक्रम), एस.ई.सी.एल. (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.) बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) कोरबा एवं लारा के खदानी एवं गैर खदानी क्षेत्रो में मिश्रित प्रजातियों का सघन रोपण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल्को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल आदि संस्थानों के क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य किया जाता है। यह योजना विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से **"न लाभ न हानि"** के सिद्धांत पर अग्रिम राशि प्राप्त कर डिपाजिट कार्य के रूप में संचालित की जाती है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में निगम द्वारा 1990 से अब तक कुल 240.73 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2013 से 2017 तक वर्षवार रोपित पौधों की संख्या निम्नानुसार है :–

(पौधा संख्या लाख में)

2013	2014	2015	2016	2017	योग
7.40	8.00	6.31	6.10	9.34	**37.15**

वर्ष 2018 में इस योजनान्तर्गत 10.00 लाख पौधों के रोपण का कार्य प्रस्तावित है।

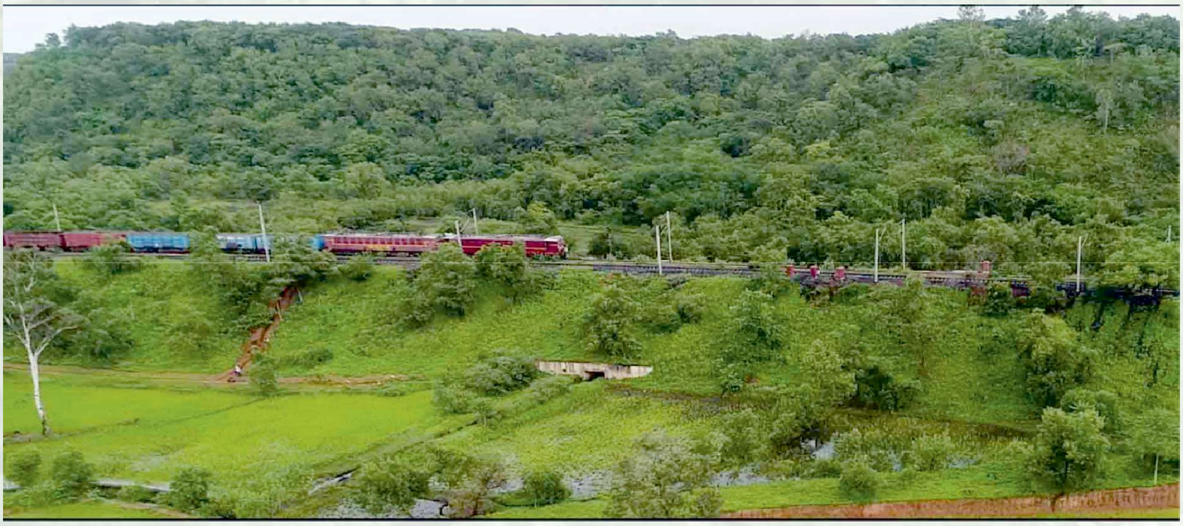

खदानी क्षेत्रों में हरियाली–कुसमुण्डा

केपिटल कॉम्पलेक्स रोपण वर्ष 2009 नया रायपुर

22.5.3. राजस्व क्षेत्र में वृक्षारोपण –

निगम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में हरियाली विकास हेतु योगदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष पथ एवं पड़त भूमि के ब्लॉक्स का चयन कर विभिन्न प्रजातियों यथा पीपल, शीशु, बांस, करंज, कहुआ, पेल्टाफारम, चिरौल आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है। विगत 5 वर्षो में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	पथ (कि.मी.)	ब्लाक (हे.)	रोपित पौधा संख्या
2013	20.000	–	40000
2014	97.160	64.00	317572
2015	220.400	993.460	1401110
2016	56.341	464.542	551381
2017	28.04	821.68	814676

वर्ष 2018 में 500 हे. में ब्लाक रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

अल्प वनक्षेत्र वाले जांजगीर–चांपा जिले में वृहद रूप से वृक्षारोपण किये गये है। विगत 03 वर्षो में 750 हेक्ट. एवं 3 कि.मी. क्षेत्र में 7.13 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मुख्य रूप से कहुआ, शीशु आंवला, पीपल आदि पौधों का रोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि जांजगीर–चांपा जिले में अधिकांश भूमि जिला कलेक्टर द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराकर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई है। निगम द्वारा हरियाली बढ़ाने के प्रयासों से वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

वृक्षारोपण सांकरा –2017

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार इस वर्ष रेल्वे की 31 हेक्ट. भूमि पर 34000 पौधों का रोपण किया गया है। रेल्वे की रिक्त भूमि पर आगामी वर्षो में वृक्षारोपण हेतु रेल्वे एवं वन विकास निगम के मध्य एम.ओ.यू. किया गया है।

वन विकास निगम द्वारा विगत कई वर्षो से छत्तीसगढ़ की अत्याधुनिक एवं नवीन राजधानी नया रायपुर में पथ एवं ब्लाक वृक्षारोपण किये गये है। मुख्य मार्गो पर छायादार एवं फूलदार प्रजातियों के पौधों का सघन रोपण किया गया है। इस वर्ष 50,000 पौधे नया रायपुर क्षेत्र में लगाये गये है लगाई गई प्रजातियों में झारूल, कनेर, कचनार, अमलताश, पीपल, कहुआ, करंज, नीम, बरगद आदि है।

22.6 निगम की रोपणियाँ

निगम की 6 रोपणियों में निगम के रोपण हेतु सागौन रूटशूट तैयार किए जाते है। मिश्रित प्रजाति के पौधों के तैयारी हेतु आवश्यकतानुसार अस्थायी रोपणी तैयार की जाती है विगत् पाँच वर्षों में वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में सागौन पौधों की जानकारी निम्नानुसार है :—

(पौधा संख्या लाख में)

वर्ष	परियोजना मंडल का नाम						
	बारनवापारा	कोटा	पानाबरस	अंतागढ़	कवर्धा	सरगुजा	योग
2014	35.52	26.12	9.00	19.52	29.80	20.45	140.41
2015	20.79	13.17	11.71	4.74	16.55	27.00	93.96
2016	22.00	7.97	13.20	10.00	19.24	22.56	94.97
2017	12.73	12.36	7.09	19.22	7.40	5.22	64.02
2018	35.44	7.00	16.25	13.00	24.00	16.00	111.69

सागौन रोपणी–रायकेरा

मीडीयन रोपण नया रायपुर

22.7 विदोहन

निगम द्वारा प्रतिवर्ष सागौन वृक्षारोपणों का विरलन कार्य, क्राप–I में सुधार कार्य के तहत् मार्किंग एवं विदोहन, बांस कूपों एवं बांस रोपणों में विदोहन का कार्य किया जाता है। विदोहन से प्राप्त वनोपज को निगम के 6 व्यावसायिक डिपो से नीलाम द्वारा निर्वतन किया जाता है। औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है। विगत् 5 वर्षों में विभिन्न वनोपज का निम्नानुसार उत्पादन हुआ है :—

वानिकी वर्ष	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग)	व्यापारिक बांस	औद्यो.बांस (नो.टन)
2011-12	33928	60752	375815	1497
2012-13	38153	39095	214945	699
2013-14	33439	33309	474490	1002
2014-15	41238	34386	226395	596
2015-16	43133	35510	455510	1117
2016-17	26170	14621	369890	776

22.8 आधारभूत प्रशिक्षण एवं कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

वन विकास निगम में वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार सेवानिवृत्ति को देखते हुए 18 परियोजना वन क्षेत्रपालों का व्या.प.मं. से चयन कर नियुक्ति की गई है। इन्हें एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण नवम्बर 2017 में ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में दिया गया है।

छ.ग. राज्य वन विकास निगम कम्पनी एक्ट में पंजीकृत कम्पनी है। निगम ने अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत 54.75 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत किये हैं।

विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रू. में.)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2014-15	53.61	23.49	30.12	29.00
2015-16	67.70	27.80	39.90	37.52
2016-17	38.86	27.13	11.73	8.75

22.9 लेखा एवं अंकेक्षण

22.9.1 अंकेक्षण एवं लेखे की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 तक का सांवधिक अंकेक्षण एवं सी.ए.जी. का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने की कार्यवाही प्रगति पर है।

22.9.2 राज्य शासन को लाभांश – वर्ष 2015–16 के लिये राज्य शासन को 3.60 करोड़ रूपये लाभांश का भुगतान किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

प्रदेश में सुदूर वन क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 30/10/2000 को किया गया है। लघु वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज (तेन्दू पत्ता, कुल्लू, खैर, बबूल एवं धावड़ा गोंद) के संग्रहण एवं विपणन का कार्य जिला यूनियनों तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सालबीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी गुठली, महुआ बीज, कुसुमी तथा रंगीनी लाख का संग्रहण, विपणन एवं प्रसंस्करण का कार्य भी किया जाता है। अन्य अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण तथा विपणन आदि कार्य तेन्दूपत्ता के लाभ के 15 प्रतिशत राशि से कराये जा रहे है।

23.1 लघु वनोपज संघ की संरचना—

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 31/12/2017 की स्थिति में

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय के पद			जिला यूनियन कार्यालय के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.व. सं.)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
4	उप महा प्रबंधक (उप वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उपपंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	0	2	6	2	4	30	19	11	38	21	17
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक / निजसचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्र पाल	1	0	1	0	0	0	10	6	4	11	6	5
17	उप वन क्षेत्र पाल	0	0	0	0	0	0	180	162	18	180	162	18
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय के पद			जिला यूनियन कार्यालय के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	5	.1	6	6	0	27	21	6	37	32	12
26	कनिष्ट लेखापाल	7	5	2	0	0	0	21	16	5	28	21	7
27	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	7	0	6	5	1	31	27	4	44	39	5
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग–3 / स्वागतकर्ता	21	15	6	6	6	0	61	39	22	88	60	28
31	वाहन चालक	12	9	3	3	3	0	19	11	8	34	23	11
32	दफतरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	संदेशवाहक	17	10	7	12	9	3	48	29	16	77	48	26
34	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	33	4	37	33	4
35	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योगः–	109	76	32	39	31	8	464	363	98	612	470	145

23.2 वनोपज सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को 901 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन सम्पन्न हुआ एवं 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मण्डल का गठन किया जा चुका है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाकर संचालक मण्डल का गठन पूर्ण किया जा चुका है, वनोपज संघ के निर्वाचित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

01) **माननीय श्री भरत साय,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर **अध्यक्ष**
02) **श्री टीकम टांडिया,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर **उपाध्यक्ष**
03) **कु.समीरा पैकरा,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर **संचालक**
04) **श्रीमती सुशीला बाई,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर **संचालक**
05) **श्री कपूर चंद बिसाई,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर **संचालक**
06) **श्री यज्ञ दत्त शर्मा,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर **संचालक**

23.3 राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

23.3.1 तेन्दूपत्ता

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2017 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, वर्ष 2017 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 1800/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 950 लाटों में 17.10 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 1358.65 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 7945/– प्रति मानक बोरा रहा।

संग्रहण वर्ष 2017 का तेन्दू पत्ता व्यापार

जिला यूनियन का नाम	लॉटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्र (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	39	61300.000	67288.176	708598556.36	10530.80
सुकमा	48	88700.000	98018.519	738395767.11	7533.23
दंतेवाड़ा	13	26800.000	34898.906	234778748.18	6727.40
जगदलपुर	15	25600.000	26436.509	140061875.37	5298.05
दक्षिण कोंडागांव	11	22100.000	23168.910	148919451.98	6427.56
केशकाल	16	30700.000	30088.035	181474522.92	6031.45
नारायणपुर	12	22100.000	24951.870	160514796.47	6432.98
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	101400.000	98341.995	860863292.30	8753.77
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	83900.000	82890.510	601025551.41	7250.84
कांकेर	24	41600.000	37791.090	328440049.07	8690.94
राजनांदगांव	51	88700.000	85665.610	722274082.55	8431.32
खैरागढ़	24	44900.000	46059.970	319527882.84	6937.21
बालोद	18	28500.000	28318.475	227731733.04	8041.81
कवर्धा	24	41900.000	43233.760	311442685.47	7203.69
धमतरी	23	31600.000	26273.385	210466278.80	8010.63
गरियाबंद	62	90100.000	83956.200	777178717.25	9256.95
महासमुंद	69	100700.000	94896.800	769645149.80	8110.34
बलौदा बाजार	16	26500.000	24933.750	195166068.72	7827.39
बिलासपुर	21	31500.000	33227.055	255825235.82	7699.31
मरवाही	14	21500.000	22530.075	180475919.61	8010.44
जांजगीर–चांपा	7	10000.000	10901.270	62901986.30	5770.15
रायगढ़	41	63800.000	58826.675	475183238.86	8077.68
धरमजयगढ़	53	83100.000	82378.115	756780224.34	9186.67
कोरबा	34	54100.000	52912.240	497736625.94	9406.83
कटघोरा	39	76900.000	81729.965	697658755.20	8536.14
जशपुर नगर	20	37200.000	38775.660	291736829.40	7523.71
मनेन्द्रगढ़	20	37500.000	47126.435	379896596.07	8061.22
कोरिया	16	30600.000	34212.680	289853003.67	8472.09
सरगुजा	15	33700.000	39034.610	296902194.41	7606.13
बलरामपुर	64	148200.000	169462.655	1129782203.92	6666.85
सूरजपुर	30	78600.000	81646.565	635288675.52	7780.96
कुल योग	**950**	**1663800.000**	**1709976.470**	**13586526698.70**	**7945.45**

वर्ष 2018 सीजन में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर रू. 2500/— प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2018 में लगभग 1671.700 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वतन हेतु दिनांक 04.01.2018 से 09.01.2018, 05.02.2018 से 09.02.2018 एवं 26.02.2018 से 01.03.2018 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रि त की गई है। इस ऑनलाईन निविदा की विशेषता यह है कि इसमें निविदाकारों द्वारा निविदा दरों का प्रस्ताव तथा सत्यंकार की राशि दोनों ऑनलाईन दी जाती है, जिससे कि निविदाकारों तथा शासकीय अमले दोनों को ही बहुत सुविधा होती है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण

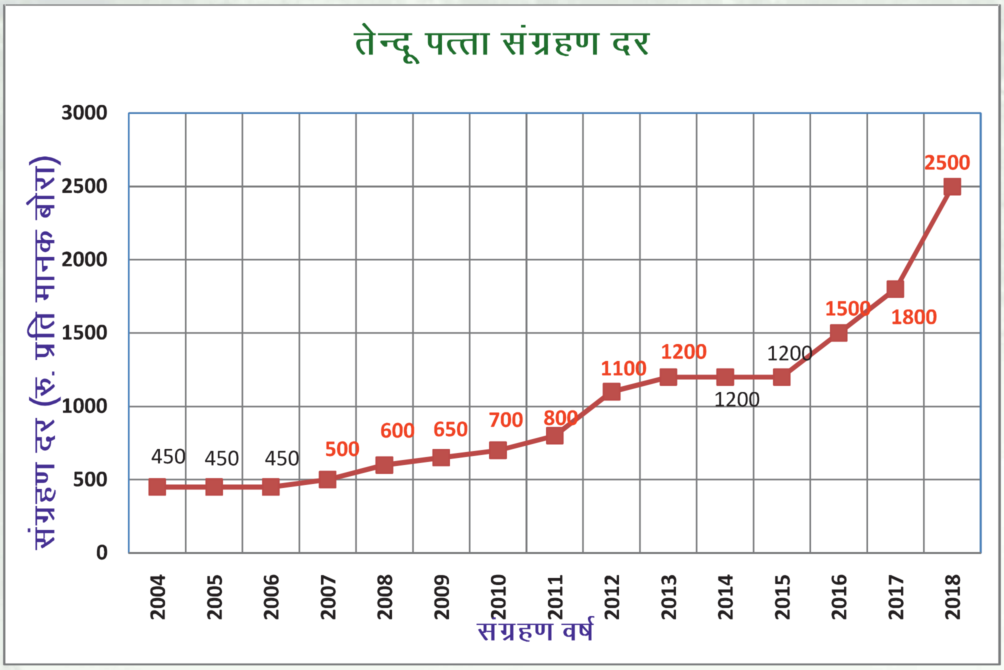

23.3.2 गोंद वर्ग—1 संघ द्वारा शासन को संग्रहण वर्ष 2017—18 के लिये गोंद वर्ग—1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी को प्रदेश में विनिर्दिष्ट वनोपज की सूची से हटाने हेतु अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक व्या./2017/13752 दिनांक 12.12.2017 से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

23.3.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना — क्रय वनोपज

वर्ष 2014—15, 2015—16, 2016—17 एवं वर्ष 2017—18

वर्ष 2014—15 में प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपज की क्रय योजना भारत शासन द्वारा प्रारंभ की गई, इस हेतु लघु वनोपज संघ को वर्ष 2014—15 में भारत शासन से रू. 80.16 करोड़ तथा राज्य शासन से रू. 13.22 करोड़, वर्ष 2015—16 में भारत शासन से रू. 73.50 करोड़ तथा राज्य शासन से रू. 15.22 करोड, वर्ष 2016—17 में राज्य शासन से रू. 15.00 करोड़ एवं वर्ष 2017—18 में राज्य शासन से रू. 6.00 करोड़ कुल राशि रू. 203.10 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य शासन के आदेश कमांक एफ 13—7/2012/10—2 दिनांक 22.09.2017 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **''राज्य स्तरीय समयन्वय एवं अनुश्रवण समिति''** का गठन किया गया है, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है ।

क्रमांक	वनोपज का नाम	वर्षवार संग्रहित मात्र (क्विंटल में)			
		2014	2015	2016	2017
I.	सालबीज	125676.050	111982.610	2807.580	123126.470
II.	हर्रा	34644.720	57126.900	3087.760	—
III.	इमली	35445.650	893.610	—	—
IV.	चिरौंजी गुठली	—	6329.280	7754.243	135.670
V.	महुआ बीज	—	4856.229	50.700	1490.445
VI.	कुसमी लाख	—	3336.636	3506.339	20.436
VII.	रंगीनी लाख	—	1400.488	1011.066	160.995

आवला सग्रहण

आंवला प्रसंस्करण

राज्य में 07 वनोपज क्रमशः सालबीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी—गुठली, महुआ बीज, कुसमी एवं रंगीनी लाख का क्रय समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है।

23.3.4 वनोपजवार संग्रहण का विवरण

23.3.4.1 साल बीजः—

- उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 में 1,25,676.050 क्विंटल सालबीज रू. 10/— प्रति किलो ग्राम की दर से क्रय किया गया। सालबीज 1,25,676.050 क्विंटल में से सूखत की मात्रा 897.885 क्विंटल को घटाकर 1,24,778.165 क्विंटल रू. 1328.30 प्रति क्विंटल की दर से रू. 1657.42 लाख में विक्रय किया गया।
- उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 में 1,11,982.610 क्विंटल सालबीज रू. 10/— प्रति किलो ग्राम की दर से क्रय किया गया। उक्त मात्रा में से 278.450 क्विंटल सूखत घटाकर 1,11,704.160 क्विंटल रू. 523.44 प्रति क्विंटल की दर से रू. 584.70 लाख में विक्रय किया गया।
- उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016 में 2807.580 क्विंटल सालबीज रू. 10/— प्रति किलो ग्राम की दर से क्रय किया गया। समस्त मात्रा का निवर्तन औसत दर रू. 1093.44 प्रति क्विंटल की दर से रू. 30.70 लाख में विक्रय किया गया।
- उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 में 1,23,126.47 क्विंटल सालबीज रू. 10/— प्रति किलो ग्राम की दर से क्रय किया गया। समस्त मात्रा का निर्वर्तन औसत दर रू. 1512.86 प्रति क्विंटल की दर से रू. 1862.74 लााख में विक्रय किया गया।
- वर्ष 2017—18 हेतु भारत सरकार द्वारा सालबीज क्रय दर रू. 12/— प्रति किलो ग्राम निर्धारित की गई है।

23.3.4.2 हर्राः—

- प्रदेश में वर्ष 2014—15 में उक्त योजना के अंतर्गत हर्रा का संग्रहण रु. 11/— प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। उक्त योजना अंतर्गत क्रय एवं गोदामीकृत हर्रा 34,644.720 क्विंटल में से सूखत की मात्रा 466.460 क्विंटल को घटाकर 34,178.260 क्विंटल रू. 456.34 प्रति क्विंटल की दर से रू. 155.97 लाख में विक्रय किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2015—16 में उक्त योजना के अंतर्गत हर्रा का संग्रहण रु. 11/— प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। उक्त योजना अंतर्गत क्रय एवं गोदामीकृत हर्रा 57,126.900 क्विंटल किया गया। समस्त मात्रा का निर्वर्तन औसत दर रू. 582.52 प्रति क्विंटल की दर से रू. 332.78 लााख में विक्रय किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2016—17 में उक्त योजना के अंतर्गत हर्रा का संग्रहण रु. 8/— प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। उक्त योजना अंतर्गत क्रय एवं गोदामीकृत हर्रा 3087.760 क्विंटल किया गया। समस्त मात्रा का निर्वर्तन औसत दर रू. 681.52 प्रति क्विटल की दर से रू. 21.04 लााख में विक्रय किया गया।

- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा हर्रा क्रय दर रू. 8.00 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है। हर्रा संग्रहण के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

23.3.4.3 इमली:–

- प्रदेश में वर्ष 2015 में उक्त योजना के अंतर्गत इमली का संग्रहण रु. 22/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 35,445.650 क्विंटल क्रय किया गया। उक्त मात्रा का विक्रय रू. 2437.23 प्रति क्विंटल की दर से रू. 863.89 लाख में किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2016 में उक्त योजना के अंतर्गत इमली संग्रहण रु. 22/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 893.610 क्विंटल क्रय किया गया। उक्त मात्रा का विक्रय रू. 3251.00 प्रति क्विंटल की दर से रू. 28.98 लाख में किया गया।
- वर्ष 2017 हेतु भारत सरकार द्वारा इमली की क्रय दर रू. 18/– प्रति किलो ग्राम पुनरीक्षित की गई है। इमली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 22/– रू. प्रति किलो ग्राम से घटाकर 18/– रू. प्रति किलो ग्राम किया जाना छत्तीसगढ़ राज्य की इमली की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये उचित नहीं लगता है। अतः संग्राहकों को उनकी वनोपज का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से सचिव भारत शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को पत्र लिखकर पूर्ववत 22/– रू. प्रति किलो ग्राम करने का अनुरोध किया गया था तथा छत्तीसगढ़ राज्य इमली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 22/– रू. प्रति किलो ग्राम किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार दर अधिक होने पर संग्राहक खुले बाजार में अपनी वनोपज विक्रय करने हेतु स्वतंत्र हैं, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त हेाता है। इसी कारण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2017 में इमली क्रय नहीं किया गया।
- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा इमली क्रय दर रू. 22.00 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है।

23.3.4.4 चिरौंजी गुठली :–

- प्रदेश में वर्ष 2015 में उक्त योजना के अन्तर्गत चिरौंजी गुठली संग्रहण रु. 100/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6329.280 क्विंटल किया गया। चिरौंजी गुठली की 6329.280 क्विंटल में से सूखत की मात्रा 5.500 क्विंटल घटाकर 6323.780 क्विंटल औसत दर रू. 3453.14 प्रति क्विंटल की दर से रू. 218.37 लाख में किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2016 में उक्त योजना के अंतर्गत चिरौंजी गुठली संग्रहण रु. 100/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7754.243 क्विंटल किया गया। उक्त मात्रा में से

35.000 क्विंटल चिरौंजी गुठली का प्रसंस्करण कराया गया है। शेष 7719.243 क्विंटल औसत दर रू. 3674.99 प्रति क्विंटल की दर से रू. 284.97 लाख में विक्रय किया गया।

- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा चिरौंजी गुठली की क्रय दर रू. 93/– प्रति किलो ग्राम पुनरीक्षित की गई है।

23.3.4.5 महुआ बीज :–

- प्रदेश में वर्ष 2015 में उक्त योजना के अंतर्गत 4856.229 क्विंटल महुआ बीज का संग्रहण रू. 22/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया, जिसका विक्रय औसत दर रू. 1976.35 प्रति क्विंटल की दर से रू. 95.98 लाख में किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2016 में उक्त योजना के अंतर्गत महुआ बीज का संग्रहण रु. 22/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50.700 क्विंटल किया गया, जिसका विक्रय औसत दर रू. 1955.01 प्रति क्विंटल की दर से रू. 0.99 लाख में विक्रय किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2017 में उक्त योजना के अंतर्गत महुआ बीज का संग्रहण रु. 20/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1490.445 क्विंटल किया गया, जिसका विक्रय औसत दर रू. 1786.37 प्रति क्विंटल की दर से रू. 26.62 लाख में विक्रय किया गया।
- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा महुआ बीज की क्रय दर रू. 20/– प्रति किलो ग्राम निर्धारित की गई है।

23.3.4.6 कुसुमी लाख :–

- प्रदेश में वर्ष 2015 में उक्त योजना के अंतर्गत 3336.636 क्विंटल कुसुमी लाख का संग्रहण रू. 320/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। कुसुमी लाख की 3336.636 क्विंटल में से सूखत की मात्रा 10.090 क्विंटल घटाकर 3326.546 क्विंटल औसत दर रू. 6828.45 प्रति क्विंटल की दर से रू. 227.15 लाख में किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2016 में उक्त योजना के अंतर्गत कुसमी लाख का संग्रहण रु. 320/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3506.339 क्विंटल किया गया। कुसुमी लाख की उक्त मात्रा में से 208.320 क्विंटल कुसुमी लाख का प्रसंस्करण किया गया। 3298. 019 क्विंटल कुसुमी लाख एवं 135.43 क्विंटल कुसुमी लाख दाना को औसत दर रू. 14892.91 प्रति क्विंटल की दर से रू. 521.77 लाख में विक्रय किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2017 में उक्त योजना के अंतर्गत कुसमी लाख का संग्रहण रु. 150/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20.436 क्विंटल किया गया। कुसुमी लाख की उक्त मात्रा में से 17.74 क्विंटल कुसुमी लाख का प्रसंस्करण किया गया। 2.696 क्विंटल

कुसुमी लाख एवं 11.53 क्विंटल कुसुमी लाख दाना को औसत दर रू. 13727.39 प्रति क्विंटल की दर से रू. 2.81 लाख में विक्रय किया गया।

- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा कुसमी लाख क्रय दर रू. 150.00 प्रति किलो ग्राम के स्थान पर रू. 167.00 प्रति किलो ग्राम पुनरीक्षित किया गया है। कुसमी लाख संग्रहण के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

23.3.4.7 रंगीनी लाखः–

- प्रदेश में वर्ष 2015 में उक्त योजना के अंतर्गत 1400.488 क्विंटल रंगीनी लाख का संग्रहण रू. 230/– प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। रंगीनी लाख की 1400.488 क्विंटल में से 15.800 क्विंटल सूखत घटाकर 1384.688 क्विंटल औसत दर रू. 5140.81 प्रति क्विंटल की दर से रू. 71.18 लाख में किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2016 में उक्त योजना के अंतर्गत रंगीनी लाख का संग्रहण रु. 230/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1011.066 क्विंटल किया गया। रंगीनी लाख की उक्त मात्रा में से 88.750 क्विंटल रंगीनी लाख का प्रसंस्करण किया गया। 974.456 क्विंटल रंगीनी लाख एवं 39.940 क्विंटल रंगीनी लाख दाना को औसत दर रू. 8957.92 प्रति क्विंटल की दर से रू. 87.29 लाख में विक्रय किया गया।
- प्रदेश में वर्ष 2017 में उक्त योजना के अंतर्गत रंगीनी लाख का संग्रहण रु. 100/– प्रति किलो ग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 160.995 क्विंटल किया गया। रंगीनी लाख की उक्त मात्रा में से 0.280 क्विंटल रंगीनी लाख का प्रसंस्करण किया गया। 160.715 क्विंटल रंगीनी लाख एवं 0.130 क्विंटल रंगीनी लाख दाना को औसत दर रू. 8402.79 प्रति क्विंटल की दर से रू. 13.50 लाख में विक्रय किया गया।
- वर्ष 2017–18 हेतु भारत सरकार द्वारा रंगीनी लाख का क्रय दर रू. 100.00 प्रति किलोग्राम के स्थान पर रू. 130.00 प्रति किलोग्राम पुनरीक्षित किया गया है। रंगीनी लाख संग्रहण के निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

लाख संग्रहण

हाट बाज़ार में लाख क्रय

23.3.4.8 शहर संग्रहण :–

छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। राज्य में कच्चे शहद का वार्षिक औसत उत्पादन 3750 क्विंटल है। शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से

सीधे शहद क्रय किया जाता है, इस हेतु कच्चे शहद का दर निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में 150 रू. प्रति कि.ग्रा. है। बाजार दर के अनुसार समय–समय पर कच्चे शहद के क्रय दर में संशोधन किया जाता है।

उक्त संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा किया जाता है, जिसे ''**छत्तीसगढ़ हर्बल्स**'' ब्रांड नाम से विक्रित किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

शहद संग्राहकों द्वारा पुरातन पद्धति से वनों में पाये जाने वाले शहद का संग्रहण किया जाता है, जिसमें आग का प्रयोग किया जाता है परिणामस्वरूप असंख्य मधुमक्खियाँ नष्ट हो जाती है, साथ ही छत्तों से शहद निचोड़कर प्राप्त किया जाता है। अतः शहद की गुणवत्ता भी खराब होती है व शहद का उत्पादन प्रभावित होता है। उक्त विषय को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के शहद बहुल क्षेत्रों में शहद संग्राहकों का विनाशविहीन विदोहन पद्धति से शहद संग्रहण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र दत्तापुर, वर्धा (Centre of Science for villages Dattapur, Wardha) के विषय विशेषज्ञों द्वारा माह अक्टूबर 2016 एवं नवंबर 2016 में तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। उक्त प्रशिक्षण जिला यूनियन पश्चिम भानुप्रतापपुर के पखांजुर (26) तथा बांदे (47), कटघोरा (42), धरमजयगढ़ (30), जशपुर (41) एवं कवर्धा–बोड़ला (45) में संपन्न कराया गया।

इस प्रकार कुल 06 प्रशिक्षण में 231 हितग्राहियों एवं मैदानी अमले को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया, साथ ही शहद संग्रहण हेतु कुल 12 सेट उपयोगी टूल किट का वितरण शहद संग्राहक समूहों को किया गया। उक्त प्रशिक्षण भारत सरकार से संस्थागत विकास हेतु आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान सहायता अंतर्गत दिया गया।

शहद संग्रहण

शहद प्रसंस्करण केन्द्र

23.4 तेन्दू पत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेन्दू पत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दू पत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। वर्ष 2015 के तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 88.06 करोड़ तेन्दू पत्ता संग्राहकों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण की जा चुकी है। वर्ष 2016 के तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 274.54 करोड तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक ''**बोनस तिहार**'' के रुप में दिनांक 02 से 15 दिसम्बर'2017 की अवधि में माननीय मुख्य मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन तथा अन्य माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में वितरण का शुभारम्भ किया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) का वितरण

(राशि लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2015		संग्रहण वर्ष 2016
		वितरण योग्य	वितरित राशि	वितरण योग्य
1	2	3	4	5
1	बीजापुर	388.95	388.95	1454.53
2	सुकमा	64.83	64.83	909.34
3	दंतेवाड़ा	4.31	4.31	285.13
4	जगदलपुर	15.78	15.78	93.42
5	दक्षिण कोण्डागांव	20.56	20.56	167.15
6	केशकाल	37.88	37.88	236.35
7	नारायणपुर	34.09	34.09	199.73
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	911.79	911.79	2291.10
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	386.91	386.91	1140.17
10	कांकेर	318.00	318.00	723.98
11	राजनांदगांव	614.87	614.87	1542.29
12	खैरागढ़	90.95	90.95	472.73
13	बालोद	154.38	154.38	409.22
14	कवर्धा	96.19	96.19	594.92
15	धमतरी	201.73	201.73	516.01
16	गरियाबंद	948.60	948.60	1914.15
17	महासमुंद	664.58	664.58	1641.74
18	बलौदाबाजार	190.51	190.51	502.56
19	बिलासपुर	170.12	170.12	527.43
20	मरवाही	105.86	105.86	299.09
21	जांजगीर–चांपा	4.42	4.42	93.91
22	रायगढ़	378.80	378.80	1119.02
23	धर्मजयगढ़	669.46	669.46	2103.88
24	कोरबा	473.73	473.73	1303.86
25	कटघोरा	616.19	616.19	1543.78
26	जशपुरनगर	102.03	102.03	506.35

27	मनेंद्रगढ़	238.90	238.90	661.20
28	कोरिया	148.91	148.91	446.28
29	सरगुजा	123.66	123.66	618.59
30	बलरामपुर	298.02	298.02	1776.16
31	सूरजपुर	330.77	330.77	1359.95
योगः–		**8805.75**	**8805.75**	**27454.03**

23.5 वन मड़ई

स्व–सहायता समूहों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति सदस्यों, जिला यूनियन के अधिकारी / कर्मचारी के लिये **'जीविकोपार्जन कार्यों के बढ़ावा हेतु हितग्राहियों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण'** विषय पर दिनांक 13.08.2017 को संयुक्त वन प्रबंधन एवं प्राथमिक वनोपज समितियों का महा सम्मेलन **'वन मड़ई 2017'** का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 20 हजार समिति सदस्यों, प्रबंधकों एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वन मड़ई को मा. मुख्य मंत्री छ.ग शासन, मा. वन मंत्री एवं अन्य मा. मंत्री गणों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

23.6 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका वितरण

वर्ष 2016–17 में तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल वितरण करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है, जिसके पालन में चप्पल क्रय कर वितरण की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु लघु वनोपज संघ स्वयं की राशि से शासन के निर्देशानुसार उक्त कार्य सम्पादित कर रहा है। वर्ष 2017–18 में तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरण पादुका वितरण हेतु क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

23.7 लघु वनोपज संघ की बीमा योजनायें

23.7.1 तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

प्रत्येक तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया का 01/05/2007 से 'जनश्री' बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया हैं। इस योजना में सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 30,000/– आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 37,500/– दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 75,000/– की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितो को प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुखिया के 9वीं से 12वीं कक्षा अथवा आई.टी.आई. में पढ़ रहे दो बच्चों को रूपये 600/– प्रति छःमाही छात्र वृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना हेतु बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि से प्राप्त होती है, 37.5 प्रतिशत की राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एवं 12.5 प्रतिशत की राशि वनोपज संघ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान की जाती है। वर्ष 2015–16 में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत 679 दावा प्रकरणों की राशि रू. 2.28 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.03.2017 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत 6767 दावा प्रकरणों की राशि रू. 22.13 करोड़ का भुगतान किया गया।

23.7.2 भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा छात्र–छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की राशि का प्रदाय–

शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में मार्च 2017 की स्थिति में छात्रवृत्ति हेतु कुल 71,929 छात्र /छात्राओं को कुल राशि रूपये 8.63 करोड़ की राशि वितरण हेतु जिला यूनियनों को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

23.7.3 तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु समूह बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के किसी अन्य सदस्य की साधारण मृत्यु की दशा में रूपये 3,500/–, आंशिक विकलांगता की दशा में रूपये 12,500/– तथा दुर्घटना–जनित मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 25,000/– की राशि के भुगतान का प्रावधान हैं। वर्ष 2015–16 में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत 2240 दावा प्रकरणों की राशि रू. 1.26 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.03.2017 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत 2936 दावा प्रकरणों की राशि रू. 1.37 लाख का भुगतान किया गया।

23.7.4 तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु अटल छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना

इस योजना का शुभांरभ वर्ष 2011–12 से किया गया है । इस योजना के अंतर्गत् तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त, परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के किसी भी संग्राहक की मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को राशि रूपये 6,500/– का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2015–16 में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत 2866 दावा प्रकरणों की राशि रू. 1.44 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष 2016–17 में दिनांक 31.03.2017 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत 2866 दावा प्रकरणों की राशि रू. 1.86 करोड़ का भुगतान किया गया।

23.7.5 शिक्षा प्रोत्साहन योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011–12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत:–

23.7.5.1 मेधावी छात्र / छात्राओं को पुरस्कार

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को क्रमशः रूपये 2000/–, रूपये 2500/– तथा रूपये 3000/– का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2017 में 2479 छात्र / छात्राओं को कुल राशि रू. 0.62 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

23.7.5.2 व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति–

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे – इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्र वृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016–17 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2017 में 204 छात्र /छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.15 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

बस्तर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से लागू है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी., नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– उपलब्ध करायी जाती है।

23.7.6 गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन /केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए /बी.काम/बी.एस.सी आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रू. 5,000/– द्वितीय वर्ष में रू. 4,000/– एवं तृतीय वर्ष में रू. 3000/– अर्थात् तीन वर्षो में कुल रू. 12,000/– की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष

2016–17 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2017 में 877 छात्र /छात्राओं को कुल रू 0.39 लाख का भुगतान किया गया है।

23.7.7 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 10 में उत्तीर्ण छात्र /छात्राओं को रूपये 15,000/– तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र /छात्राओं को रूपये 25,000/– दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2017 में कक्षा 10वीं के कुल 903 छात्र /छात्राओ को राशि रू. 1.35 लाख एवं कक्षा 12वीं में कुल 658 छात्र /छात्राओं को राशि रूपये 1.64 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

23.8 छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी 07 वर्षीय परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देने के लिये संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 से यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था। यह परियोजना दिसम्बर 2016 में समाप्त हो गयी है। परियोजना बंद होने के फलस्वरूप इसके अंतर्गत कराये गये कार्यों से जुड़े हितग्राहियों को परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ की निरंतरता बनाये रखना अति आवश्यक है।

यूरोपियन कमीशन परियोजना से संचालित कार्यों की सततता तथा हितग्राहियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से संघ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य नाम से 07 वर्षीय (2017–18 से 2023–24 तक) परियोजना स्वीकृत की गयी है। परियोजना की कुल लागत रू. 29.50 करोड़ है। यह राशि संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से प्रदाय किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्नमुखी कार्य अंतर्गत नये माइक्रोइंटरप्राइजेस की स्थापना एवं स्थापित माइक्रोइंटरप्राइजेस का सुदृढ़ीकरण, भण्डारण, विपणन, ब्रांड प्रमोशन, अनुसंधान विस्तार, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, लघु वनोपज संरक्षण, प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण तथा मानव संसाधन प्रबंधन इत्यादि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का क्रियान्वयन माह अप्रैल 2017 से किया जा रहा है।

23.9 स्व–सहायता समूह /वन प्रबंधन समिति /प्राथमिक लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की प्रशिक्षण / कार्यशाला

लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित कार्यों एवं परियोजनाओं के सुचारू संचालन में स्व–सहायता समूह / वन प्रबंधन समिति / प्राथमिक लघु वनोपज समिति प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान वर्ष में स्व–सहायता समूह / वन प्रबंधन समिति / प्रबंधकों की वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण / कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं तथा उक्त योजना के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उन्हें लघु वनोपज की गुणवत्ता एवं विनाश विहीन विदोहन के संबंध में जानकारी दी गई ताकि वे इस जानकारी को संग्राहकों को उपलब्ध करा सके।

क्र.	वन वृत्त का नाम	प्रशिक्षण माह
1.	दुर्ग	अगस्त 2017
2.	सरगुजा	सितम्बर 2017
3.	रायपुर	सितम्बर 2017
4.	बिलासपुर	अक्टूबर 2017
5.	कांकेर	अक्टूबर 2017
6.	जगदलपुर	नवम्बर 2017

23.10 यूरोपियन कमीशन परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु अभी तक कुल राशि रू. 24.70 करोड़ प्राप्त हुए है। यह योजना माह दिसम्बर 2016 में समाप्त हो गयी है।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये गये हैं।

परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

23.11 संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

23.11.1 संसाधन सर्वेक्षण

परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लाट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर ''छत्तीसगढ़ राज्य के वानस्पतिक प्रजातियों का संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन'' पुस्तिका का प्रकाशन कर वितरण किया गया है।

23.11.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्यों के साक्षात्कार के माध्यम से कुल 3399 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया। वैद्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर ''एक दृष्टि में छत्तीसगढ़ राज्य की परम्परागत चिकित्सा पद्धति'' नाम से पुस्तिका के प्रकाशन की कार्यवाहीं की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 48 वनौषधालय स्थापित किये गये है तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। चयनित परम्परागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि रू. 10,000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि दी गई है एवं राशि 100 प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदाय किया जा रहा है। परियोजना अंतर्गत समय–समय पर वनौषधालयों में कार्यरत वैद्यों को कौशल विकास एवं कार्यशाला छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेन्टर, रायपुर एवं आयुष के माध्यम से किया गया है।

वन औषधालय

ईलाज करते वैद्यराज

23.11.3 लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए है। इसके अंतर्गत लाख पालन एवं प्रसंस्करण, शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, चिरौंजी प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, माहुल दोना पत्तल प्रसंस्करण, ऑवला प्रसंस्करण, तैलीय बीज प्रसंस्करण, वनौषधीय प्रसंस्करण, हर्बल खाद्य प्रसंस्करण, काजू प्रसंस्करण, महुआ फूल प्रसंस्करण आदि संचालित हैं। इसके लिए संग्रहण – प्रसंस्करण के 74 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए हैं। इन माइक्रोइंटरप्राइजेस अंतर्गत 1302 स्व–सहायता समूह के 17196 हितग्राही कार्यरत हैं। इन माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा 104 प्रकार के उत्पाद निर्माण किये जाते हैं जिसमें औषधि उत्पाद, खाद्य उत्पाद, माहुल दोना पत्तल सम्मिलित हैं।

23.11.4 वनौषधि / हर्बल उत्पाद निर्माण

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत डोंगानाला (कटघोरा), केंवची (मरवाही), केशोडार (गरियाबंद), कुरंदी (जगदलपुर), पंचक्की (जशपुर) तथा नारायणपुर में स्थापित वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है। इन केन्द्रों में 90 वनौषधि / हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जा रहा है।

वनौषधी प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस

23.12 विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के लिए राज्य में 6 वन वृत्त मुख्यालयों में **NWFP (Non Wood Forest Produce)** मार्ट स्थापित किए गए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक / स्व–सहायता समूह / वन प्रबंधन समिति / प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपजों को सुनिश्चित दर पर क्रय–विक्रय किया जाता है। इसके पश्चात् उपरोक्त उत्पाद का थोक या फुटकर विक्रय किया जाता है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु **''छत्तीसगढ़ हर्बल''** ब्रांड नाम से बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों द्वारा इन उत्पादों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। इन हर्बल उत्पादों का विक्रय हेतु राज्य के विभिन्न स्थलों पर **30 संजीवनी विक्रय केंद्र** स्थापित किए गए है। इन विक्रय केंद्रों को प्रशिक्षित स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाता है। प्रदेश में स्थापित **NWFP** मार्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 (माह नवम्बर तक) निम्नानुसार वनोत्पाद का क्रय–विक्रय किया गया है:–

वर्ष	क्रय मूल्य (रू. लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
2017–18 (माह नवम्बर तक)	62.77	68.19

छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड

संजीवनी रायपुर

हर्बल उत्पाद

23.13 क्षमता विकास

प्रदेश में कौशल विकास हेतु विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, यह प्रशिक्षण अधिकारी / कर्मचारी स्व–सहायता समूह एवं हितग्राहियों के लिए आयोजित किया गया है। कुछ प्रशिक्षणों में मास्टर ट्रेनर्स तैयार किया गया है जो कि आवश्यकतानुसार समूहों को प्रशिक्षित करते हैं। अब तक कुल 21380 हितग्राहियों, 5003 अधिकारी / कर्मचारी एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

23.14 अध्ययन प्रवास

वनोत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से माह अक्टूबर 2016 में एक अध्ययन भ्रमण केरल प्रांत हेतु किया गया है, जिसमें संघ के अधिकारी, कर्मचारीं, स्व–सहायता समूह, प्रबंधक एवं वैद्यों द्वारा अध्ययन भ्रमण में भाग लिया गया। कुल 20 प्रतिभागियों द्वारा इस अध्ययन भ्रमण में भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

जिला यूनियन / प्राथमिक लघु वनोपज समिति के निर्वाचित सदस्यों, प्रबंधकों तथा संघ के अधिकारियों के लिये माह मार्च एवं सितम्बर 2017 में बैंगलोर प्रवास तथा माह नवम्बर 2017 में केरल प्रवास आयोजित किया गया, जिसमें 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

संघ के निर्वाचित सदस्यों के लिये माह अक्टूबर 2017 में उत्तराखण्ड प्रवास आयोजित किया गया था, जिसमें 06 निर्वाचित सदस्य तथा संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।

उपरोक्त प्रवास बैंगलोर के FRLHT (TDU) नामक संस्था के माध्यम से आयोजित किया गया था। उक्त प्रवास के दौरान वनोत्पादों के मूल्यवर्धन, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, विनाशविहीन विदोहन, पैकेजिंग इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

बैंगलोर अध्ययन प्रवास माह सितम्बर 2017

केरल अध्ययन प्रवास माह नवम्बर 2017

23.14 तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ की 15 प्रतिशत राशि अंतर्गत

23.14.1 अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय, प्रसंस्करण एवं गोदामीकरण

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षो की तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का क्रय–विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण एवं लाख पालन तथा प्रसंस्करण का कार्य किया जावे। इस हेतु वर्ष 2008, 2009, 2010, 2011 एवं 2012 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रू. 142.78 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है।

स्व–सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय–विक्रय कर आय अर्जित कर सकते है। स्व–सहायता समूह को रूपये 2000/– प्रति सदस्य के हिसाब से ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में वनोपज के क्रय–विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व–सहायता समूहों को ही है।

23.14.2 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन में वन समितियों के सहयोग से अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से स्थानीय जनता की आय में वृद्धि हेतु ''लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना'' की जाती है। संघ मद से 2675 हेक्टेयर में 6 लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2017–18 में की जा रही है। इसके अतिरिक्त संघ / आदिवासी उप योजना मद से 13000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख–रखाव के कार्य भी वर्ष 2017–18 में किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 में इसी प्रकार कार्य संपन्न किये जावेंगे :–

अनु. क्र.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष	क्षेत्र फल (हेक्टेयर में)	राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	बलौदाबाजार	2017—18	500	111.97
2.	महासमुंद	2017—18	500	111.97
3.	धमतरी	2017—18	500	111.94
4.	जगदलपुर	2017—18	275	62.13
5.	राजनांदगांव	2017—18	500	78.72
6.	सूरजपुर	2017—18	400	89.82
योग			**2675**	**566.55**

22.15 लाख विकास

- संघ द्वारा किये गये प्रयास से लाख विकास कार्यो के फलस्वरूप वर्ष 2016—17 में राज्य में कुल लाख उत्पादन लगभग 2963.00 मी. टन हुआ, जो कि देश के कुल उत्पादन का 26 प्रतिशत है। उपरोक्त उत्पादन का बाजार मूल्य लगभग 40.39 करोड़ (औसत दर रू. 150 प्रति किलो ग्राम) है। वर्ष 2017—18 में प्रदेश में लाख उत्पादन के आंकलन के लिए वर्तमान में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। आंकलन के आधार पर लाख पालन में एक कुसुम वृक्ष से रू. 5000—6000, पलास वृक्ष से रू. 400—500 तथा बेर वृक्ष से रू. 800—900 प्रतिवर्ष औसत आय प्राप्त होती है।
- संघ द्वारा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु लाख पालन / प्रसंस्करण आधारित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म का प्रसारण टी.वी. चैनलों के माध्यम से किया गया है।
- भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, रांची में दिनांक 10.02.2017 को आयोजित वार्षिक किसान मेला सह प्रदर्शनी 2017 में छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान श्री लोकेश्वर सिन्हा, ग्राम मयाना, जिला कांकेर एवं श्री श्रवण कुमार शुक्ला, ग्राम—खुटेरी, जिला—महासमुन्द को राष्ट्र स्तरीय ''उत्कृष्ट लाख कृषक'' के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।
- वन वृत्त स्तर पर स्थापित लाख फेसिलिटेशन केन्द्रों द्वारा अब तक 14500 ग्रामीणों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के संबंध में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- लाख विकास योजना अंतर्गत जिला यूनियन कांकेर में एक लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र की स्थापना की गई है, जहाँ माह मई 2013 से दिसंबर 2015 तक 302 मास्टर ट्रेनर्स लाख पालन एवं लाख पालक कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया जारी है।
- संघ के माध्यम से लाख विकास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं ट्रायफेड योजना अंतर्गत वर्ष 2007—08 से 2017—18 तक अद्यतन स्थिति में लाख पालन एवं प्रसंस्करण की कुल 183 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी है। परियोजनाओं में कुल 47,277 हितग्राहियों के कुल 12,40,037 नग कुसुम, पलाश एवं अन्य पोषक वृक्षों को शामिल कर लाख पालन का कार्य किया जा रहा है।

- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 15.09.2015 में लिए गए निर्णय अनुसार संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि में से रू. 98.00 करोड़ की राशि से लाख पालन की एक सप्त वर्षीय (2016–17 से 2022–23) योजना में 25 लाख पोषक वृक्षों में, 3170 स्व–सहायता समूहों के माध्यम से 63675 हितग्राहियों द्वारा लाख पालन का कार्य प्रस्तावित है। वर्ष 2017–18 की अद्यतन स्थिति में तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि में से रू. 7.81 करोड़ की राशि से लाख पालन की कुल 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 34163 कुसुम वृक्ष तथा 68390 पलास वृक्षों के माध्यम से 8139 हितग्राही लाभांवित हो रहे है तथा यह प्रक्रिया जारी है।

वर्तमान में इस मद से स्वीकृत लाख पालन परियोजनांतर्गत प्रावधानित मास्टर ट्रेनर्स में से कुल 77 मास्टर ट्रेनर्स को IINRG रांची द्वारा लाख पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध आय की 15% राशि से स्वीकृत लाख पालन परियोजना की जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	जिला यूनियन का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्व सहायता समूहों की संख्या	लाभांवित हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	2015-16	कांकेर	2	20	400	34.26
2	2015-16	कटघोरा	4	25	494	33.53
3	2015-16	कोरबा	5	55	1100	58.61
4	2015-16	धरमजयगढ़	6	45	894	57.07
5	2015-16	कवर्धा	1	8	100	12.97
6	2015-16	पूर्व भानुप्रतापपुर	23	190	2825	339.50
7	2015-16	बिलासपुर	1	10	50	5.70
8	2015-16	बीजापुर	1	10	200	22.50
9	2016-17	बलरामपुर	6	65	1200	129.04
10	2016-17	बलौदाबाजार	2	20	400	43.41
11	2016-17	महासमुंद	4	17	276	24.88
12	2017-18	सरगुजा	1	18	200	20.35
योग			56	483	8139	781.81

22.16 डिजीटलाइजेशन

डिजीटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिये लघु वनोपज संघ द्वारा राष्ट्रीय एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के विक्रय के लिये ई–निविदा बुलाई जाती है जिसमें भुगतान की प्रक्रिया भी ई–पेमेंट के माध्यम से होता है। ई–निविदा प्रणाली से निविदाकारों के साथ–साथ लघु वनोपज संघ के लिये प्रभावी लागत और समय की बचत होती है। आपूर्तिकर्ता, खरीददार, लेखा परीक्षक और अन्य पार्टियों को कार्य करने में अधिक आत्मविश्वास मिलता है। निविदाकारों द्वारा दरें प्रस्तुत करते समय ही कई प्रकार के सत्यापन जाँच ऑनलाइन ही कर ली जाती है। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरों को पृथक से दर्ज करने एवं पुनः जाँच करने की आवश्यकता नहीं

होती है। ई–निविदा के साथ सत्यंकार की राशि भी ऑनलाइन जमा की जाती है तथा वापसी भी ऑनलाइन की जाती है। क्रेताओं द्वारा किश्तों की राशि ऑनलाइन जमा की जाती है तथा मनी रसीद भी उन्हें तथा संबंधित जिला यूनियनों को एवं संघ मुख्यालय को ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। साथ ही हितग्राहियों को वितरित किये जाने वाली संग्रहण की राशि लाभांश, छात्र वृत्ति, बीमा की राशि इत्यादि का भुगतान कैशलेस होता है। वनोत्पाद के बिक्री के लिये स्थापित मार्ट एवं संजीवनी को भी डिजीटलाइज किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो सके। विभिन्न आयोजन जैसे मेले में भी ग्राहकों को कैशलेस भुगतान की सुविधा संघ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

भाग – पाँच

24.छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर

छत्तीसगढ़ के वन, औषधीय पादपों से भरपूर हैं । औषधीय पादपों एवं जैव विविधता की प्रचुरता के कारण ही छत्तीसगढ़ प्रदेश को हर्बल राज्य घोषित किया गया है । औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश–विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा वनौषधि के निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन जुलाई, 2004 को किया गया है, वर्तमान में बोर्ड के **अध्यक्ष माननीय श्री रामप्रताप सिंह एवं उपाध्यक्ष माननीय डॉ. जे.पी.शर्मा** हैं । बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। बोर्ड के अधिकांश कार्य वन विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से कार्यान्वित किये जाते हैं ।

24.1 उद्देश्य

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उद्देश्य निम्नानुसार है –

- औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाशविहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना ।
- औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण ।
- वनौषधियों के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान कराना ।
- औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना ।
- औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना ।
- औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कराना ।

- पारम्परिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना ।
- पारम्परिक चिकित्सकों तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराना ।
- वनौषधियों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य ।

24.2 बोर्ड हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पद

1 **बोर्ड कार्यालय में शासन के स्वीकृत सैटअप अनुसार वर्तमान में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है**

क्र.	पदनाम	पद का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	विशेष अभ्युक्ति
01	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	01	01	–	–
02	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	01	–	01	–
03	वन क्षेत्र पाल	प्रतिनियुक्ति	02	01	01	–
04	डाटाएन्ट्री आपरेटर (01 अनारक्षित एवं 01 अ.जा.)	संविदा	02	02	–	–
05	शीघ्रलेखक	प्रतिनियुक्ति	01	01	01	मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत जॉब दर पर कार्यो का संपादन
06	उच्च श्रेणी लिपिक	प्रतिनियुक्ति	01	01	–	
07	लेखापाल	प्रतिनियुक्ति/संविदा	01	01	–	
08	स्वागतकर्ता	प्रतिनियुक्ति/संविदा	01	01	–	
09	संदेश वाहक	कलेक्टर दर पर	02	02	–	

24.3 राज्य मद के अंतर्गत किये गये कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार कार्य कराने हेतु प्राप्त अनुदान के विरूद्ध राशि रू. 400.00 लाख व्यय किया गया । छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के गठन उपरांत प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ष	गत वर्ष का शेष	प्राप्त ब्याज (रू. लाख में.)	प्राप्त आबंटन (रू. लाख में.)	व्यय
2004-05	0.00	0.07	40.67	13.38
2005-06	27.36	1.64	50.00	45.85
2006-07	33.16	20.07	70.00	81.38
2007-08	41.85	17.48	110.80	133.17
2008-09	36.96	20.59	300.00	201.20
2009-10	156.35	28.50	400.00	244.11
2010-11	340.73	29.33	400.00	546.62
2011-12	223.45	69.99	400.00	278.83
2012-13	414.61	57.44	400.00	313.06
2013-14	558.99	70.26	450.00	357.97

2014-15	721.28	60.90	380.00	577.43
2015-16	584.74	36.09	400.00	497.56
2016-17	523.27	41.48	400.00	920.25
2017-18	44.50	5.67	800.00	320.00

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड हेतु वर्ष 2016–17 में राशि रू. 400.00 लाख का बजट स्वीकृत है ।

24.4 योजनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य ओषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य/योजनाएं प्रचलित हैं –

24.4.1 पारंपरिक ज्ञान के उत्कृष्ट केन्द्र औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र (MPCA) की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र (MPCA) की स्थापना हेतु ऐसे वन क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है, जिस क्षेत्र में विलुप्तप्राय व दुर्लभ संकटापन्न औषधीय वनस्पति प्रजातियां विद्यमान हो तथा वह क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल हो । इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र को हर्बल पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु जतमई धाम (राजिम) जिला–गरियाबंद, धमनी जिला–बलौदाबाजार, सिरपुर जिला–महासमुंद, चित्रकूट जिला–बस्तर, डोंगरगढ़ जिला–राजनांदगांव एवं भोरमदेव जिला–कवर्धा क्षेत्रों का चयन किया गया है ।

''**पारंपरिक ज्ञान का उत्कृष्ट केन्द्र**'' में औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्र में परंपरागत चिकित्सा पद्वति से जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने हेतु वनौषधालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें विभिन्न रोगों से संबंधित औषधीय पौधों का जानकार परंपरागत वैद्य उपचार हेतु उपलब्ध होंगे । औषधालय में निम्नानुसार सुविधाएं होगी एवं निम्नानुसार कार्य कराये जायेंगे – प्राकृतिक स्वास्थ्य उपचार (पंचकर्म) सुविधाएं, प्राकृतिक औषधियां, हर्बल गार्डन, रोगियों के उपचार हेतु आवास सुविधा, औषधीय विकय केन्द्र, औषधीय पौधों की लाइब्रेरी, विनाश विहीन विदोहन कार्यदल का गठन, जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन, ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण का आयोजन, जीन बैंक की स्थापना एवं औषधीय पौधों की खेती ।

24.4.2 राजकीय वृक्ष साल (सरई) महोत्सव

- साल (सरई) के पुनरूत्पादन के पारंपरिक तकनीक का 15 वनमंडलों में डेमोस्ट्रेशन दिया गया साल के वृक्ष के सफल पुनरूत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल पुनरूत्पादन की पारंपरिक पद्धति का प्रयोग 8 जून 2017 को केशकाल में किया गया, जो कि पूर्णतः सफल रहा अतः साल वृक्ष के पुनरूत्पादन एवं संवर्धन के कार्य को ''साल वाहिनी'' नाम से अभियान स्वरूप धमतरी, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, धरमजयगढ़, केशकाल, गरियाबंद तथा पूरे प्रदेश में पारंपरिक पद्धति द्वारा अभियान चलाकर 08 जून 2017 से 30 जून 2017 के मध्य साल (सरई) के बीज के पारंपरिक पद्धति से पुनरूत्पादन के प्रयोग किये गये, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए ।

विभिन्न वनमंडलों में जैव प्रबंधन समिति द्वारा साल संवर्धन महोत्सव एवं साल वाहिनी का गठन

साल के पारंपरिक पुनरूत्पादन का प्रदर्शन

- साल बीज पुनरूत्पादन की पारंपरिक पद्धति के प्रशिक्षण के उपरांत विभिन्न वनमंडलों में साल वाहिनी का गठन कर साल संवर्धन महोत्सव अभियान स्वरूप मनाया गया । साल संवर्धन महोत्सव अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी ग्रामीण अंचलों तथा प्रथम हर्बल प्रदेश के कोने–कोने में प्रदेश के अद्वितीय नैसर्गिक/औषधीय गुणों से परिपूर्ण जल संरक्षण की विलक्षण क्षमता से परिपूर्ण असंख्य नैसर्गिक औषधीय वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण व संवर्धन देने वाले माता–पिता स्वरूप राज्य वृक्ष (STATE TREE) साल (सरई) के प्राकृतिक रूप से उग रहे पुनरूत्पादन को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए "साल" (सरई) संवर्धन महोत्सव 21 जुलाई 2017 से पूरे प्रदेश में शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत साल बीज के पुरूत्पादन की पारंपरिक पद्धति का प्रचार–प्रसार किया गया ।
- ''साल'' (सरई) संवर्धन महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम 15 वनमंडलों (रायगढ़, धरमजयगढ, मरवाही, कटघोरा, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, उत्तर कोण्डागांव, दक्षिण कोण्डागांव, पश्चिम भानुप्रतापपुर, बस्तर) में कुछ साल वन क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीण, विद्यार्थियों, ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञों, संयुक्त वन प्रबंधन समिति तथा वन विभाग के कर्मचारियों को सम्मिलित कर ''साल वाहिनी'' का गठन किया गया एवं साल बीज के पारंपरिक पुनरूत्पादन पद्धति का Demonstration दिया गया तथा पूर्व में जिन स्थलों पर साल बीज के पारंपरिक पुनरूत्पादन पद्धति का प्रयोग किया गया था, उन सभी स्थलों पर साल बीजों का अंकुरण सफलतापूर्वक पाया गया, वहां उपस्थित सभी कर्मचारी एवं ग्रामीण

अत्यंत उत्साहित हुए और सभी ने पौधों की निंदाई, गुडाई कर दीमक की मिट्‌टी डालकर उसे एडॉप्ट (अंगीकार) करने का कार्य किया । ग्रामीणों एवं स्कूली छात्र –छात्राओं को साल बीज की पारंपरिक पुनरूत्पादन पद्धति को समझाया गया तथा यह अपील की गई कि वर्षा ऋतु में सभी साल पौधों को परंपरागत संवर्धन पद्धति का उपयोग कर एडॉप्ट (अंगीकार) करके साल संवर्धन महोत्सव में अपना योगदान देने की निरंतर अपील की गई ।

24.4.3 क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्य

इंदिरा गांधी कृषि वि.वि. के छात्रों को इंटर्नशिप उपरांत प्रमाण पत्रा वितरण

1. बोर्ड द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम अंतर्गत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस प्रबंधन कार्यक्रम के 10 विद्यार्थियों को 02 महीने की इंटर्नशिप सह प्रशिक्षण दिया गया ।
2. बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों के विनाश विहीन संग्रहण पद्यति, ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण एवं जैव सांस्कृतिक, सामुदायिक निर्देशों की महत्व पर दुगली (वनमंडल धमतरी) तथा केंवची (वनमंडल मरवाही) में राज्य के 07 एम. पी.सी.ए. से 21 वनप्रबंधन समिति के 300 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ।
3. बोर्ड द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के द्वारा स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना अंतर्गत औषधीय पौधों के विभिन्न पहलूओं पर आधारित मैदानी कार्यशाला सह प्रशिक्षण ।

24.4.3 होम हर्बल गार्डन रोपणी एवं निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण योजना

होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत ऐसे औषधीय पौधे जिनका सामान्य रोगों में प्राथमिक उपचार हेतु आसानी से उपयोग किया जा सके, का जन सामान्य में निःशुल्क वितरण किया जाता है। योजना वर्ष 2012–13 में प्रारंभ हुई थी तथा 2016–17 तक कुल 24.35 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया ।

संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा औषधीय प्रजातियों का विनाश विहीन संग्रहण पद्यति का प्रशिक्षण, केवची, मरवाही

होम हर्बल गार्डन रोपणी, सकालो, अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा होम हर्बल गार्डन की योजना के तहत रायपुर शहर एवं इसके आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रें में औषधीय पौधों के वितरण, उपयोग एवं संरक्षण संबंधित जागरूकता लाने हेतु माह अगस्त–सितम्बर 2016 में वृहत् अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मोबाईल प्रचार वाहन एवं पौध वितरण वाहन के साथ प्रदेश में लगभग 09 लाख औषधीय पौधों का एवं राजधानी व आसपास के लगभग 100 से अधिक स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक पार्को शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में एवं मोहल्लों में लगभग 01 लाख औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया ।

औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण

वर्ष 2016–17 हेतु वनमंडल पश्चिम भानुप्रतापपुर, केशकाल, बस्तर, रायपुर, बलौदाबाजार को होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत कुल 08 लाख औषधीय पौधे तैयार किये गये एवं निःशुल्क वितरण किये गये।

वर्ष 2017–18 में 06 वनमंडलों में 07 लाख, 35 प्रजातियों के औषधीय पौधे तैयार कर वितरित किये गये ।

24.5 औषधि पौध उद्यान

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2015–16 तक नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत औषधीय पौधा की स्थापना हेतु कुल राशि रू. 36.90 लाख एवं वर्ष 2016–17 में राशि रू. 3.00 लाख प्रदाय किया गया है । वर्ष 2015–16 में वनमंडलाधिकारी कांकेर, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव, दुर्ग तथा महासमुंद वनमंडल में हर्बल गार्डन की स्थापना की स्वीकृति प्रदाय की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2016–17 में वनमंडल सूरजपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, बलरामपुर तथा बस्तर में हर्बल गार्डन की स्थापना हेतु स्वीकृती प्रदाय की गई है । पश्चिम भानुप्रतापपुर में उक्त हर्बल गार्डन में वनौषधि प्रदर्शन एवं चेतना केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

औषधीय पौध उद्यान, नारायणपुर

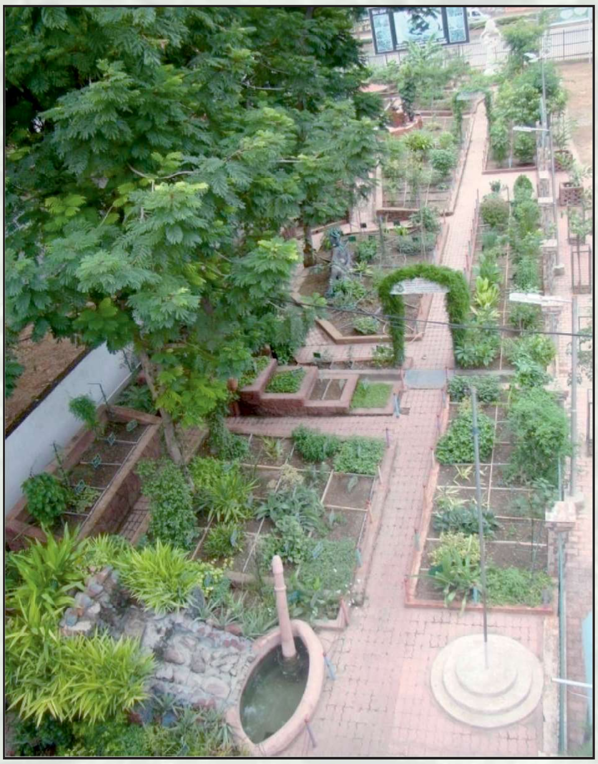

24.6 औषधीय वृक्षारोपण

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों मे वर्ष 2007—08 से 2015—16 तक दशमूल प्रजाति 150 हेक्टे., त्रिफला रोपण 485 हेक्टे., मेंहदी रोपण 140 हेक्टे., औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण 1233 हेक्टे. का कार्य कराया गया है । वर्ष 2016—17 में त्रिफला रोपण हेतु जशपुर वनमंडल को 20 हेक्टेयर, तेजबल रोपण हेतु जशपुर वनमंडल को 20 हेक्टेयर, औषधीय मिश्रित वृक्षारोपण हेतु केशकाल वनमंडल को 114 हेक्टेयर, बस्तर वनमंडल को 50 हेक्टेयर, बलरामपुर वनमंडल को 33 हेक्टेयर तथा कटघोरा वनमंडल को 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल की स्वीकृति प्रदाय की गई है ।

हर्बल गार्डन

24.7 विपणन तथा मूल्यवर्धक कार्य

- छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल रायपुर की नये टर्मिनल में रिटेल आउटलेट औषधीय उत्पाद प्रदर्शन/प्रचार—प्रसार सह—केन्द्र स्थापित है । इन विक्रय केन्द्रों में मुख्यतः महिला स्व—सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये हेल्थ एवं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का विक्रय किया जाता है ।

औषधीय उत्पाद प्रचार सह विक्रय केन्द्र
एयरपोर्ट रायपुर

- बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में औषधीय पौधों के मूल्य वर्धन कार्य एवं हर्बल प्रोडक्ट तैयार करने हेतु सरोजनी ग्रामीण महिला विकास संस्थान, कोरबा हेतु वनमंडलाधिकारी कोरबा के माध्यम से राशि रू. 4.55 लाख की लागत से प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गई ।

औषधीय उत्पाद प्रचार सह विक्रय केन्द्र
रेलवे स्टेशन, रायपुर

- हर्बल मोबाईल शॉप ई—रिक्शा के माध्यम से प्रायोगिक तौर पर रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का प्रदर्शन/प्रचार—प्रसार एवं विक्रय किया जा रहा है ।
- बोर्ड द्वारा वाराणसी विमानतल पर छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का प्रदर्शन/प्रचार—प्रसार एवं विक्रय केन्द्र का शुभारंभ जल्द ही किया जावेगा ।

24.8 परंपरागत वैद्य सम्मेलन

राज्य के प्रत्येक वनवृत्त में परंपरागत वैद्य सम्मेलन आयोजित कर उनके परंपरागत औषधीय ज्ञान का अभिलेखन कार्य किया गया है। माह सितम्बर 2013 में कांकेर वृत्त के अंतर्गत हृदय रोग एवं मधुमेह रोग के पारंपरिक उपचारों के संबंध में लगभग 500 वैद्यों का महासम्मेलन आयोजित किया गया ।

वैद्य सम्मेलन, सांकरा, धमतरी

जगदलपुर वनवृत्त में वर्ष 2015—16 में पशु आयुर्वेद वैद्य सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2016—17 में राज्य के 06 वनमंडलों पूर्व भानुप्रतापपुर, धमतरी, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर तथा सरगुजा में वृत्त स्तरीय वैद्य सम्मेलन का आयोजन कर लगभग 900 वैद्यों के ज्ञान को अभिलेखित किया गया । राज्य में औषधीय पादप के विकास एवं संरक्षण कार्य में परंपरागत वैद्यों द्वारा भूमिका निभाई जा रही है ।

24.9 वनौषधि संग्रहालय की स्थापना

वर्ष 2015—16 में संजय वन वाटिका सरगुजा में वनौषधि संग्रहालय की स्थापना प्रारंभ की गई, कार्य प्रगति पर है ।

24.9 .1 हर्बल पर्यटन क्षेत्र एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धति का उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना

हर्बल पर्यटन क्षेत्र एवं परम्परागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय स्तर पर आय अर्जन का साधन जुटाने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए जतमई (गरियाबंद), धमनी (बलौदाबाजार), सेनकपाट (सिरपुर), भोरमदेव एवं चित्रकुट (बस्तर) को औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया ।

24.10 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित योजना अंतर्गत कार्य विवरण

- NMPB योजना अंतर्गत 07 MPCA वनमंडलों क्रमशः धमतरी, दक्षिण कोण्डागांव, बस्तर, मरवाही, खैरागढ़, सूरजपुर तथा जशपुर में 21 वनप्रबंधन समिति के माध्यम से औषधीय पौधों का विनाश विहीन संग्रहण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन कार्य हेतु राशि रूपये 3.15 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसमें प्रस्ताव अंतर्गत प्रावधानित प्रसंस्करण केन्दों में 01 Godown, 01 Drying Shed तथा मशीन सम्मिलित है ।
- वर्ष 2016—17 में राशि रू. 327.00 लाख की वार्षिक कार्य आयोजना प्रस्ताव तैयार कर राज्य आयुष मिशन के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसमें 11 औषधीय प्रजातियों के कृषिकरण हेतु राशि रू. 152.63 लाख प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2017—18 में राष्ट्रीय आयुष मिशन एन.एम.पी.बी. योजनांतर्गत 32 औषधीय प्रजातियों के कृषिकरण हेतु राशि रू. 187.00 लाख आयुष विभाग, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

24.11 कैम्पा योजनांतर्गत नवीन कार्य

यू.एन.डी.पी. परियोजना (2009 से 2014) अंतर्गत 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र बनाये गये हैं । जिनके रखरखाव एवं अन्य स्थानों पर औषधीय पौधा संरक्षण के लिए कैम्पा परियोजना वर्ष 2015 से 2019 तक के लिए राशि रू. 7.38 करोड़ की पंचवर्षीय योजना स्वीकृत की गई एवं तदानुसार नये औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र का चयन कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कैम्पा योजना के अंतर्गत परियोजना स्टॉफ 01 परियोजना समन्वयक, 01 बॉटनिस्ट एवं 01 एक्सटेंशन एक्जीक्यूटिव अन्य परियोजना स्टॉफ को कार्य की आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया है । इस हेतु 02 वर्षो की राशि रू. 3.10 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है ।

वर्तमान में कैम्पा योजना अंतर्गत वर्ष 2015—16 में 07 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र हेतु क्रमशः कोरबा, बलरामपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा, धमतरी, केशकाल तथा सरगुजा वनमंडल में कुल 1400 हेक्टेयर क्षेत्र फल का चयन किया गया है । योजना अंतर्गत औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2017—18 में औषधीय पौधा विकास क्षेत्र का चयन किया जा रहा है ।

प्रदेश अंतर्गत टी.एफ.आर.आई. जबलपुर द्वारा मई 2017 में 07 चयनित एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों का इकोलाजीकल एवं बॉटनिकल सर्वे का कार्य किया गया है । इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट टी.एफ. आर.आई. जबलपुर से प्राप्त हो चुकी है ।

24.12 ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ कार्यक्रम

बोर्ड द्वारा वनों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के युवक—युवतियों में औषधीय पौधों को पहचानने उनके वैज्ञानिक नाम जानने, औषधीय पौधों के संरक्षण, महत्व एवं विकास हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है । उक्त प्रशिक्षण में अब तक 84 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। 27 प्रशिक्षणार्थियों को बैंगलोर में प्रशिक्षित कर प्रमाण—पत्र दिया गया ।

ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम-III, बैंगलोर

24.13 औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन कार्यदल (टास्क फोर्स) की स्थापना

वर्ष 2016—17 में एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर (फाउंडेशन फॉर रिवाईटलाईजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन) के तकनीकी सहयोग द्वारा 02 औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र कोरबा तथा बलरामपुर को विनाश विहीन विदोहन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है । जिनमें वन प्रबंधन समितियों एवं ग्रामीण जनों में जागरूकता विकास कर औषधीय पौधों के महत्व एवं विनाश विहीन विदोहन का प्रशिक्षण एफ.आर.एल.एच.टी. बैंगलोर के तकनीकी मार्गदर्शन में कोरबा वनमंडल में माह नवंबर 2016 कराया गया, जिसमें 45 प्रतिभागी सम्मिलित हुए एवं द्वितीय चरण वनमंडल बलरामपुर में फरवरी 2017 में किया गया, जिसमें 30 सदस्यीय विनाश विहीन विदोहन दल का गठन किया गया है ।

24.14 लोक जैव विविधता रजिस्टर

औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान के संकलन एवं क्षेत्र के पारंपरिक वैद्यों के सहयोग से औषधीय पौधों के परंपरागत ज्ञान का अभिलेखीकरण करने हेतु कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 नये एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में जैव विविधता समिति गठित कर कार्य करने की योजना है ।

24.15 क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र में कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारी एवं जैव प्रबंधन समिति सदस्य के लोगों के क्षमता विकास हेतु 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत् औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्रों की उपयोगिता एवं औषधीय पौधों के पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2016 को बस्तर वनमंडल में आयोजित की गई ।

क्षमता विकास प्रशिक्षण बस्तर वनमंडल, जगदलपुर

24.16 कैम्पा परियोजना प्रचार कार्य

बोर्ड द्वारा परियोजना अंतर्गत एम.पी.सी.ए. से नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में चलित प्रदर्शनी का आयोजन कर औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा गांवों के स्कूलों एवं ग्राम पंचायतों में औषधीय पौधों के पोस्टर चस्पा किये गये तथा ब्रोशर एवं पुस्तिकाओं का वितरण किया गया तथा जागरूकता हेतु Flex लगाये गये ।

24.17 प्रचार–प्रसार कार्य

24.17.1 लघुवृत्त चित्र का निर्माण–

साल के औषधीय/आर्थिक/सामाजिक/जल संग्रहण/क्लाइमेटिक चेंज के महत्व को प्रचार–प्रसार हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में लघुवृत्त चित्र का निर्माण किया गया तथा एम.पी.सी.ए. जतमई के लघुवृत्त चित्र का भी निर्माण किया गया है ।

24.17.2 मेला प्रदर्शनियों में भागीदारी

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर के कुल 09 मेला प्रदर्शनियों में भागीदारी की गई, जिसमें वन मड़ई 2017, आरोग्य 2017 विशाखापट्नम एवं राज्योत्सव 2017 प्रमुख है।

24.17.3 चलित प्रदर्शनी—

गत 06 वर्षों में औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 100 गांवों में औषधीय पौधा उपयोग संबंधित प्रचार प्रसार गतिविधि का आयोजन किया गया।

औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी केरेगांव, धमतरी वनमंडल, धमतरी

औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी केरेगांव, धमतरी वनमंडल, धमतरी

24.17.4 अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर प्रचार—प्रसार

अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे – विश्व वानिकी दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर औषधीय पौधों के महत्व एवं जन—सामान्य में जागरूकता लाने हेतु औषधीय पौधा चलित प्रदर्शनी एवं निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम एवं हर्बल उत्पादों का प्रदर्शन/प्रचार—प्रसार/विक्रय किया गया ।

- **डिजिटल मीडिया—** बोर्ड द्वारा ट्वीटर (28 जून 2014) एवं फेसबुक (1 नवंबर 2015) के जरिये बोर्ड की योजनाओं एवं गतिविधियों के बारे में आम जनों को जानकारी दी जाती है एवं जल्द ही यू—ट्यूब चैनल के माध्यम से औषधीय पौधों संबंधित फिल्म एवं विडियों का प्रचार—प्रसार किया जावेगा ।
- **वेबसाईट का निर्माण—** वेबसाईट का निर्माण बोर्ड की नवीन वेबसाईट का निर्माण किया जा रहा है ।
- **न्यूज—** गत 06 वर्षों में राज्य के अखबारों में लगभग 250 सकारात्मक न्यूज बोर्ड के कियाकलापों/गतिविधि/योजनाओं के बारे में प्रकाशित की गई ।
- **प्रकाशन कार्य –** छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा औषधीय पौधों से संबंधित पुस्तिकाओं/ब्रोशर का सतत् प्रकाशन किया जा रहा है, जिनकी कुल संख्या 35 है । नवीन प्रकाशन अंतर्गत लगभग 08 पुस्तक/ब्रोशर/पाम्पलेट माह जनवरी में मुद्रण कराये जावेंगे।

भाग — छ:

25. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड

25.1 छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र.एफ 8/21/06/10–2 दिनांक 16.02.2006 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। मान. वनमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन को बोर्ड का अध्यक्षता बनाया गया।

छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ 8–21/2005/10–2 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुर्नगठन किया गया।

25.2 वर्तमान में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के पदाधिकारी निम्नानुसार हैं :—

अ अध्यक्ष

मान. वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष

ब पदेन / शासकीय सदस्य

(i)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	सदस्य
(ii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण)छत्तीसगढ़	सदस्य
(iii)	संचालक, कृषि छत्तीसगढ़	सदस्य
(iv)	संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	सदस्य

स विशेषज्ञ / अशासकीय सदस्य

(i)	कुलपति, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(ii)	श्री अरूण मृदुल कुमार भरोस, अध्यक्ष छ.ग.वाईल्ड लाईफ सोसायटी, बी–101, गायत्री नगर, रायपुर	सदस्य
(iii)	प्रोफेसर एम.एल.नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल आफ लाईफ साइन्सेस) पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(iv)	श्री रजनीश अवस्थी, रायपुर	सदस्य
(v)	श्री सुबोध पाण्डे	सदस्य
(vi)	श्री पारसनाथ रोहित, बलरामपुर	सदस्य

द सदस्य सचिव

(i)	राज्य शासन द्वारा नियुक्त/ नामांकित वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य सचिव

25.3 छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम — 2015 छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 08–04/2011/10–2 दिनांक 01 जून 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र क्र. 26 रायपुर दिनांक 26 जून 2015 में किया गया है।